डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

Annual Report
वार्षिक रिपोर्ट | 2014-2015

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Annual Report 2014-2015
वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015

Regd. Office & Corp. Office:
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi - 110001

सामान्य सूचना

पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय
5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग परिसर
नई दिल्ली–110001

सांविधिक लेखा परीक्षक
बवेजा एवं कौल, चार्टड एकाउन्टेंन्स
306, कॉर्पोरेट टॉवर्स
85ए, जमरूदपुर ग्रेटर कैलाश–1
नई दिल्ली–110048

आंतरिक लेखा परीक्षक
ए.आर.एंड कंपनी, चार्टड एकाउन्टेंस,
पताः सी–1, द्वितीय तल, आरडीसी,
राजनगर–गाजियाबाद–201001

बैंकर्स
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

निदेशकों की सूची (दिनांक 21.09.2015 को)

क्रसं.		निदेशक का नाम	पदनामकार्य ग्रहण की तिथि
1.	श्री ए.के.मित्तल	अंशकालिक अध्यक्ष(सरकारी)	03.02.2015
2.	श्री आदेश शर्मा	प्रबंध निदेशक	20.10.2014
3.	श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक(परियोजना नियोजन)	05.04.2011
4.	श्री एच.डी.गुजराती	निदेशक(परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	29.11.2012
5.	श्री एम.के.मित्तल	निदेशक (वित्त)	16.09.2013
6.	श्री डी.एस.राणा	निदेशक (अवसंरचना)	27.10.2014
7.	श्री गिरीश पिल्लई	अंशकालिक निदेशक(सरकारी)	14.11.2012
8.	श्री गजेन्द्र हल्दिया	अंशकालिक निदेशक(सरकारी)	02.05.2008

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्यक्ष का संदेश	5 - 6
2.	सूचना एवं प्राक्सी फार्म	7 - 18
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	19 - 41
4.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी और प्रबंधन का उत्तर (अनुलग्नक ''क'')	42
5.	सचिविय लेखा परीक्षक की टिप्पणी और प्रबंधन का उत्तर (अनुलग्नक ''ख'')	43
6.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी (अनुलग्नक ''ग'')	44 - 45
7.	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की एक रिपोर्ट (अनुलग्नक ''घ'')	46 - 50
8.	कॉर्पोरेट शासन (गवर्नेस) रिपोर्ट (अनुलग्नक ''ङ'')	51 - 64
9.	प्रबंध निदेशक की घोषणा (अनुलग्नक ''ङ1'')	65
10.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकार द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाण पत्र (''ङ2'')	66
11.	पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त कॉर्पोरेट गवरनेंस के अनुपालन का प्रमाण पत्र (''ङ3'')	67
12.	प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक ''च'')	68 - 78
13.	व्यवसायिक कंपनी सचिव से एक सचिविय लेखा परीक्षण रिपोर्ट (अनुलग्नक ''छ'')	79 - 83
14.	वार्षिक रिपोर्ट के सार का बोर्ड रिपोर्ट में संलग्न फार्म नं एमजीटी–9 (अनुलग्नक''ज'')	84 - 92
15.	वित्तीय विवरण	93 - 119
16.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	120 - 125

अध्यक्ष का संदेश

डीएफसीसीआईएल की नवमीं वार्षिक आम बैठक में, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं । 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा परिक्षित कंपनी के खाते और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो पहले से ही आपको भेजी जा चुकी है।

डीएफसीसीआईएल का निर्माण एक रणनीति के तहत छोटे वृद्धिशील कदमों के द्वारा भारतीय रेल की माल ढोने की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया।

कंपनी अपने ग्राहकों को कुशल,विश्वसनीय, सुरक्षित एवं सस्ता विकल्प का उपयोग करके अत्याधुनिक प्रोद्योगिकी के साथ माल परिवहन के क्षेत्र में बाजार में अपनी हिस्सेदारी को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेल को सक्ष्म बनाने की दिशा में दो कोरीडोर का निर्माण के मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं । कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यों में प्रगति हुई है।

1. वित्तीय वर्ष 2014–2015 कुल पूंजी लागत रू.2897.50 करोड़ थी। परियोजना की स्थापना से पूंजी संचयी व्यय रू.13247.70 करोड़ है।

2. पूर्वी डीएफसी पर लगभग 4548 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1318 किमी. से अधिक भूमि का अधिग्रहण (सोननगर–दानकुनी सेक्शन के 538 किमी. को छोड़कर 1002 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ)को पूरा कर लिया गया है। पश्चिमी डीएफसी पर 1520 किमी. के साथ लगभग 5989 हेक्टेयर क्षेत्र को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। दिनांक 31.03.2015 को भूमि अधिग्रहण की प्रगति लगभग 84.2 प्रतिशत (सोननगर–दानकुनी सेक्शन को छोड़कर) और कुल प्रगति 81 प्रतिशत है। (पश्चिमी डीएफसी रू.4140 करोड़, पूर्वी डीएफसी रू.2742 करोड़) की राशि का कुल मुआवजा दिया गया है।

3. विगत एक वर्ष के दौरान, ठेकों को देने की गति में तेजी आई है। रू.17,590 करोड़ के ठेकें दिए गए हैं। डीएफसीसीआईएल की कुल लंबाई (पीपीपी पर सोननगर–दानकुनी सेक्शन को छोड़कर) में सिविल के लिए 65प्रतिशत और विद्युत और एसएंडटी के लिए 48 प्रतिशत ठेको को अधिनिर्णय हो गया है। अवधि के दौरान दिए जाने वाले मुख्य ठेके हैं :

   - सिविल ठेका–मुगलसराय–कानपुर (पूर्वीडीएफसी–2)–402 किमी.
   - सिविल ठेका–वैतरणा–मकरपुरा (पश्चिमी डीएफसी चरण–II)–320 किमी.
   - रेवाड़ी–वडोदरा सेक्शन के लिए विद्युत ठेका (पश्चिमी डीएफसी चरण–I)
   - खुर्जा–कानपुर (पूर्वी डीएफसी–1) के लिए विद्युत और एसएंडटी ठेका
   - रेवाड़ी–मकरपुरा (पश्चिमी डीएफसी चरण–1) के लिए एसएंडटी ठेका
   - पश्चिमी डीएफसी के लिए विशेष पुल पैकेज
   - पश्चिमी डीएफसी के लिए गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली
   - भारत में हेवी हॉल रेल क्षमता का विकास (एचएचआरसीटीआई)

4. **धन की व्यवस्था :**

   - पूर्वी डीएफसी–3 के लिए बातचीत पूरी हो चुकी है और US $650 मिलियन की राशि का ऋण 30.06.2015 विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है।
   - कानपुर–मुगलसराय सेक्शन के लिए विश्व बैंक ने $1.1 बिलियन के ऋण करार पर दिसबंर 2014 में हस्ताक्षर किए गए।

- दिनांक 24.06.2015 को आयोजित आर्थिक मामले की केबिनेट कमेटी द्वारा संशोधित लागत प्राक्कलन रू.81459 करोड़ का अनुमोदन कर दिया गया।

5. जारी किए गए कार्यों की महत्वपूर्ण प्रगतिः

- पश्चिमी डीएफसी के रेवाड़ी–इकबालगढ़ सेक्शन में मिट्टी की खुदाई एवं कन्क्रीटिंग के कार्य में तेजी आई है। पश्चिमी डीएफसी में भगेगा में स्लीपर प्लांट को चालू किया गया।
- पूर्वी डीएफसी के खुर्जा–कानपुर सेक्शन में मिट्टी की खुदाई एवं कन्क्रीटिंग कार्य की प्रगति में तेजी आई है और पूर्वी डीएफसी में भारत में पहली बार यांत्रीकृत नए ट्रेक निर्माण मशीन के साथ ट्रेक लिंकिंग को शुरू किया गया है।
- दुर्गावती–सासाराम सेक्शन जून 2015 में दुर्गावती में भारतीय रेलवे के साथ प्रांरभ करने के लिए प्रथम जंक्शन ओर ओएचई और ट्रेक के पूरा होने के बाद सेक्शन के इंजन रोलिंग व्यवस्था की गई है।
- सोनपुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीएससी गर्डर की शुरूआत का कार्य प्रगति पर है।

6. वर्ष 2014–2015 के दौरान ओपन मार्केट से 85 कर्मचारी भर्ती किए गए। इसके अलावा 21 पदों को सरकारी/उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों से तत्काल समावेशन के आधार पर भरा गया। सभी नए अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रांरभिक/परिचय प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष के दौरान अनुकरणीय तरीके से कार्य करने वाले कंपनी के कर्मचारियों को प्रेरित और पुरस्कृत करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए स्किल क्षमता को बढ़ाने और क्षमता के निर्माण के लिए 1295 कार्य दिवसों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

7. कोर बिजनेस प्रक्रिया में तकनीकी लाभ के लिए विशेष पहचान के रूप में डीएफसीसीआईएल को सैप एसीई पुरस्कार 2014 प्रदान किया गया।

8. वर्ष के दौरान, सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत ईको सेनीटेशन, स्कूलों में सामान के साथ कंप्यूटर्स और चयनित परियोजना कार्यान्वयन यूनिटों (पीआईयू) में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के स्किल विकास प्रशिक्षण के लिए रू 53.86 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। कंपनी ने स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

   कंपनी व्यवसायिक नैतिकता और मूल्यों के पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। मई 2010 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विभाग (सीपीएसई) के लिए दिए गए कॉर्पोरेट गवरनेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा (डीपीई) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में ''कॉर्पोरेट संचालन ओर विश्लेषण रिपोर्ट'' में वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित की गई।

आभार

संगठन/मंडलों के सहयोग तथा सहायता प्रदान करने के लिए मैं रेल मंत्रालय के विभिन्न निदेशालयों क्षेत्रीय रेलों और भारत सरकार के अधीन अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों और उनके विभागों और कंपनी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा निष्ठा से किए प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं।

इसके अतिरिक्त, मैं कंपनी के हितधारकों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बोर्ड एवं अपने साथियों का भी उनके बहुमूल्य सुझावों और निरन्तर सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं।

मैं अपने बैंकों, व्यापारिक संबंधियों को, डीएफसीसीआईएल को दिए गए उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के समर्पित प्रयासों से कंपनी के उद्देश्यों को ईमानदारी, गति एवं सफलता के साथ प्राप्त करना संभव हो पाएगा।

हस्ताक्षर/–
ए.के.मित्तल
अध्यक्ष

दिनांक : 21.09.2015
स्थान : नई दिल्ली

सूचना

सूचना एतद् किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(सीआईएन–यू60232डीएल2006जीओआई155068) के सदस्यों की 9वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 21 सितबंर, 2015 को दोपहर 12.30 बजे सभा कक्ष, 5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो बिल्डिंग परिसर, नई दिल्ली–110001 में आयोजित होगी।

साधारण कार्य

1. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ–साथ 31 मार्च, 2015 के अनुसार लेखा परीक्षित विवरण,लेखा परीक्षित संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते का विवरण को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और स्वीकार करना।

2. वर्ष 2015–2016 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित संकल्प अपनाकर की जाती है।

   ''संकल्प किया जाता है कि सदस्यों, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए मेसर्स बवेजा और कौल, चार्टर्ड एकाउंटेंट को कंपनी के संविधिक लेखा परीक्षक के रूप में निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षक की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है।

विशेष कार्य

3. विचार करने और यदि सही, जारी करना संशोधन के साथ या बिना, निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप मेः

आगे सकंल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 152(2)(सी),196 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में यदि कोई हो, को संबंधित कंपनी के एसोसियेशन के संबंधित अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाए, कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा तद्नुसार सहमति दी जाती है।

भारत के राष्ट्रपति ने रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2014/ई(ओ)II/40/9 दिनांक 14.10.2014 के द्वारा श्री आदेश शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दक्षिण पश्चिम रेलवे को डीएफसीसीआईएल में तत्काल समावेशन के आधार पर पांच वर्ष के लिए दिनांक 20.10.2014 (पूर्वान्ह) से (प्रबंध निदेशक) के रूप में नियुक्त किया है या सेवा निवृति अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले है।

''आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक/वित्त/कंपनी सचिव को सभी कार्यों,जो भी आवश्यक दस्तावेज हो, पर हस्ताक्षर करने, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन कार्य करने के लिए उससे संबंधित अनुषांगीक हो सकते हैं, को अधिकृत किया जाता है।

4. विचार करने और यदि सही, जारी करना संशोधन के साथ या बिना, निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में:

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2), 161,196 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में यदि कोई हो, को संबंधित कंपनी के एसोसियेशन के संबंधित अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाए, कंपनी की सहमति से भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2013/ई(ओ)II/40/4 दिनांक 27.10.2014 के अंतर्गत श्री डी. एस. राणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक/डीएफसीसीआईएल को डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में तत्काल समावेशन के आधार पर दिनांक 27.10.2014 (पूर्वान्ह) से निदेशक/अवसंरचना के रूप में नियुक्त किया है या सेवा निवृति अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले है।

''आगे सकल्प किया जाता है कि निदेशक/वित्त/कंपनी सचिव को सभी कार्यों,जो भी आवश्यक दस्तावेज हो, पर हस्ताक्षर करने, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन कार्य करने के लिए उससे संबंधित अनुषांगिक हो सकते हैं, को अधिकृत किया जाता है।

5. विचार करने और यदि सही, जारी करना संशोधन के साथ या बिना, निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में:

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2), 161,196 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में यदि कोई हो, को संबंधित कंपनी के एसोसियेशन के संबंधित अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाए, कंपनी की सहमति से भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2009/इन्फ्र/6/2 दिनांक 03.02.2015 के अंतर्गत श्री ए.के. मित्तल, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से श्री अरूनेन्द्र कुमार, निर्वतमान अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के स्थान पर अगले आदेशों तक जो भी पहले हो अंशकालिक अध्यक्ष, नियुक्त किया है।

''आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक/वित्त/कंपनी सचिव को सभी कार्यों,जो भी आवश्यक दस्तावेज हो, पर हस्ताक्षर करने, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन कार्य करने के लिए उससे संबंधित अनुषंगिक हो सकते हैं, को अधिकृत किया जाता है।

बोर्ड के आदेश से
ह/–

मीनू कपूर
कपंनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 31.08.2015

टिप्पणी

1. कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 102 के अनुसरण में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण के व्यापार के संबंध में सूचना की मद संख्या 3 निम्नानुसार संलग्न है।

2. वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) में भाग लेने और मत देने का हकदार कोई सदस्य अपने एवज में भाग लेने और मत देने के लिए एक परोक्षी नियुक्त करने के लिए हकदार है और परीक्षी के लिए कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। परोक्षी नियुक्त करने का प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले जमा करा दिया जाना चाहिए।

3. एजीएम की सूचना वार्षिक रिपोर्ट 2014–15 के साथ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई मेल पते कंपनी के पास पंजीकृत हैं,`जब तक किसी सदस्य द्वारा भौतिक रूप से उक्त प्रति के लिए अनुरोध न किया जाए। वह सदस्यगण जिनके ई मेल पते पंजीकृत नहीं है, उन्हें अनुमति माध्यम से भौतिक प्रति भेजी जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में विदेश व्यापार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या–3

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (2) में यह व्यवस्था की गई है कि अन्यथा स्पष्ट रूप से अधिनियम में प्रदत्त कंपनी द्वारा प्रत्येक निदेशक को वार्षिक बैठक में नियुक्त किया जाएगा।

2. कंपनी के एसोसियेशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 81 (अध्यक्ष, अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, निदेशकों और उनके कार्यालय) की नियुक्ति अनुच्छेद 81 प्रदान करता है–

   (1) राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति होगीः

   (क) पूर्णकालिक अध्यक्ष, अंशकालिक अध्यक्ष, पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक अथवा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ओर अन्य पूर्णकालिक निदेशक।

   (ख) निदेशकगण भारत सरकार और अथवा अन्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे और

   (ग) अन्य निदेशकगण अध्यक्ष की सलाह से स्वतंत्र निदेशकगण सहित। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशकगण कार्यालय में तब तक कार्य करेंगे जब तक कि उन्हें हटाया, त्यागपत्र, सेवानिवृति , मृत्यु अथवा अन्य कारण न हो।

3. धारा 196 में प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक और नियुक्ति की व्यवस्था है–धारा 196(1) के अनुसार –

(1) कंपनी द्वारा उसी समय प्रबंध निदेशक और प्रबंधक को नियुक्त अथवा नियोजन नहीं किया जाएगा।

(2) कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति का प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के रूप एक समय में पांच वर्ष से अधिक पुर्ननियोजन नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि उसकी अवधि की समाप्ति से एक वर्ष पूर्व पुर्ननियोजन नहीं किया जाएगा।

(3) कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक का नियोजन अथवा नियुक्ति जारी नहीं रखी जाएगी जो कि

(क) जो कि 21 वर्ष से कम हों अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों :

बशर्ते कि 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति को विशेष संकल्प के पारित होने के बाद नियुक्त किया गया हो जिसमें उस व्यक्ति की नियुक्ति का औचित्य को दर्शाते हुए प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

(ख) एक अनुन्यमोचित दिवालिया अथवा किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है।

(ग) अपने लेनदारों के लिए किसी भी समय भुगतान को निलंबित करने, या बनाने या किसी समय उनके साथ संयोजन करना अथवा

(घ) एक अपराध में न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध होने और छः माह से अधिक की अवधि के लिए सजा दिए जाने के लिए।

(4) अनुसूची वी और धारा 197 के प्रावधानों के अधीन, एक प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक को नियुक्त किया जाएगा और इस तरह की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें और दिए जाने वाले पारिश्रमिक को बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जो कि कंपनी की आगामी साधारण बैठक में संकल्प द्वारा अनुमोदन के अधीन होगी ओर केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह की नियुक्ति के लिए विशिष्ट अनुसूची की शर्तों मे परिवर्तन करती है।

बशर्ते कि इस तरह की नियुक्ति में विचार के लिए सामान्य बैठक अथवा बोर्ड में सूचना में देय पारिश्रमिक के लिए निबंधन व शर्तें शामिल की जाएगी, और इस तरह के अन्य मामलों में एक निदेशक अथवा निदेशकों की इस तरह की नियुक्तियों के हित यदि कोई हो: बशर्ते कि इस तरह की नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रार के यहां साठ दिन के अंदर निर्धारित फार्म में रिटर्न दाखिल करना होगा।

(5) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जहां प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति को कंपनी की साधारण बैठक में अनुमोदित नहीं किया जाता है, इस तरह के कृत्य करने से पूर्व इस तरह के अनुमोदन को अमान्य कर दिया जाएगा।

(4) धारा 462 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के उक्त धारा की उपधारा (02) के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 01)की धारा 620 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, इस तरह के अधिक्रमण से पूर्व की ओर छोड़ी गई वस्तुओं के अलावा, केन्द्र सरकार जनता के हित में कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ प्रावधानों को जैसा कि टेबल के कॉलम (2)के लिए कुछ निर्देश देती है, को सरकारी कपंनी (दिनांक 05.06.2015 की टेबल में) के विशिष्ट कॉलम (3) में कुछ नए विचारों के अपवादों और रूपान्तरों को लागू किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। तद्नुसार डीएफसीसीआईएल को एक सरकारी कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 196 (2) और 4 एवं 5 से छूट दी गई है।

5) वर्ष 2014–15 के दौरान रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र सं.2014/ई(ओ)II/40/9 दिनांक 14.10.2014 के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति ने श्री आदेश शर्मा, आईआरएसई, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/दक्षिण पश्चिम रेलवे, को तत्काल समावेशन के आधार पर पांच वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक डीएफसीसीआईएल के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने दिनांक 20.10.2014 पूर्वान्ह में प्रबंध निदेशक, डीएफसीसीआईएल का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नियुक्ति की निबंधन व शर्तें विश्लेषणात्मक विवरण के भाग के रूप में प्रति संलग्न है।

6) धारा 152(2) की शर्तों में, यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को शेयर धारकों की सहमति ली जाए।

प्रबंध निदेशक के अलावा, कंपनी में कोई निदेशक अथवा, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और /अथवा उनके रिश्तेदार इससे संबंधित वित्तीय अथवा अन्यथा उनके व्यापार से संबंधित नहीं हैं।

मद संख्या– 04

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2) में यह व्यवस्था की गई है कि अन्यथा स्पष्ट रूप से अधिनियम में प्रदत्त कंपनी द्वारा प्रत्येक निदेशक को वार्षिक बैठक में नियुक्त किया जाएगा।

2. कंपनी के एसोसियेशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 81 (अध्यक्ष, अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, निदेशकों और उनके कार्यालय) की नियुक्ति अनुच्छेद 81 प्रदान करता है–

(1) राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति होगीः

(क) पूर्णकालिक अध्यक्ष, अंशकालिक अध्यक्ष, पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक अथवा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक।

(ख) निदेशकगण भारत सरकार और अथवा अन्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे और

(ग) अन्य निदेशकगण अध्यक्ष की सलाह से स्वतंत्र निदेशकगण सहित। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशकगण कार्यालय में तब तक कार्य करेंगे जब तक कि उन्हें हटाया, त्यागपत्र, सेवानिवृति, मृत्यु अथवा अन्य कारण न हो।

3. धारा 196 में प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक और नियुक्ति की व्यवस्था है–धारा 196(1) के अनुसार

(1) कंपनी द्वारा उसी समय प्रबंध निदेशक और प्रबंधक को नियुक्त अथवा नियोजन नहीं किया जाएगा।

(2) कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति का प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के रूप एक समय में पांच वर्ष से अधिक पुर्ननियोजन नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि उसकी अवधि की समाप्ति से एक वर्ष पूर्व पुर्ननियोजन नहीं किया जाएगा।

(3) कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक का नियोजन अथवा नियुक्ति जारी नहीं रखी जाएगी जोकि

(क) जोकि 21 वर्ष से कम हों अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों :

बशर्ते कि 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति को विशेष संकल्प के पारित होने के बाद नियुक्त किया गया हो जिसमें उस व्यक्ति की नियुक्ति का औचित्य को दर्शाते हुए प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

(ख) एक अनुन्यमोचित दिवालिया अथवा किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है।

(ग) अपने लेनदारों के लिए किसी भी समय भुगतान को निलंबित करने, या बनाने या किसी समय उनके साथ संयोजन करना अथवा

(घ) एक अपराध में न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध होने और छः माह से अधिक की अवधि के लिए सजा दिए जाने के लिए।

(4) अनुसूची वी और धारा 197 के प्रावधानों के अधीन, एक प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक को नियुक्त किया जाएगा और इस तरह की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें और दिए जाने वाले पारिश्रमिक को बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जो कि कंपनी की आगामी साधारण बैठक में संकल्प द्वारा अनुमोदन के अधीन होगी और केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह की नियुक्ति के लिए विशिष्ट अनुसूची की शर्तों मे परिवर्तन करती है।

बशर्ते कि इस तरह की नियुक्ति में विचार के लिए सामान्य बैठक अथवा बोर्ड में सूचना में देय पारिश्रमिक के लिए निबंधन व शर्तें शामिल की जाएगी, और इस तरह के अन्य मामलों में एक निदेशक अथवा निदेशकों की इस तरह की नियुक्तियों के हित यदि कोई होः बशर्ते कि इस तरह की नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रार के यहां साठ दिन के अन्दर निर्धारित फार्म में रिटर्न दाखिल करना होगा।

(5) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जहां प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति को कंपनी की साधारण बैठक में अनुमोदित नहीं किया जाता है, इस तरह के कृत्य करने से पूर्व इस तरह के अनुमोदन को अमान्य कर दिया जाएगा।

4. धारा 462 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के उक्त धारा की उपधारा (02) के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 01)की धारा 620 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, इस तरह के अधिक्रमण से पूर्व की ओर छोड़ी गई वस्तुओं के अलावा, केन्द्र सरकार जनता के हित में कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ प्रावधानों को जैसा कि टेबल के कॉलम (2)के लिए कुछ निर्देश देती है, को सरकारी कपंनी (दिनांक 05.06.2015 की टेबल में) के विशिष्ट कॉलम (3) में कुछ नए विचारों के अपवादों और रूपान्तरों को लागू किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। तद्नुसार डीएफसीसीआईएल को एक सरकारी कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 196 (2) और 4 एवं 5 से छूट दी गई है।

5. वर्ष 2014–2015 के दौरान रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र 2013/ई/(ओ)II/40/4 दिनांक 27.10.2014, भारत के राष्ट्रपति ने श्री डी. एस. राणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक/डीएफसीसीआईएल को डीएफसीसीआईएल बोर्ड में निदेशक/अवसंरचना के रूप में तत्काल समावेशन के आधार पर पांच वर्ष के लिए नियुक्ति का अनुमोदन किया है या सेवा निवृति अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो। उन्होंने डीएफसीसीआईएल में निदेशक/अवसंरचना के पद पर दिनांक 27.10.2014 पूर्वान्ह को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

6. निदेशक/अवसंरचना के अलावा, कंपनी में कोई निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और/अथवा उनके रिश्तेदार इससे संबंधित वित्तीय अथवा अन्यथा उनके व्यापार से संबंधित नहीं हैं।

मद सं.5

1) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2) में यह व्यवस्था की गई है कि अन्यथा स्पष्ट रूप से अधिनियम में प्रदत्त कंपनी द्वारा प्रत्येक निदेशक को वार्षिक बैठक में नियुक्त किया जाएगा।

2) कंपनी के एसोसियेशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 81 (अध्यक्ष, अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, निदेशकों और उनके कार्यालय) की नियुक्ति अनुच्छेद 81 प्रदान करता है–

(1) राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति होगीः

(क) पूर्णकालिक अध्यक्ष, अंशकालिक अध्यक्ष, पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक अथवा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ओर अन्य पूर्णकालिक निदेशक।

(ख) निदेशकगण भारत सरकार और अथवा अन्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे और

(ग) अन्य निदेशकगण अध्यक्ष की सलाह से स्वतंत्र निदेशकगण सहित।

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशकगण कार्यालय में तब तक कार्य करेंगे जब तक कि उन्हें हटाया, त्यागपत्र, सेवानिवृति, मृत्यु अथवा अन्य कारण न हो।

3) धारा 196 में प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक और नियुक्ति की व्यवस्था है–धारा 196(1) के अनुसार–

(1) कंपनी द्वारा उसी समय प्रबंध निदेशक और प्रबंधक को नियुक्त अथवा नियोजन नहीं किया जाएगा।

(2) कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति का प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के रूप एक समय में पांच वर्ष से अधिक पुर्ननियोजन नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि उसकी अवधि की समाप्ति से एक वर्ष पूर्व पुर्ननियोजन नहीं किया जाएगा।

(3) कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक का नियोजन अथवा नियुक्ति जारी नहीं रखी जाएगी जो कि–

(क) जो कि 21 वर्ष से कम हों अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों :

बशर्ते कि 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति को विशेष संकल्प के पारित होने के बाद नियुक्त किया गया हो जिसमें उस व्यक्ति की नियुक्ति का औचित्य को दर्शाते हुए प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

(ख) एक अनुन्यमोचित दिवालिया अथवा किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है।

(ग) अपने लेनदारों के लिए किसी भी समय भुगतान को निलंबित करने, या बनाने या किसी समय उनके साथ संयोजन करना अथवा

(घ) एक अपराध में न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध होने और छः माह से अधिक की अवधि के लिए सजा दिए जाने के लिए।

(4) अनुसूची वी और धारा 197 के प्रावधानों के अधीन, एक प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक को नियुक्त किया जाएगा और इस तरह की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें और दिए जाने वाले पारिश्रमिक को बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जो कि कंपनी की आगामी साधारण बैठक में संकल्प द्वारा अनुमोदन के अधीन होगी ओर केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह की नियुक्ति के लिए विशिष्ट अनुसूची की शर्तों मे परिवर्तन करती है।

बशर्ते कि इस तरह की नियुक्ति में विचार के लिए सामान्य बैठक अथवा बोर्ड में सूचना में देय पारिश्रमिक के लिए निबंधन व शर्तें शामिल की जाएगी, और इस तरह के अन्य मामलों में एक निदेशक अथवा निदेशकों की इस तरह की नियुक्तियों के हित यदि कोई होः बशर्ते कि इस तरह की नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रार के यहां साठ दिन के आंदर निर्धारित फार्म में रिटर्न दाखिल करना होगा।

(5) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जहां प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति को कंपनी की साधारण बैठक में अनुमोदित नहीं किया जाता है, इस तरह के कृत्य करने से पूर्व इस तरह के अनुमोदन को अमान्य कर दिया जाएगा।

4. धारा 462 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के उक्त धारा की उपधारा (02) के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 01)की धारा 620 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, इस तरह के अधिक्रमण से पूर्व की ओर छोड़ी गई वस्तुओं के अलावा, केन्द्र सरकार जनता

के हित में कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ प्रावधानों को जैसा कि टेबल के कॉलम (2)के लिए कुछ निर्देश देती है, को सरकारी कपंनी (दिनांक 05.06.2015 की टेबल में) के विशिष्ट कॉलम (3) में कुछ नवाचारों के अपवादों और रूपान्तरों को लागू किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। तद्नुसार डीएफसीसीआईएल को एक सरकारी कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 196 (2) और 4 एवं 5 से छूट दी गई है।

5. वर्ष 2014–2015 के दौरान रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र सं.2009/इन्फ्रा/6/2 दिनांक 3.2.2015 के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति ने श्री ए. के. मित्तल, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को तत्काल प्रभाव से श्री अरूनेन्द्र कुमार, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड जब तक वह पद पर कार्यरत थे अथवा जो भी आदेश पहले हों, के स्थान पर डीएफसीसीआईएल बोर्ड का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

6. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2) में यह व्यवस्था की गई है कि अन्यथा स्पष्ट रूप से अधिनियम में प्रदत्त कंपनी द्वारा प्रत्येक निदेशक को वार्षिक बैठक में नियुक्त किया जाएगा।

श्री ए के मित्तल, अध्यक्ष, डीएफसीसीआईएल के अलावा, कंपनी के कोई निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और/अथवा उनके संबंधित रिश्तेदार वित्तीय हित अथवा अन्यथा उनके व्यापार से संबंधित नहीं हैं।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

सं.2014/ई/(ओ)II/40/9 नई दिल्ली, दिनांक 14.10.2014

कपंनी सचिव,
डीएफसीसीआईएल
5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
नई दिल्ली–110001

विषयः डीएफसीसीआईएल में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति ।

सक्षम अधिकारी ने श्री आदेश शर्मा, आईआरएसई, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/दक्षिण पश्चिम रेलवे, को तत्काल समावेशन के आधार पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष के लिए अथवा सेवानिवृति की तिथि अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(डीएफसीसीआईएल) को वेतमान रू.80,000–1,25,000/– में नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया है ।अधिकारी का त्यागपत्र रेलवे से कार्यमुक्त की तिथि से स्वीकार किया गया है ।अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण की तिथि की सूचना भेजें ।

ह/–
(मनोज कुमार)
अवर सचिव,/ई(ओ)II
रेलवे बोर्ड

सं.2014/ई/(ओ)II/40/9 नई दिल्ली, दिनांक 14.10.2014

प्रतिलिपि :

1. श्री आदेश शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली को इस आशय से प्रेषित है कि शीघ्र से शीघ्र कार्यभार ग्रहण करें।
2. महाप्रबंधक/दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली से अनुरोध है कि अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करें।
3. एएम(सीई), एएम(प्लांनिग), सलाहकार(अवसंरचना),सलाहकार(सतर्कता),ओएसडी/एमई, रेलवे बोर्ड।
4. पीएसएस/एमआर/एमओएस(आर)
5. पीएसओ/अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सदस्य/यातायात, सदस्य/यांत्रिक,संदस्य/इंजीनियरी, सदस्य/बिजली, वित्त आयुक्त और सचिव रेलवे बोर्ड के पीपीएस।
6. डीओपीएंडटी(श्री वीरेन्द्र सिंहए अवर सचिव)उनके कार्यालय ज्ञापन सं.23(44) ईओर/2014(एसीसी) दिनांक 08.10.2014 के संदर्भ में।
7. सचिव, पीईएसबी, पी ई भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदीरोड, नई दिल्ली 110003 को उनके पत्र सं.यूओ नं 6/4/2013–पीईएसबी दिनांक 25.06.2014।

ह/–
(मनोज कुमार)
अवर सचिव,/ई(ओ)II
रेलवे बोर्ड

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

सं.2014/ई/(ओ)II/40/24 नई दिल्ली, दिनांक 17.12.2014

कंपनी सचिव,
डीएफसीसीआईएल
5 वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
नई दिल्ली–110001

विषयः डीएफसीसीआईएल में श्री आदेश शर्मा, आईआरएसई के स्थाई समावेशन के संबंध में ।

महोदय,

मुझे राष्ट्रपति की स्वीकृति से श्री आदेश शर्मा, आईआरएसई, रेल मंत्रालय के एक स्थायी अधिकारी को डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(डीएफसीसीआईएल)में प्रबंध निदेशक के रूप में स्थायी समावेशन में रेल मंत्रालय के पत्रों सं. एफ(ई)III/86/पीएन–1/5 दिनांक 16.04.1986, एफ(ई)III/84/पीएन1/4 दिनांक 25.06.1987. एफ(ई)III–95/पीएन1/9दिनांक 10.07.1995, और एफ(ई)III/86/पीएन1/5दिनांक 22.12.1995 में वर्णित शर्तो के प्रभावी से और निबंधन और शर्तों के अधीन स्वीकृत को कहने का निर्देश हुआ है ।

2. प्रभावी तिथिः स्थायी समावेशन दिनांक 20.10.2014 से प्रभावी होगा।

3. पेंशन/उपदानः

क) अधिकारी को रेलवे में की गई सेवा के लिए पेंशन और आनुपातिक सेवा निवृत्ति के उपदान दिया जाएगा। वह 40 प्रतिशत कम्यूटअप के भी हकदार होंगे।

ख) सेवानिवृत्ति लाभों की गणनाःसमानुपतिक सेवा निवृत्ति उपदान और पेंशन की गणना रेल सेवा (पेंशन) नियम,1993 और छठे वेतना आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी ।

नोटः इस मामले में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के बारे में जारी रेल मंत्रालय के पत्र सं. ई(पीएंडए)–77/आरटी–46 दिनांक 9.11.1987 के लाभ देय नहीं हैं।

ग) सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान की तिथिः सेवा निवृत्ति उपदान की राशि और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान स्थायी समावेशन की तिथि के बाद तत्काल कर दिया जाएगा। मासिक पेंशन का भुगतान रेलवे में अंतर्गत सेवा की समाप्ति की तिथि से किया जाएगा।

घ) कुल राशि के उपदान की सीमाः रेलवे के अंतर्गत दी गई सेवा के संबंध में कुल उपदान देय है और डीएफसीसीआईएल के अंतर्गत देय राशि से अधिक देय नहीं होगी, जैसे श्री आदेश शर्मा, आईआरएसई रेलवे सेवा में रहते और डीएफसीसीआईएली से समान वेतन लेते।

4. परिवार पेंशन

I. डीएफसीसीआईएल में स्थायी समावेशन पर, श्री आदेश शर्मा को रेल सेवा (पेंशन) नियम 1993 के अंतर्गत समावेशन के प्रभावी होने से परिवार पेंशन देय होगी ।

III. परिवार पेंशन राशि के संबंध में डीएफसीसीआईएल में स्थायी समावेशन की तिथि पर करने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी और स्थायी समावेशन की तिथि के प्रभावी होने के नियमों और वेतन ड्रान के संदर्भ में गणना की जाएगी। रेलवे द्वारा समय समय पर प्रभावी नियमों/आदेशों के साथ परिवार पेंशन को परिवार के सदंस्यों की पात्रता निर्धारित होगी।

नोटः यदि वह स्थायी नहीं है और समावेशन की तिथि पर 10 वर्षों से कम की सेवा हैं तो परिवार रेलवे की परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

5. समावेशन पर वेतन निर्धारणः श्री आदेश शर्मा, का वेतन निर्धारण डीपीई नियमों के अंतर्गत किया जाएगा।

6. छुटटीः श्री आदेश शर्मा, सेवा से त्यागपत्र की स्वीकृति के समय उपलब्ध छुटटी के नकदीकरण के पात्र होंगे वशर्ते कि पत्र सं. एफ(ई)III/2008/एलई–1/2 दिनांक 27.10.2011 के अनुसार अधिकतम 300 दिन हों।

7. स्थायी समावेशन के बाद लाभः डीएफसीसीआईएल में स्थायी समावेशन की तिथि श्री आदेश शर्मा,द्वारा दी गई सेवा अवधि के लिए, वह समीक्षाधीन कर्मचारियों के लिए देय लाभों के पात्र होंगे और जो कि संबंधित नियमों के तहत् नियंत्रित होते हैं।

8. भविष्य निधिः श्री आदेश शर्मा के स्टेट रेलवे भविष्यनिधि लेखा (एसआरपीएफ) में जमा अंशदान की राशि को मय ब्याज के साथ डीएफसीसीआईएल के अधीन नए भविष्यनिधि खाते में उनकी सहमति के साथ स्थानान्तरित कर दी जाएगी। यदि डीएफसीसीआईएल के पास कोई भविष्यनिधि खाता अथवा पीएफ योजना नहीं है। एसआरपीएफ की शेष राशि को श्री आदेश शर्मा को नकद भुगतान कर दिया जाएगा। एक बार इस तरह की भविष्यनिधि की राशि का स्थानान्तरण होने पर श्री आदेश शर्मा को रेलवे के भविष्यनिधि नियमों को न मानकार डीएफसीसीआईएल के भविष्यनिधि मानने होगें।

भवदीय
(मनोज कुमार)
अवर सचिव,/ई(ओ)II
रेलवे बोर्ड

सं.2014/ई/(ओ)II/40/9 नई दिल्ली, दिनांक 17.12.2014

प्रतिलिपि प्रधान निदेशक/लेखा परीक्षक, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली और पश्चिम रेलवे, मुम्बई और उप नियंत्रक और भारत के महा लेखा परीक्षक(रेलवे) कमरा नं.224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

सं.2014/ई/(ओ)II/40/9 नई दिल्ली, दिनांक 17.12.2014

प्रतिलिपिः

1. महाप्रबंधक और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली और पश्चिम रेलवे, मुम्बई (इस अनुरोध के साथ कि श्री आदेश शर्मा, आईआरएसई,) पूर्व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सीएन/बीएनसी, दक्षिण पश्चिम रेलवे को रिलीज करें)

2. श्री आदेश शर्मा, प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल, 5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टैशन बिल्डिंग काम्पलेक्स, नई दिल्ली–110001

3. अपर सदस्य/यातायात, सलाहकार/सतर्कता, सलाहकार/गोपनीय, जेएस/जी, जेएस/डी, ओएसडी/एमटी, अवर सचिव/सी, एफ/ई/III एएवं ई/ओ/ III शाखाएं, रेलवे बोर्ड ।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव,/ई(ओ)II
रेलवे बोर्ड

परोक्षी प्रपत्र

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) और कपंनी (प्रबंधन और प्रशासन)नियम,2014 की नियम 19(3) के प्रावधानों के अनुसरण में)

सीआईएनः

सदस्य(यों) का नाम.....

पंजीकृत पताः.....

ईमेल आईडीः.....

फोलियों सं./ग्राहक आईडीः.....

डीपी आईडीः मैं/हमें डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्य होने के नाते प्रति इक्विटी शेयर रू. 1000.00 का दिया जा रहा है, नियुक्त करते हैंः

1. नाम

   ईमेल आईडीः

   पताः

   हस्ताक्षर.....अथवा नाकाम रहने

2. नाम

   ईमेल आईडीः

   पताः

   हस्ताक्षर.....अथवा नाकाम रहने

3. नाम

   ईमेल आईडीः

   पताः

   हस्ताक्षर.....अथवा नाकाम रहने

कंपनी की .....दिनांक.....पर .....होने वाली वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में और उसके किसी स्थान पर मेरी ओर से भाग लेने और मेरा मत देने के लिए परोक्ष प्रतिनिधि प्रोक्सी नियुक्त करता हूं और किसी स्थगन, निम्नलिखित संकल्प के सबंध मेंः

संकल्प संख्या

1.

2.

3.

राजस्व टिकट लगाएं

हस्ताक्षर.....दिनांक.....

शेयर धारक के हस्ताक्षर.....

प्रोक्सी धारक के हस्ताक्षर.....

नोटः कारगर सिद्ध होने के लिए परोक्षी प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले प्राप्त होनी चाहिए ।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः 5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो बिल्डिंग परिसर
नई दिल्ली–110001
(सीआईएनःयू60232डीएल2006जीओआई155068)

उपस्थिति स्लिप

पंजीकृत फोलियो .....

नाम .....

पताः .....

.....

मैं/हम कंपनी की दिनांक 21.09.2015 को सोमवार 12.30 बजे पंजीकृत कार्यालय, 5वां तल प्रगति मैदान मैट्रो बिल्डिंग परिसर, नई दिल्ली–110001 में होने वाली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति दर्ज कराते हैं ।

शेयर धारक/उपस्थित प्रोक्सी के हस्ताक्षर––––––––––––––––––––––––––

निदेशकों की रिपोर्ट

देवियों / सज्जनों

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा सहित कंपनी की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1.1 वित्तीय विवरणः

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अनुसार तैयार किये गए हैं। वर्ष 2014–2015 के दौरान कॉर्पोरेशन ने निम्नलिखित खर्चे किए है।

(क) परियोजना निष्पादन पर व्यय निम्नानुसार हैः

(रू करोड़ मे)

विवरण	31.03.2014 को	वित्तीय वर्ष 2014.15 के दौरान	31.03.2015 को
पूंजीगत खर्च(बिना भूमि की लागत के)			
मूर्त परिसंपत्तियां	**8.98**	**2.85**	**11.83**
अमूर्त परिसंपत्तियां	**0.41**	**0.00**	**0.41**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**1,561.32**	**1,711.10**	**3,272.42**
विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियां	**7.63**	**1.68**	**9.31**
पूंजी अग्रिम	**2,590.87**	**245.40**	**2,836.27**
कुल पूंजीगत खर्च(बिना भूमि की लागत के)	**4,169.21**	**1,961.03**	**6,130.24**
भूमि की लागत(रेल मंत्रालय द्वारा वहन)	**6,180.99**	**936.47**	**7,117.46**
कुल पूंजीगत खर्च भूमि की लागत सहित	**10,350.20**	**2,897.50**	**13,247.70**

(ख) विकास लेखा

वर्ष के दौरान विकास लेख के रू. 189.73 करोड़ को पूंजीगत प्रगति कार्य में स्थानान्तरित किया गया, विवरण निम्नानुसार हैः–

(रू करोड़ मे)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी लाभ खर्चे	70.00	61.55
वित्तीय लागत(वित्तीय खर्च)	90.65	27.98
मूल्य ह्रास और परिशोधन खर्चे	2.77	2.62
प्रशासनिक और अन्य खर्चें	53.68	46.80
उप– कुल योग	**217.10**	**138.95**
विदेशी मुद्रा भिन्नता (हानि / लाभ)	(2.10)	2.70
घटानाः अन्य आय	25.27	19.71
सीडब्लयूआईपी में कुल स्थानान्तरित	**189.73**	**121.94**

(ग) लाभांश

आपके निदेशकों ने कंपनी निर्माण चरण के अंतर्गत होने से '' कोई लाभांश'' की सिफारिश नहीं की है।

(घ) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित राशिः कुछ नहीं

1.2 धन की व्यवस्थाः पूंजीगत ढांचा

31 मार्च 2015 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रू. रू. 8,000,00,00,000(रू. आठ हजार करोड़) थी जो कि रू.8,00,00,000(रू. आठ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है और प्रत्येक शेयर की कीमत 1000/– रू. है।

दिनांक 31.03.2015 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त पूंजी रू. 37,15,66,88,000 (रू सैंतीस अरब पंद्रह करोड़ छयासठ लाख अठ्ठासी हज़ार केवल) जो कि 37156688 (रू.तीन करोड़ इकहत्तर लाख छप्पन हज़ार छः सौ अठठासी) इक्विटी शेयरों में विभाजित है और प्रत्येक शेयर की कीमत 1000/– रू. है और शेयर आवेदन पूंजी रू. 1087.00 करोड़ थी। रेल मंत्रालय द्वारा इक्विटी के योगदान के कारण कंपनी की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि हुई है । पूंजी ढांचा निम्नानुसार हैः

(रू करोड़ मे)

विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
इक्विटी वित्त पोषण		
शेयर धारकों का फंड	3,826.10	2,780.46
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन	1,087.00	1,007.93
पूंजी		
डेबिट वित्त पोषण		
जायका	912.86	743.93
आईबीआरडी		
कुल योग	**6,354.18**	**4,785.01**

1.2.1 डेबिट वित्त पोषण

(I) **चरण 1 (वडोदरा–रेवाड़ी) 920 किमी.चरण–2 (वडोदरा–जेएनपीटी और रेवाड़ी–दादरी) 564 किमी. (जायका) परामर्श**

इंजीनियरिंग सर्विस कंसल्टैंसी (चरण–1)के लिए 2,606$ (दो बिलियम छह सौ छह मिलियन जापानी येन) का ऋण का जायका के साथ करार पर आईडीपी–205 के तहत हस्ताक्षर हुए और दिनांक 31.03.2015 तक हमने इस ऋण में से रू.116.45 करोड़ का उपयोग किया है।

अन्य इंजीनियरिंग सर्विस कंसलटैंसी (चरण–2) (वडोदरा–जेएनपीटी और रेवाड़ी–दादरी) 564 किमी. का जायका के साथ करार आईडीपी–212, 1,616 (एक बिलियन छह सौ सोलह मिलियन) जपानी येन का हुआ इसमें से दिनांक 31.03.2015 तक रू. 64.81 करोड का उपयोग किया है।

(ii) **चरण 1 (वडोदरा–रेवाड़ी) 920 किमी. (जायका) (JICA) निर्माण**

चरण। के निर्माण के लिए 90.262 (नब्बे बिलियन दो सौ बासठ मिलियन) जापानी येन का ऋण करार आईडी–पी 209 पर जायका के साथ हस्ताक्षर हो गए है और इसमें से दिनांक 31.3.2015 तक रू. 731.60 करोड़ का उपयोग किया गया है।

(iii) **पश्चिम डेडीकेटेड फेट कोरीडोर चरण–2 के लिए ऋण करार (मुख्य ऋण)**

वर्ष के दौरान जायका के साथ 136.119 (एक सौ छत्तीस एक सौ उन्नीस) बिलियन जापानी येन का आईडी–पी 229 ऋण करार हुआ और इसी के साथ संपूर्ण पश्चिम डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए धन की व्यवस्था हो गई है। दिनांक 31.3.2015 तक इस राशि में से कोई खर्च नहीं किया गया है।

(IV) **पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय–कानपुर–खुर्जा–लुधियाना सेक्शन 1131 किमी.और खुर्जा–दादरी सेक्शन के लिए धन की व्यवस्था–**

- विश्व बैंक पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय–लुधियाना की फंडिग के लिए पहले ही सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। परियोजना के लिए कुल $2,725 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर सहमति हुई थी।
- जिसमें पूर्वी डेडीकेटेउ फ्रेट कोरीडोर के खुर्जा–भाउपुर (343 किमी.)सेक्शन के चरण–1 परियोजना के लिए ऋण सं. 8066 आई एन द्वारा 975 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण के लिए दिनांक 27.10.2011 को हस्ताक्षर किए गए और दिनांक 31.03.2015 तक इस ऋण में से रू.499.27 करोड़ का उपयोग किया गया है।
- भाउपुर–मुगलसराय (पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर–2 के लिए रू. 1100 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है और ऋण करार पर दिनांक 11.12.2014 को हस्ताक्षर किए गए और दिनांक 31.03.2015 तक रू.1.55 करोड़ का उपयोग किया गया है।
- पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर–2 परियोजना खुर्जा–शाहनेवाल सेक्शन के लिए तकनीकी बातचीत दिनांक 13.05.2015 को हुई थी जिसमें बातचीत को दिनांक 27.05.2015 को आगे बढ़ाया गया। विश्व बैंक द्वारा दिनांक 30.06.2015 को ऋण राशि अमेरिकी डालर $650 मिलियन स्वीकृत किया गया है। विश्व बैंक द्वारा अग्रिम प्रापण की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

2. कंपनी मामलों के राज्य

2.1 वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिए गए ठेके

वर्ष 2014–2015 दौरान दिए गए ठेके निम्नानुसार हैः

(क) पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोरः (कार्य एवं परामर्श)

1. रेवाड़ी–वडोदरा सेक्शन (ईएमपी–4) के लिए विद्युत और यांत्रिक पैकेजः स्वीकृत पत्र दिनांक 18.11.2014 को जारी कर दिया गया है और ठेका करार पर दिनांक 04.03.2015 को हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। ठेका दिनांक 01.05.2015 से प्रभावी हुआ था और ठेके के लिए चालू करने की तारीख 15.05.2015 है।

2. **साबरमती और माही नदियों के ऊपरी पुल के लिए विशेष स्टील पुल पैकेज (सीटीपी–3ए):**

   स्वीकृत पत्र दिनांक 26.08.14 को जारी कर दिया गया है। ठेका नवम्बर 2014 में कार्यान्वित करना था और ठेके को चालू करने की तारीख 20.11.2014 है।

3. **पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर चरण–1 (पीएमसी–1) के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शः** स्वीकृति पत्र दिनांक 21.02.2014 को जारी किया गया था, ठेका करा का निष्पादन दिनांक 27.03.2014 को किया गया था और ठेके का 11 अप्रेल 2014 को कार्यान्वित करना था।

(ख) पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोरः (कार्य एवं परामर्श)

1. मुगलसराय–करचना सेक्शन (ईडीएफसी–2) ठेका पैकेज–201 के सिविल, ढांचा और ट्रेक कार्यों की डिजायन और निर्माणः जीआईएल–एसआईएल(जेवी)को दिनांक 31.03.2015 को ठेका दिया गया है। ठेका करार पर दिनांक 27.05.2015 को हस्ताक्षर किए गए और चालू करने की तारीख 12.05.2015 है।

2. करचना–न्यू भाऊपुर सेक्शन (ईडीएफसी–2) ठेका पैकेज–202 के सिविल,ढाचां और ट्रेक कार्य के लिए डिजायन एवं निर्माण : जीआईएल–एसआईएल(जेवी) को दिनांक 31.03.2015 को ठेका अवार्ड किया गया । ठेका करार पर 27.05.2015 को हस्ताक्षर किए गए और चालू करने की तारीख 12.05.2015 है।

3. पूर्वी डीएफसी परियोजना–1 भाउपुर–खुर्जा के लिए क्वालिटी ओर संरक्षा लेखा परीक्षण परामर्श सेवाएंः मोट मेकडोनाल्ड लि.(यूके)और मोट मेकडोनाल्ड प्रा.लि.(भारत) को ठेका दिया गया है ओर ठेके पर दिनांक 06.05.2014 को हस्ताक्षर किए गए।

4. ईडीएफसी परियोजना–2 के मुगलसराय–न्यू भाउपरु सेक्शन के लिए पीएमसी सेवाओं को सिस्ट्रा एस.ए.फ्रांस के जेवी, सिस्ट्रा एमवीए कन्सल्टींग (भारत)प्रा.लि., मोट मेकडोनाल्ट लिमिटेड(यूके) एवं मोक मेकडोनाल्ड प्राईवेट लिमिटेड(भारत) को दिनांक 31.03.2015 को दिया गया।

(सी) परिचालन एवं व्यवसाय विकास विभाग ।

1. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के दनुकुनी–सोननगर सेक्शन के दनकुनी–गोमोह चरण–1 पीपीपी निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण के एक मॉडल रियायत करार को विकसित करने लिए कानूनी परामर्शदाता के नियुक्ति के लिए परामर्श ठेका मेसर्स एचएएस एडवोकेट्स को दिया गया ।

2. **चालू वित्त वर्ष 2015–16 में दिए जाने वाले ठेके**

(क) पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (कार्य एवं परामर्श):

चालू वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित ठेकों को अंतिम रूप दिया गया।

1. पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर चरण–1, रेवाड़ी–वड़ोदरा के लिए सिगनल एवं टेलीकॉम पैकेज(एसटीपी–5) की स्वीकृति का पत्र दिनांक 22.06.2015 को जारी किया गया।

2. पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर चरण–2 मकरपुरा–सचिन (134 किमी.) सेक्शन के लिए सिविल एवं ट्रेक पैकेज (सीटीपी–13) का स्वीकृति पत्र दिनांक 22.05.2015 को जारी किया गया।

3. पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के चरण–2 सचिन–वैतरणा (186 किमी.) के लिए सिविल और ट्रेक पैकेज (सीटीपी–12) दिनांक 22.05.2015 को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया।

4. पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर चरण–2 पर विशेष स्टील पुल पैकेज 15ए, 15बी, और 15सी बड़ी नदियों और लम्बे स्पॉन रेल फ्लाई ओवर पर पुलों के लिए क्रमशः जेएनपीटी–संजाली, भरूच–बडोदरा और रेवाड़ी–दादरी सेक्शन के अधिकार वाले क्षेत्रों के लिए तीन ठेका पैकेज के लिए स्वीकृत पत्र दिनांक 03.06.2015 को जारी कर दिए गए।

5. सिगनल और टेलीकॉम पैकेज(एसटीपी–5ए): स्वीकृत पत्र दिनांक 12.08.2015 को जारी कर दिया गया।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित ठेकों को अंतिम रूप दिया जाना है:

6. पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर चरण–1 के इकबालगढ़–मकरपुरा सेक्शन के लिए सिविल और ट्रेक पैकेज (सीटीपी–3(आर) को जनवरी 2016 में अवार्ड किए जाने की योजना है। इस पैकेज को पुनःनिविदा के लिए खारिज किया गया था और प्रापण समय को कम करने के लिए योग्यता मानदंड के लिए बुलाया गया है।

7. लगभग 102 किमी. रूट के वैतरणा से जेएनपीटी सेक्शन के लिए सिविल और ट्रेक पैकेज (सीटीपी–11) के लिए बोली का आमंत्रण किया गया है और बोलियों को अक्टूबर–2015 में प्राप्त होने की कार्यक्रम है । यह आशा की जाती है कि फरवरी– 2016 के अंत में एलओए जारी कर दिया जाएगा।

8. रेवाड़ी–दादरी (128 किमी.)सेक्शन के लिए सिविल और ट्रेक पैकेज (सीटीपी–14) के लिए बोलियों को अंतिम तिथि 02.11.2015 तक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह आशा की जाती है कि इस पैकेज के लिए एलओए को भी मार्च 2016 के अंत तक जारी कर दिया जाएगा । यह सभी सिविल, विद्युत और एसएंडटी कार्यो के लिए संयुक्त पैकेज है।

9. मकरपुरा–जेएनपीटी के लिए विद्युत और यांत्रिक पैकेज (ईएमपी–16) के लिए बोलियां को भी अंतिम तिथि 25.08.2015 तक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण दिया गया है। आशा है कि इस पैकेज के लिए एलओए जनवरी–2016 में जारी कर दिया जाएगा।

10. मकरपुरा–जेएनपीटी सेक्शन के लिए सिगनल एंड टेलीकॉम (एसटीपी–17) पैकेज के लिए बोलियों को अंतिम तिथि 07.11.2015 तक प्रस्तुत करने आमंत्रण दिया गया है। आशा है कि फरवरी–2016 के अंत तक पैकेज को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

11. परियोजना प्रबंधन परामर्श(पीएमसी–II)(आर): संपूर्ण पश्चिमी डीएफसी चरण–2 के लिए पीएमसी के लिए पूर्व में खोले गए आरएफपी को पुनः आमंत्रण के लिए डिस्चार्ज किया गया। नए प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और दिनांक 04.07.2015 को तकनीकी प्रस्ताव खोले गए, जो कि वर्तमान में मूल्यांकन के अधीन हैं । आशा है कि सितबंर 2015 के अंत तक ठेके को अंतिम रूप दे दिया जाएगा ।

(ख) पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर : (कार्य एवं परामर्श)

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित ठेको को अंतिम रूप दिया गया :

1. भाऊपुर–खुर्जा सेक्शन पैकेज–104 के लिए टेलीकम्यूनिकेशन और सिगलनिंग, विद्युतीकरण 2x25kv AC 50 Hz को प्रारंभ करने और टेस्टिंग, लगाना, आपूर्ति,निर्माण, डिजायन – ठेके को अल्सटोम कन्सोरियम को दिनांक 21.07.2015 को दिया गया।

2. मुगलसराय–न्यू भाऊपुर के लिए क्वालिटी और संरक्षा आडिट परामर्श– जैनटिनसा को –एस.एन.बोभे(जेवी) दिनांक 06.07.2015 को ठेका दिया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित ठेकों को अंतिम रूप दिया जाना है :

3. मुगलसराय–न्यू भाऊपुर सेक्शन, पैकेज 203 के लिए डिजायन, आपूर्ति, निर्माण, सिगलनिंग, टेलीकम्यूनिकेशनः मार्च, 2016 में अधिनिर्णय की संभावना है।

4. मुगलसराय–न्यू भाऊपुर सेक्शन, ठेका पैकेज 204 का विद्युतीकरण 2x25KV, 50HZ,AC ट्रेक्शन के लिए डिजायन, आपूर्ति, निर्माण इन्सटालेशनः मार्च 2016 में अधिनिर्णय की संभावना है।

5. शाहनेवाल–पिलखनी सेक्शन कान्ट्रेक्ट पैकेज–301 के लिए सिविल, ढांचा और ट्रेक कार्यों के निर्माण और डिजायन : मार्च 2016 में अधिनिर्णय की संभावना है।

6. दादरी–खुर्जा सेक्शन पैकेज–302 के लिए सिविल, ढांचागत और ट्रेक कार्यों के लिए डिजायन और निर्माणः मार्च 2016 में अधिनिर्णय की संभावना है।

7. हावड़ा की तरफ भारतीय रेलवे के स्टेशन सोनपुल से चिरालापथ्थू डीएफसी के हावड़ा सिरे से और गरबा स्टेशन की तरफ नए सोननगर और किमी 3.16 से 5.38 मिमी से डेहरीऑनसून यार्ड से पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के सबंध में एमबैंकमेंट/कटिंग बलेक्टिंग सहित, वायडक्टस, रेल फ्लाई ओवर, पुलों (बडें और छोटे एवं आरयूबी) की डिजायन और निर्माण की बनावट : फरवरी–2016 में अधिनिर्णय की संभावना है।

8. दुर्गावती–मुगलसराय के बीच ट्रेक और ट्रेक से संबंधित कार्यों की डिजायन एवं निर्माण।

(ग) परिचालन एवं व्यवसाय विकास विभागः

1. भारत में हैवी हॉल क्षमता विकास (एचएचआरसीडीआई) के लिए परामर्श ठेका मेसर्स डिलोटी टच थॉमस्तू इंडिया प्राईवेट लि. को दिया गया ।

2. डीएफसीसीआईएल संस्थागत सुदृढीकरण मॉडयूल (आईएसएमडी) के लिए परामर्श सेवाएंः मसौदा ठेका करार पर दिनांक 22.07.2015 को हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अंतिम ठेका पर अगस्त 2015 में हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

3. डीएफसीसीआईएल के लिए वाणिज्यिक रणनीतियों और मार्केटिंग के विकास के लिए परामर्श सेवाएं (डीएमसीएसडी): मसौदा ठेका करार पर दिनांक 23.07.2015 को हस्ताक्षर किए गए। अंतिम ठेका पर अगस्त, 2015 में हस्ताक्षर होने की संभावना है।

4. डीएफसीसीआईएल के लिए गैर–भेदभावपूर्ण पहुंच के लिए परामर्श सेवाएं (सीएसएनएडी): मसौदा करार पर जुलाई 2015 में हस्ताक्षर होने की संभावना है और अंतिम ठेका पर अगस्त 2015 में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

2.3 ठेको की भौतिक प्रगति

पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

क. कार्य ठेके : इक्विटी फंडड

1. महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में वसई–भरूच सेक्शन पर उतरन और वैतरना के बीच (अनुमानित 200 किमी.) पर 54 बड़े एवं महत्वपूर्ण पुलों की डिजायन एवं निर्माण के लिए एक मुश्त आधार पर ठेका दिया गया है।(ठेका करार नं. एचक्यू/ईएन/डब्लयूसी/ब्रिजेज/डीएंडबी/1/सोमा दिनांक 17.03.2009)

- 46 बड़े एवं 8 महत्वपूर्ण पुलों के कार्य में निर्माण और डिजायन शामिल है 29 पुल खंबे की नींव एवं 25 पुलों की ओपन नींव पर आधारित है।
- 26 मुख्य पुलों के निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है। वर्तमान कार्य की प्रगति 66.47 प्रतिशत है। कार्य को निर्धारित अवधि दिनांक 15.06.2015 तक संशोधित लागत रू 667.81 करोड़ के साथ पूरा किया जाना था लेकिन पक्षों के बीच विवाद हो गया था। आर्बीट्रेशन द्वारा घोषित अधिनिर्णय को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में चुनौती दी गई है। आगे की कार्यवाही न्यायालय के प्रकिया पर आधारित होगी। यद्यपि, कार्य प्रांरभ करवा कर वर्ष 2017 तक पूरा करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Bird's eye view completed Pile from P-21 to P-9

2. **परामर्श ठेकेः इक्विटी फंडड**

वैतरना और उतरन (अनुमानित 200 किमी.) के बीच 54 महत्वपूर्ण एवं बड़े पुलों की डिजायन एवं निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएंः ठेका करार (सीए सं.एचक्यू/ईएन/डब्लयूसी/ब्रिजेज/पीएमसी/1/स्पान), को दिनांक 12.06.2009 को निष्पादित किया गया। ठेके की करेंशी को 14.06.2016 तक बढ़ाया गया है और कार्य प्रगति पर है।

3. **कार्य ठेकेः जायका फंडड**

1. रेवाड़ी–इकबालगढ सेक्शन (सीटीपी–1 एवं 2) के लिए सिविल एवं ट्रेक पैकेजः

- अनुमानित रू.6699/– करोड़ मूल्य पर ठेका अगस्त 2013 में निष्पादित किया गया।
- भगेगा में कक्रींट प्लांट को चालू किया गया है और ट्रायल उत्पादन को शुरू किया गया है।
- लगभग 22 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 14 प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो गई है।
- 25 प्रतिशत मिट्टी का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- 32 बड़े पुलों का कार्य प्रगति पर है।
- 49 छोटे पुलों का कार्य पूरा कर लिया गया है और 201 पुलों का कार्य प्रगति पर है।
- 21 आरयूबी के निर्माण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है।

पश्चिमी डीएफसी भगेगा यार्ड में रेल्स

लॉन्ग लाइन स्लीपर कांस्टिंग प्लान्ट भगेगा–प.डीएफसी

भगेगा में फ्लेश वैल्डिंग प्लान्ट

2. माही और साबरमती नदी के ऊपर विशेष स्टील पुल (सीटीपी–3ए (आर):

- स्वीकृत पत्र दिनांक 26.08.2014 को दिया गया है और कार्य 20.11.2014 से प्रारंभ हो गया है। कार्य में माही नदी पर 585 मीटर लम्बे और साबरमती नदी पर 536 मीटर लम्बा पुल की डिजायन और निर्माण शामिल है ।
- दोनों पुलो के लिए मिट्टी की जांच और हाइड्रोलोजिकल अध्ययन पूरा कर लिया गया है।
- डिजायन और ड्राइंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उप–ढांचागत और सुपर ढांचा का फेब्रीकेशन शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा।

3. पश्चिमी डीएफसी चरण–1(ईएमपी–4) के विद्युत और यांत्रिक कार्य

- मुख्य परियोजना प्रबंधक/जयपुर के अधीन 05 और मुख्य परियोजना प्रबंधक/अजमेर के अधीन 06 ट्रेक्शन सब स्टेशन (टीएसएस) की ठेकेदार के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई और न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण किशनगढ़ पर टीएसएस के लिए को छोड़कर सौप दिया गया है।
- अहमदाबाद और बड़ौदरा यूनिट के अंतर्ग 05 टीएसएस के लिए, तीन लोकेशनों पर भूमि का कब्जा ले लिया गया है और शेष के कब्जे की दिनांक 15.11.15 तक मिलने की संभावना है।
- ठेकेदार द्वारा विभिन्न दस्तावेजों जैसे दस्तावेज कन्ट्रोल प्रक्रिया संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) नीति सर्वेक्षण योजना और कार्यक्रम, डिजायन प्रस्तुत योजना एवं कार्यक्रम, संविदात्मक निर्माण कार्यक्रम, डिजायन गुणवत्ता आश्वासन योजना आदि सौंप दिए गए है, जो कि इंजीनियर द्वारा रिव्यू किया जा चुका है।

4. परामर्श ठेकेः जायका फंडड

1. पश्चिमी डीएफसी चरण–1 के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (रेवाड़ी–वडोदरा):

- फरवरी 2014 में निप्पोन कोई, जापान के नेतृत्व वाले संघ को पीएमसी ठेका दे दिया गया है।
- इस कार्य के क्षेत्र में डिजायन, निर्माण और चालू के चरण के द्वारा 920 किमी.लम्बे पश्चिमी डीएफसी चरण–1 के कार्यान्वयन में डीएफसीसीआईएल का सहयोग करना शामिल है। पश्चिमी डीएफसी चरण–1 के ठेकों में डिजायन–लम्प–सम में इंजीनियर के रूप में पीएमसी की भूमिका होगी।

- मार्च 2014 में ठेका निष्पादित किया गया और सीटीपी–1 एवं 2, सी.टी.पी.–3ए (आर), ईएमपी–4 एवं एसटीपी–5 के ठेकों के कार्य प्रगति पर है।

2. रेवाड़ी–वडोदरा चरण–1 के लिए इंजीनिरिंग सेवाएं परामर्श ठेकाः–

निप्पन कोएई, जापान के नेतृत्व में ठेका दिया गया था पश्चिमी डीएफसी चरण–1 के लिए योजना के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाना, इंजीनियरिंग डिजायन एवं प्रपाण आदि कार्य क्षेत्र में शामिल हैं। जैसे प्रापण प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका, पूर्ण करने की अवधि को 31 दिसंबर 2015 तक बढ़ा दिया गया है। शेष ठेका पैकेज हैंः–

- रेल मंत्रालय द्वारा निष्पादित की गई रोलिंग स्टाक पैकेज (आरएस–7) की बोली 30 जून 2015 को प्राप्त हो गई है । तकनीकी बोली का मूल्यांकन विचाराधीन है।
- इकबालगढ़ से मकरपुरा सेक्शन सीटीपी–3(आर) के लिए सिविल और ट्रेक पैकेज के प्रापण के लिए बोली ,अक्टूबर 2015 में प्राप्त हो जाएगी।

3. वडोदरा–जेएनपीटी और रेवाड़ी–दादरी पश्चिमडीएफसी चरण–2 के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं :

निप्पन कोएई, जापान को नेतृत्व में ठेका दिया गया था। निप्पन कोई, जापान के नेतृत्व में ठेका दिया गया था पश्चिमी डीएफसी चरण–2 योजना के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाना, इंजीनियरिंग डिजायन एवं प्रपाण आदि कार्य क्षेत्र में शामिल हैं। जैसे प्रापण प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका, जून 2016 तक बढ़ाने के लिए सलाहकार को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में पश्चिमी डीएफसी चरण–2 के निम्नलिखित शेष पैकेज प्रगति पर हैंः

- जेएनपीटी–वैतरण (सीटीपी–11) सेक्शन के बीच सिविल एवं ट्रेक पैकेज के लिए।
- रेवाड़ी–दादरी सेक्शन में सिविल और ट्रेक पैकेज–14
- मकरपुरा–जेएनपीटी सेक्शन के बीच ईएमपी–16
- मकरपुरा से जेएनपीटी के बीच सेक्शन के लिए एसएंडटी पैकेज, एसटीपी–17

पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

क. कार्य ठेकेः इक्विटी फंडड (मुगलसराय–सोननगर सेक्शन)

1. मुगलसराय–सोननगर सेक्शन पर न्यू करवन्दिया से न्यू गंज ख्वाजा (अनुमानित 105 किमी.) ब्लेन्किटिंग, बड़े पुलो, छोटे पुलों, आरयूबी, आरओबी सहित डिजायन और निर्माण की फार्मेशन।

   - न्यू करवन्दिया से दुर्गावती स्टेशनों के बीच मिटट्ी और पुलों का भौतिक कार्य पूरा हो गया है।
   - दुर्गावती–गंजख्वाजा सेक्शन में मिट्टी का कार्य प्रगति पर है।

2. मुगलसराय–सोननगर सेक्शन पर अनुमानित 66 किमी. न्यू करवन्दिया से (रेलवे किमी.564) से दुर्गावती तक (रेलवे किमी. 630)को चालू करना और उसकी जांच और ट्रेक का निर्माण और ट्रेक संबधित कार्यों की डिजायन, प्रापण।

   - दुर्गावती–सासाराम के बीच न्यू ट्रेक निर्माण (एनटीसी) मशीन के द्वारा ट्रेक विछाया गया है और खोलने के लिए तैयार है।
   - सासाराम–करवन्दिया सेक्शन के बीच ट्रेक लिंकिग का कार्य प्रगति पर है।

डीएफसी ट्रेक पर मशीन पैंकिंग

डीएफसी विद्युत सब स्टेशन

न्यू करवन्दिया पर आईपीएस लगाना

नया डीएफसी ट्रेक

3. सोन नदी के ऊपर महत्वपूर्ण पुल की डिजायन और निर्माण (अनुमानित लंबाई 3.06 किमी), सोन नगर (रेलवे किमी. 549) और डेहरी–ऑन–सोन (रेलवे किमी.554) के बीच निर्माण कार्य उन्नत चरण मे हैं। पीएससी गर्डर का शुभारंभ प्रगति पर है। जुलाई 2015 तक लगभग 56% प्रगति हुई है।

सोन पुल– गर्डरों का शुभारंभ

4. गंजख्वाजा के निकट रेल फ्लाई ओवर की डिजायन एवं निर्माण, डेहरी–ऑन–सोन एवं मुगलसराय के बीच एमबैंकमेंट/कटिंग सहित ब्लेन्किटिंग, पुलों(बड़े, छोटे एवं आरयूबी)की फार्मेशन और करवन्दिया–डेहरी–ऑन–सोन सेक्शन में पुल कार्य प्रगति पर है। गंजख्वाजा पर फ्लाई ओवर कार्य (आरएफओ) प्रारंभ किया जाना है।

ख. परामर्श ठेके : इक्विटी फंडड (मुगलसराय–सोननगर सेक्शन)

1. फार्मेशन के निर्माण की सुविधा के लिए चैनेज 14.108 किमी.(न्यू करवन्दिया के निकट) से चैनेज 119.437 किमी. (गंजख्वाजा के निकट) (अनुमानित 105 किमी): परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं : सिविल कार्य के निष्पादन के लिए पीएमसी कार्य प्रगति पर है।

2. न्यू करवन्दिया (रेलवे किमी. 564) से दुर्गावती (रेलवे किमी.630) अनुमानित 66 किमी. के लिए ट्रेक, सिगलनिंग और टेलीकॉम कार्यो, ट्रेक्शन पावर सप्लाई, एससीएडीए, ओएचई और सामान्य विद्युत कार्यों डिजायन एवं निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श : ट्रेक और सिस्टम कार्यों के लिए कार्य प्रगति पर है।

3. **सोन नदी के ऊपर महत्वपूर्ण पुल** (अनुमानित लंबाई 3.06 किमी.) और **गंजख्वाजा के निकट रेल फ्लाई ओवर** के निर्माण और डिजायन के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएं : उपरोक्त के लिए पीएमसी कार्य प्रगति पर है।

ग. कार्य ठेके: विश्व बैंक फंडड (लुधियाना–मुगलसराय एवं खुर्जा–दादरी)

1. **भाऊपुर–खुर्जा सेक्शन (एलओटी–101,102 और 103) के लिए सिविल, ढांचागत और ट्रेक कार्य (सीएसटी):**

- मेसर्स टाटा एल्डेसा (जेवी) को तीन पैकेज में निविदा दी गई और मार्च 2013 के दौरान अनुमानित कुल लागत रू. 3267.00 करोड़ के ठेका करार पर हस्ताक्षर किए गए। सभी तीन ठेका पैकेज में कार्य प्रगति पर है।
- लगभग 39 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 32 प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिंल की गई।
- अभी तक 64 प्रतिशत मिट्टी का कार्य पूरा किया गया है। 220 किमी. के एमबैंकमेंट की आधी ऊंचाई (एच/2), 180 किमी.पूरी ऊंचाई (एच) और 152 किमी. के ब्लेन्कट का निर्माण कर पूरा किया गया है।
- रेल फ्लाई ओवर की प्रगति 20 प्रतिशत थी। 07 आरएफओ में से 05 के लिए फाउन्डेशन का कार्य पूरा हो गया है और ढांचागत कार्य प्रगति पर है।
- बड़े पुलों की प्रगति 45 प्रतिशत रही है और 15 मे से 06 बड़े पुलों का कार्य उपढांचागत स्तर पर आ गया है।
- छोटे पुलों की प्रगति 62 प्रतिशत रही है। 243 छोटे पुलों में से 152 और 152 आरयूबी में से 21 का कार्य पूरा हो गया है।
- भादन, मैथा और ढोडखान में अस्थाई डिपों को स्थापित किया गया है। 16 किमी का ट्रेक लिकिंग का कार्य पूरा हो गया है।

पूर्वी डीएफसी–1 भादन में रेल अनलोडिंग गेन्ट्रीज

पूर्वी डीएफसी–1 भादन में ट्रेक लिकिंग एनटीसी मशीन

पूर्वी डीएफसी–1 बड़े और छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर है।

2. मुगलसराय–न्यू भाऊपुर सेक्शन(सीपी 201 एवं 202) के लिए सिविल, ढांचागत और ट्रेक कार्यः

मार्च 2015 में मेसर्स जीएमआर–एसईएल (जेवी) को ठेका एवार्ड किया गया और मई 2015 के दौरान ठेका प्रांरभ हो गया है। ठेकेदार ने श्रमशक्ति और मशीनरी जुटा दिए हैं।

जियोटेक्नीकल सर्वेक्षण और विस्तृत टोपोग्राफिक सर्वेक्षण प्रगति पर है। क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कार्य प्रांरभ कर दिया गया है। डिजायन टीम को लगा दिया गया है और डिजायन संरेखण प्रगति पर है। बाउन्ड्री पर डिगिंग ट्रेंन्च द्वारा आरओडब्ल्यू का भौतिक कब्जा शुरू कर दिया गया है। 90 प्रतिशत से अधिक भूमि के आरओडब्ल्यू को सीएसटी ठेकेदार को सौंप दिया गया है। फर्म डिमार्केशन के लिए बाउन्ड्री पर ट्रेंच डिगिंग प्रारम्भ हो गया है।

जियोटेक्नीकल जांच का कार्य प्रगति पर है।

टोपोग्राफीकल सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है ।

घ. परामर्श ठेका : विश्व बैंक फंडड

1. पूर्वी डीएफसी–1 के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (भाऊपुर–खुर्जा):

- मेसर्स साइ–टिपसा (SAI-TYPSA) संघ को ठेका एवार्ड कर दिया गया है और अक्टूबर 2013 के दौरान ठेके पर हस्ताक्षर हो गए थे।
- इन सेवाओं में डिजायन, निर्माण, जांच और चालू करने के स्तरों के माध्यम से प्रणाली ठेके और सीएसटी कार्यान्वयन शामिल है। पूर्वी डीएफसी–1 के लिए ठेके का डिजायन–बिल्ड–लम्प सम का प्रबंध में पीएमसी इंजीनियर की भूमिका रहेगी।
- वर्तमान में एवार्ड किए गए सिविल ठेका मेसर्स टाटा–एल्डेसा(जेवी) और प्रणाली ठेका के कार्यान्वयन की सेवाएं प्रगति पर है।

2. पूर्वी डीएफसी–2 के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श(न्यू भाऊपुर–मुगलसराय)

- मेसर्स सिस्ट्र–मोटटमेकडोनाल्ड संघ को ठेका एवार्ड किया गया और ठेका करार पर जून– 2015 के दौरान हस्ताक्षर हुए। ठेका 1 जुलाई 2015 से शुरू हो गया है।
- इन सेवाओं में डिजायन, निर्माण, जांच और चालू करने के स्तरों के माध्यम से प्रणाली ठेके और सीएसटी कार्यान्वयन शामिल है। पूर्वी डीएफसी–2 के लिए ठेके का डिजायन–बिल्ड–लम्प सम का प्रबंध में पीएमसी इंजीनियर की भूमिका रहेगी।
- पीएमसी ने एकत्रीकरण शुरू कर दिया है। टीम लीडर ने कार्य संभाल लिया है।

2.4 भूमि अधिग्रहण और सामाजिक सुरक्षा उपाय

डीएफसी संरेखण 09 राज्यों और 66 जिलों से होकर निकलेगा। पूर्वी कोरीडोर पर, डीएफसी संरेखण दानकुनी से लुधियाना तक पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों से गुजरेगा। पश्चिमी कोरीडोर उत्तर प्रदेश में दादरी से वाया हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से जेएनपीटी महाराष्ट्र तक दूरी तय करेगा।

संरेखण में अधिक जनसंख्या क्षेत्र और ढांचागत गिरने को ध्यान में रखते हुए, खुर्जा–पिलखनी सेक्शन में मेरठ, मुजफ्फरनगर और हापुड पर समान्तर से डिटूर तक संरेखण में बदलाव किया गया था । पश्चिमी डीएफसी में भूमि की आवश्यकता में बढ़ोत्तरी के कारण, 3300 किमी. से अधिक के लिए भूमि की कुल आवश्यकता बढ़कर 10667 से 11539 हेक्टेयर हो गयी है। इसमें 9804 हेक्टेयर प्राइवेट भूमि है तथा शेष सरकारी भूमि है । पूर्वी डीएफसी पर, (सोननगर–दानकुनी में 1002 हेक्टेयर के क्षेत्र को शामिल करते हुए 538 किमी के रूट को छोड़कर) लगभग 4548 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ 1318 किमी लंबाई में फैले क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए है। पश्चिमी डीएफसी, यह लगभग 5989 हेक्टेयर के क्षेत्र में 1520 किमी. लंबाई में फैला हुआ है । विशेष रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण रेल संशोधन अधिनियम 2008 (आरएए2008) द्वारा शासित है।

सोननगर–दानकुनी सेक्शन को छोड़कर दिनांक 31.03.2015 तक भूमि अधिग्रहण की प्रगति लगभग 84.2 प्रतिशत और कुल प्रगति 81 प्रतिशत हो चुकी है। 9063 हेक्टेयर प्राइवेट भूमि की कुल आवश्यकता में से (सोननगर–दानकुनी सेक्शन को छोड़कर) केवल 100 हेक्टेयर के हिस्से के संरखेण बदलाव के लिए 20ए की अधिसूचना लंबित है। 7888 हेक्टेयर के लिए (87 प्रतिशत मिलाकार) कुल एवार्ड पूरा हो गया है। सोननगर–दानकुनी सेक्शन, 1002 हेक्टेयर में से 903 हेक्टेयर के 20ए जारी कर दिया गया है। कुल मुआवजा रू 6882 करोड (पश्चिमी डीएफसी रू.4140 करोड़, पूर्वी डीएफसी रू.2742 करोड़) एवार्ड हो गया है।

रेल (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20–ओ के अनुसार, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुर्नस्थापन नीति 2007 अपनाई जानी है। रेल मंत्रालय के पात्रता मैट्रिक्स (ईएम) जारी किया है जिसमें एन आर आर पी 2007 के समकक्ष पैरा पर आधारित परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न पात्रता श्रेणी कवर होती है। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुर्नस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 संशोधित विधेयक के अनुसरण में, नए अधिनियम के प्रावधानों के संबंध डीएसफसीसी द्वारा 01.01.2015 से सभी अर्जन को देय मुआवजा एवं आर एंड आर दिया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा एक नए पात्रता मैट्रिक को जारी किया गया और इसे दिनांक 01.01.2015 से लागू किया गया। यह डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट, सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय,प्रभावित गावों में सार्वजनिक स्थानों के लिए सार्वजनिक सूचना उपलब्ध करवाई गई है। पुनर्वास और पुर्नस्थापन के लिए रू.234 करोड़ का वितरण पूरा किया गया।

सभी व्यवहारिक विकल्पों को अपनाकर भूमि अधिग्रहण और अनिच्छुक पुनर्वास प्रभावों को कम करने तथा पर्याप्त पैकेज को सुनिश्चित करने के लिए और प्रभावित परिवारों के सक्रिय योगदान से पुनर्वास प्रक्रियाओं के तेज कार्यान्वयन के लिए विशेष सावधानी बरती जाती है। कंपनी परियोजना के कार्यान्वयन के कारण प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए उपुर्यक्त पुनर्वास और पुर्नस्थापन उपाय अपनाने के लिए पुनर्वास नीति का निर्माण किया है। विश्व बैंक और जायका की सुरक्षा नीति को पूरा करने के लिए पूर्वी डीएफसी एवं पश्चिमी डीएफसी के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्याकंन अध्ययन संचालित किए गए हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, पुनर्वास कार्य योजना(इएमपी) और पर्यावरणीय मूल्यांकन (ईए) रिपोर्ट एपीएल–3 चरण–1 के पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) (साहनेवाल–पिलखनी),175 किमी. और (दादरी–खुर्जा 46 किमी.) कुल 221 किमी. को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया गया और आम सूचना के लिए डीएफसीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

पूर्वी डीएफसी–2 में आरएपी के सूचारू रूप से कार्यान्वयन, माइक्रो योजना को तैयार करने और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायता के लिए तीन एनजीओ की नियुक्ति की गई । वर्ष के दौरान पूर्वीडीएफसी–2 के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा के पुनरीक्षण और मॉनीटरिंग के लिए एक बाहरी स्वतंत्र एजेन्सी की नियुक्ति की गई। एजेन्सी आर एंड आर, भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा और मॉनीटर करने, आर ए पी और ईएमपी के कार्यान्वयन और इसे सुधारने के लिए अपने सुझाव देगी। पूर्वीडीएफसी के लिए नियुक्त किए गए सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की मॉनीटरिंग और रिव्यू सलाहाकार (एइएसएमआरसी) द्वारा आरआरपी और ईएमपी के योजना कार्यान्वयन की निरन्तर मॉनीटरिंग की जा रही है और इससे डीएफसीसीसआईएल को परियाजना कार्मिका को सुरक्षित पर्यावरण कार्य और क्वालिटी को उपलब्ध कराने में मदद की है।

एपीएल–3 के चरण–1 (साहनेवाल–पिलखनी, 175 किमी. और दादरी–खुर्जा 46 किमी.)कुल 221 किमी. के लिए एसइएसयएमआरसी को लगाने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण भी कर दिया गया है।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर संची प्रभावों के आंकलन के क्रम में, एक संचयी प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (सीआईए) भी तैयार की गई है। पूर्वीडीएफसी परियोजना(लुधियाना से मुगलसराय) की संचयी प्रभाव मूल्यांकन की विस्तृत रिपोर्ट विचाराधीन है।

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित आवश्यकताओं को आर एंड आर प्रक्रिया के द्वारा आवश्यक सहयोग और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया जाता है। डीएफसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए शिकायत निवारण तंत्र के लिए बनाई गई पुनर्वास नीति के ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध उचित मुआवजे के रूप में पुर्नस्थापन या पुनर्वास के लाभ से वंचित हाने पर प्रभावित व्यक्तियों और समूहों की वैध चिंताओं का समाधान किया जाता है। चितांओं/समस्याओं के समाधान करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। शिकायत निवारण समितियों खुर्जा–भाऊपुर और भाऊपुर–मुगलसराय सेक्शन के लए परियोजना एवं जिला स्तर पर गठन किया गया है। परियोजना स्तर पर गठित समिति की जानकारी डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा भूमि मुआवजे से संबंधित समस्याओं को देखने के लिए प्रत्येक जिले के मध्यस्थ (आब्रीट्रेटर्स) की नियुक्ति की गई है।

2.5 दानकुनी–सोननगर पीपीपी परियोजना

यह निर्णय किया गया है कि रेल मंत्रालय द्वारा दो चरणों में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के माध्यम से दानकुनी–सोननगर (540 किमी.) के बीच जो हैं दानकुनी–गोमोह सेक्सन (282.2 किमी.) चरण–1 के रूप में और गोमोह–सोननगर सेक्शन (256.581 किमी.) चरण–2 के रूप में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए निर्माण किया जाएगा। परियोजना का विवरण निम्नानुसार हैः

विवरण		भूमि अधिग्रहण सेक्शन		
		20 ए	20 ई	20 एफ
दानकुनी गोमोह सेक्शन (282.2 किमी.)चरण–1	कुल आवश्यकता	552.75 हेक्टे.	552.75 हेक्टे.	552.75 हेक्टे.
	मार्च–2015 तक प्रगति	552.75 हेक्टे. (100%)	503.00 हेक्टे. (91%)	338.55 हेक्टे. (61%)
गोमोह सोननगर सेक्शन (256.581 किमी.)चरण–2	कुल आवश्यकता	449.50 हेक्टे·	449.50 हेक्टे·	449.50 हेक्टे·
	मार्च–2015 तक प्रगति	259.70 हेक्टे· (58%)	160.50 हेक्टे· (36%)	140.00 हेक्टे· (31%)

- **भूमि अधिग्रहणः चरणवार भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है।**

  हुगली जिले के सिंगूर के बलरामवती मौजा, वर्धमान जिले के शक्तिगढ़,मंकर, अंदल और कुल्टी, पश्चिम बंगाल और बिहार में गया डिटूर ग्रामों को छोड़कर जहां परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार मुआवजा की मांग की जा रही है । कोडरमा डिटूर (57 किमी.) में माओवादी गतिविधियों के कारण, जमीन पर सरेंखण की स्टेकिंग और भूमि अधिग्रहण की गति धीमी है।

- **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर):**

  दानकुनी–गोमोह सेक्शन चरण–1 और गोमोह–दानकुनी सेक्शन चरण–2 की डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया।

- **परियोजना अनुमानित लागत**

  दानकुनी–गोमोह सेक्शन चरण–1 की रियायती अनुमानित लागत रू.4570 करोड़ है। गोमोह–सोननगर सेक्शन चरण–2 की अनुमानित लागत रू. 5520 करोड़ है।

- (04) नए क्रौसिंग स्टेशनों की लोकेशन और संरेखण और (04) नए जंक्शन स्टेशनों के साथ दो केबिन सहित विभिन्न ढांचागत सुविधाओं के लिए दानकुनी–गोमोह (282.2 किमी.) चरण–1 की पुष्टि की जा चुकी है। गोमोह–सोननगर सेक्शन चरण–2 के लिए 06 मे से 02 सरेंखण और लोकेशन अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।

- **मानकों और विशिष्टीकरणों के मेनुअलः**

  मानकों और विशिष्टीकरणों के मसौदे को तैयार करने का परामर्श ठेका मेसर्स राइटस को दे दिया गया है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है ओर दिनांक 17.02.2015 को रेलवे बोर्ड भेज दिया है।

- **वित्तीय मॉडलिंगः**

  रेलवे बोर्ड द्वारा दानकुनी–गोमोह सेक्शन चरण–1 के लिए संदर्भ के नियमों के आधार पर एक परामर्श ठेका मेसर्स ग्रांट थ्रोनटोन को एवार्ड किया गया है। वित्तीय परामर्शदाता द्वारा वित्तीय मॉडलिंग पर मसौदा अंतिम रिपोर्ट दे दी गई है और दिनांक 15.10.2014 को रेलवे बोर्ड भेज दिया गया है।

- **फिजीबिलिटी रिपोर्ट और यातायात अध्यन रिपोर्टः**

  दानकुनी–गोमोह सेक्शन चरण–1 के लिए ''इन हाउस'' फिजीबिलिटी रिपोर्ट और यातयात अध्ययन रिपोर्ट तैयार हो गई है और रेलवे बोर्ड भेज दिया गया है।

- रियायती करार और अन्य दस्तावेजों को विकसित करने के लिए कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की गई है।

2.6 भविष्य के कोरीडोरः

रेलवे बोर्ड ने भविष्य के चार कोरीडोर के लिए पी ई टी एस(प्रीलीमीनरी इंजीनियरिंग एंड ट्रॉफिक सर्वे) प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए हैं:

(I) पूर्व–पश्चिम कोरीडोर (कोलकाता–मुम्बई)–पीईटीएस के अनुसार 2328 किमी.

(ii) उत्तर –दक्षिण कोरीडोर (दिल्ली–चैन्नई)–पीईटीएस के अनुसार 2327 किमी.

(iii) पूर्व तटीय कोरीडोर (खड़गपुर–विजयवाड़ा). पीईटीएस के अनुसार 1120 किमी.

(iv) दक्षिण कोरीडोर (चैन्नई–गोवा) पीईटीएस के अनुसार 890 किमी.

पीटीईएस के कार्य को मेसर्स राइटस द्वारा किया जा रहा है। सितबंर 2011 के दौरान कार्य प्रारंभ किया गया और बिना टैक्स के लागत रू 68.5 करोड़ है।

वर्ष के दौरान राइट्स द्वारा उत्तर दक्षिण कोरीडोर और पूर्व पश्चिम कोरीडोर के लिए पीईटी मसौदा अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया है। पूर्व तटीय कोरीडोर और दक्षिण कोरीडोर (रेनुकुंठा से हुबली) के लिए फील्ड डाटा कलेक्शन पूरा हो गया है। पूर्व तटीय रेलवे के लिए मसौदा पीईटी रिपोर्ट सितबंर 2015 और दक्षिण कोरीडोर के लिए मार्च 2016 में पूर्ण होन की संभावना है।

3.1 निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्तियों एवं पदावधि समाप्ति के कारण कुछ परिवर्तन हुए हैं जो निम्नानुसार हैः

निम्नलिखित निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2014–2015 के दौरान ज्वाइन किया।

1. रेलवे बोर्ड के प्त्र सं.2010/ई(ओ)II/40/25 दिनांक 20.03.2014 अनुसार प्रतिनियुक्ति पर तैनात श्री आर. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल की नियुक्ति पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में होने के कारण, यह निर्णय लिया गया कि श्री आर. के. गुप्ता, अग्रिम आदेश तक प्रबंध निदेशक, डीएफसीसीआईएल का कार्यभार देखना जारी रखेंगे ।

2. रेलवे बोर्ड ने अपने प्त्र सं.2010/ई(ओ)II/40/25 दिनांक 28.07.2014 के अनुसार प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री अंशुमान शर्मा निदेशक/पीपी , डीएफसीसीआईएल को उनके कार्य के अतिरिक्त उनके चार्ज लेने की तारीख से पीइएसबी से नियमित रूप से प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के पद के चयन होने तक अग्रिम आदेशों तक अथवा जो भी पहले हो सौपा गया। उन्होंने प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के रूप में दिनांक 28.07.2014 (अपरान्ह) में कार्य ग्रहण कर लिया।

3. रेलवे बोर्ड के प्त्र सं.2010/ई(ओ)II/40/09 दिनांक 14.10.2014 सक्षम प्राधिकारी ने श्री आदेश शर्मा, आईआरएसई, सीएओ/दक्षिण पश्चिम रेलवे, स्थायी समावेशन के आधार पर 05 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के रूप में नियुक्ति करने का अनुमोदन प्रदान किया है। उन्होंने प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के रूप में दिनांक 20.10.2014(पूर्वान्ह) में कार्यग्रहण कर लिया है।

4. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2013/ई(ओ)II/40/04 दिनांक 27.10.2014 सक्षम प्राधिकारी ने श्री डी. एस. राणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक/डीएफसीसीआईएल को डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में निदेशक/अवसंरचना के रूप में तत्काल समावेशन के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया है उन्होंने निदेशक/अवसंरचना के रूप में दिनांक 27.10.2015 (पूर्वान्ह) को कार्य ग्रहण कर लिया है।

5. रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2009/इन्फ्रा/6/2 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने श्री ए.के.मित्तल, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को तत्काल प्रभाव से डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्हें श्री अरूनेन्द्र कुमार , पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के स्थान पर अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है :

क. रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2013/इन्फ्रा/6/29 दिनांक 08.01.2014, के अनुसार श्री भास्कर गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक की विस्तारित अवधि तीन माह का कार्यकाल दिनांक 07.04.2014 को समाप्त हो गया है।

ख. रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2010/ई(ओ)II/40/25 दिनांक 28.07.2014 के अनुसार श्री आर के गुप्ता, आईआरएसई, महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे ने प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 28.07.2014 (अपरान्ह) मे छोड़ दिया है।

ग. श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/पीपी ने प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 20.10.2014 को छोड़ दिया है।

घ. श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/पीपी ने निदेशक/अवसंरचना के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 27.10.2014 को छोड़ दिया है।

ड़. श्री अरूनेन्द्र कुमार, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने अंशकालिक अध्यक्ष, डीएफसीसीआईएल के पद को दिनांक 27.10.2014 को छोड़ दिया है।

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के समाप्त होने के बाद निम्नलिखित निदेशक का कार्यभार समाप्त हो गया है:

क. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2008/इन्फ्रा/6/1 दिनांक 25.04.2012, के अनुसार, श्री आर. एस. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक ने तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 24.04.2014 को समाप्त हो गया है ।

इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित निदेशक कार्यभार देख रहें है:

क्रसं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण की तिथि
1.	श्री ए.के. मित्तल	अंशकालिक अध्यक्ष(सरकारी)	03.02.2015
2.	श्री आदेश शर्मा	प्रबंध निदेशक	20.10.2014
3.	श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक (परि.नियोजन)	05.04.2011
4.	श्री एच.डी. गुजराती	निदेशक (परि.एवं व्य.विकास)	29.11.2012
5.	श्री एम. के. मित्तल	निदेशक (वित्त)	16.09.2013
6.	श्री डी. एस. राणा	निदेशक (अवसंरचना)	27.10.2014
7.	श्री गिरीश पिल्लई	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	14.11.2012
8.	श्री गजेन्द्र हल्दिया	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	02.05.2008

3.2 बोर्ड की बैठकों की संख्याः

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के दौरान, व्यवसाय के संबंध में निदेशक मंडल की चार बैठकें हुई। निदेशक मंडल की बैठकों की तिथियां निम्नानुसार है :

क्रसं.	तिमाही	तिथि
1.	जून 2014 को समाप्त तिमाही	13.06.2014
2.	सितम्बर 2014 को समाप्त तिमाही	29.08.2014
3.	दिसंबर 2014 को समाप्त तिमाही	13.11.2014
4.	मार्च 2015 को समाप्त तिमाही	12.02.2015

3.3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अंतर्गत निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरण :

कंपनी अधिनियम,2013 के धारा 134(3)(सी)के संदर्भ में कंपनी के निदेशक मंडल सुनिश्चित करते हैं कि :–

(क) वार्षिक लेखा को तैयार करने, लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है और तात्विक विसंगतियों के लिए समुचित स्पष्टीकरण दिए गए है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों, उन्हें सतत लागू किया है और निर्णय लिए है कि किए गए आंकलन विवेक पूर्ण और उपयुक्त हैं जो वित्तीय वर्ष पर और उस अवधि के लाभ हानि खाते में कंपनी के मामलों की सही स्थिति को दर्शातें हैं।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखेबाजी तथा अन्य अनियमित्ताओं की रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए निदेशकों ने समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखा एक कार्यरत कंपनी के आधार पर तैयार किया है।

(ड़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के साथ उचित सिस्टम के कार्यान्वयन का सुनिश्चिय किया है और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त और प्रचलन में हैं। निदेशक मंडल कंपनी पर लागू सभी कानूनों, कंपनी द्वारा तैयार किए गए के साथ गैर अनुपालन में किए गए कंपनी के प्रयासों की वार्षिक समीक्षा करेंगे । इससे कंपनी के आकार के अनुरूप प्रबंधन प्रणाली के अनुपालन को बल मिलता है।

3.4 धारा (149) की धारा (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा का विवरण ।

श्री आर.एस.शर्मा, स्वतंत्र निदेशक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अनुसरण में घोषणा कर दी गई है।

4 लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी एंड ए जी) ने मेसर्स बावेजा एंव कौल, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस को वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी का संविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है और सदस्यों द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक मंडल ने उनका लागू दर के अनुसार पारिश्रमिक रू.8,40,000/–सेवा कर अलग से निर्धारित किया है और पाकेट खर्च अतिरिक्त होगा।

4.1 लेखा परीक्षक और सचिविय लेखा परीक्षक द्वारा अस्वीकार और प्रतिकूल टिप्पणी अथवा आरक्षण, प्रत्येक योग्यता पर बोर्ड द्वारा टिप्पणियां अथवा स्पष्टीकरण।

4.1(क) **सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट**

लेखा अनुबंध परीक्षकों और प्रबंधन के उत्तर की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ''क'' में है।

4.1(ख) **सचिविय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**

सचिविय लेखा परीक्षक और प्रबंधन के उत्तर की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ख'' में है।

4.2 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां:**

31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष में कंपनी के लेखा पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी निल है जो कि रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ग'' पर है ।

5. दिए गए ऋण, किए गए निवेश, दी गई गारंटी और उपलब्ध प्रतिभूमियों का विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण,गारंटी और निवेदन निल हैं ।

6. (नियुक्तियां और प्रबंधन कार्मिकों की परिलब्धियां) नियम 2014 के अंतर्गत कंपनी के नियम 5(2)के तहत् कर्मचारियों का विवरण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी (नियुक्तियां और प्रबंधन कार्मिको के परिलब्धियां) नियम 5(2) के अंतर्गत दी गई सूचना निल है क्योंकि कोई भी कर्मचारी और निदेशक/केएमपी निर्धारित सीमा से अधिक परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहा था ।

7. संबंधित पक्षों के साथ ठेके और करार।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशकों द्वारा रूचि को प्रकट करने के आधार पर, कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 188 (1) में वर्णित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा कोई भी ठेका अथवा व्यवस्थाओं में प्रवेश नहीं किया था।

8. रिपोर्ट की तिथि और वित्तीय विवरण यदि कोई जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के बीच में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं।

दिनांक 31.03.2015 को और रिपोर्ट की तिथि पर सामग्री बदलाव और प्रतिबद्धताओं की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है, वित्तीय विवरण यदि कोई जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के बीच में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं।

9. ऊर्जा का संरक्षण, प्रोद्योगिकी विलयन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम।

कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 134(3)एम के अनुसरण में अपेक्षित विवरणों को कंपनी नियम (लेखा नियम,2014)के साथ लागू को पढ़ा जाएगा जो निम्न हैं:

(क) ऊर्जा का संरक्षण–

(I) ऊर्जा संरक्षण पर की गई कार्रवाई और प्रभाव–

कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर में ऊर्जा संरक्षण के निम्न उपायों को किया गया।

(क) ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों द्वारा वर्तमान सीएफएल फिटिंग को रेट्रो फिटमेंट।

(ख) ओक्यूपेंशी सेंशर को फिट करना।

(ग) बीईई स्टार रेटेट उत्पादों के आवश्यक प्रापण पर नीति।

ब्यूरो ऑफ एनर्जी कुशलता (बीईई) द्वारा कॉर्पोरेट बिल्डिंग को 4 स्टार रेटेट दिया गया है। कॉर्पोरेट बिल्डिंग को 5 स्टार रेटिंग के लिए करने के प्रयास किए जाएंगे। विद्युत लोड बढ़ने के बावजूद कॉर्पोरेट कार्यालय बिल्डिंग में औसतन 5 प्रतिशत ऊर्जा खपत में कमी आई है।

(II) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपायः

डीएफसीसीआईएल नेटवर्क पर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, कोरीडोर और उनकी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में सोलर प्लान्टस को लगाने की योजना बनाई गई है।

(III) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश।

ऊर्जा संरक्षण उपायों पर अनुमानित रू. 12.5 लाख खर्च किए गए।

(ख) तकनीकी समावेशनः

(I) तकनीकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास–निल

(II) जैसे उत्पादन सुधार, लागत कम करना, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन से उत्पन्न लाभ। –निल

(III) आयातित तकनीक के मामलें में (वित्तीय वर्ष के प्रांरभ से तीन वर्ष के अंदर आयात की गई)–निल

(क) आयातित की गई तकनीक का विवरण–लागू नहीं

(ख) आयातित वर्ष–लागू नही

(ग) क्या तकनीक को पूर्ण रूप से अवशोषित किया गया – लागू नहीं

(घ) यदि पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं किया गया तो किस क्षेत्र में नहीं किया गया और उसका कारण : और

(ड़) अनुसंधान और विकास पर किए गए खर्च–लागू नहीं

(ग) समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन और व्ययः

विदेशी मुद्रा अर्जन	–निल
विदेशी मुद्रा का निर्गम	रू.141.31 करोड़ जिसमें से
ब्याज	रू.2.64 करोड़
सेमीनार प्रशिक्षण व्यय	रू.0.09 करोड़
टूर एवं यात्रा व्यय	रू.0.02 करोड़
एल सी ओपनिंग प्रभार	रू.0.40 करोड़
जायका ऋण पर बैंक प्रभार	रू.0.10 करोड़
परामर्श	रू. 56.11 करोड़
कार्य	रू. 81.95 करोड़

10. बोर्ड की राय में यदि यह पाया जाता है कि कंपनी के अस्तित्व को जोखिम हो सकता है, जिसमें उसकी पहचान और तत्व शामिल हो, के लिए जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन और विकास को दर्शाने वाला विवरण।

कंपनी उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया गया है जो कि लेखा परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित है। उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा की शुरूआत दिनांक 01 दिसबंर 2014 से की गई। इन 20 जोखिम को कम करने के लिए योजना बनाई गई है। पहचान की गई जोखिम और न्यून्तम योजना की समीक्षा की जाएगी। और आवधिक आधार पर जोखिम पहचान और प्राथमिक कार्यशालाओं के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। जोखिम प्रबंधन ढांचा को पहले से ही बनाया गया है जिसमें जोखिम प्रबंधन मे स्वतंत्र निदेशक, मुख्य जोखिम प्रबंधक समन्वयक हैं जो जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करते हैं इसमें विभिन्न विभागों जैसे सिविल, एस एंड टी, आईटी, प्रशासन, विद्युत, परिचालन वित्त आदि के प्रमुख होते हैं। और मुख्य परियोजना प्रबंधक जोखिम और न्यूनतम मालिक के रुप में कार्य करेंगे और जोखिम पहचान उसकी, प्राथमिकताओं और न्यूनतम योजना बनाने के लिए जिम्मेदार होंगें। जोखिम प्रबंधन गतिविधियों पर उचित रुप से नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए एम एस आई के माध्यम से जोखिम मॉनिटरिंग और आश्वन मेकेन्जिम को एंटरप्राईजेज जोखिम प्रबंधन के रूप मे उपलब्ध करवाया गया है जो कि विशिष्ट जोखिम को न्यूनतम योजना को प्रभावशाली रूप से मूल्यांकन करेगा।

11. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए कार्यान्वयन और विकसित नीति का विवरण।

समीक्षाधीन वर्श के दौरान कॉर्पोरेट दायित्व के लिए किए गए प्रयासों की रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट के रूप में अनुलग्नक–''घ'' है।

12. अन्य अनुपालन

क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार नागरिकों को व्यवहारिक दृष्टि से शासन प्रणाली से सूचना प्रदान करने का प्रयास है जिसके तहत सार्वजनिक प्राधिकार के नियंत्रण के अंतर्गत नियम, सूचना प्राप्त कर सकते हैं ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को प्रोत्साहन मिल सके।

कंपनी ने एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की है जिसका नाम कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। समीक्षा अवधि के दौरान लगभग 367 आर टी आई के आवेदन प्राप्त हुए और सभी मामलों का निपटान निर्धारित समय में किया गया। सभी जवाब कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जो कि पाक्षिक आधार पर अपडेट की जाती है।

वर्ष के दौरान, कुल 22 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए और सभी का समय से रेल मंत्रालय को जबाब दिया गया।

ख. एम सी ए 21 ई–फाइलिंग

कंपनी नियमों–2006 (इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग एंड आथन्टीकेशन ऑफ डाक्यूमेंटस) और (कंपनी फाइलिंग ऑफ डाक्यूमेंटस एंड फार्म व एक्सेटंन्सिबल बिजनेस रिपोटिंग लेग्योगेज) संशोधन नियम 2012 की शर्तो के अनुसार कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी संवैधानिक प्रपत्र और विवरणियां इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भरी हैं।

ग. समझौता ज्ञापन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी के समझौता ज्ञापन की दिशा में निर्देशों के अनुसार समझौता ज्ञापन 2015–16 पर परिवहन एवं पर्यटन संद्य के कार्य बल के साथ चर्चा करने के बाद रेल मंत्रालय के साथ 23.03.2015 को हस्ताक्षर किए गए। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी को एम ओ यू के लिए ''अच्छी श्रेणी'' प्रदान की गई।

घ. सर्तकता :

सर्तकता विभाग किसी संगठन के प्रबंधन का एक जागरूक भाव और अभिन्न अंग होता है जो कि संगठन के निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सर्तकता विभाग में एक पूर्णकालिक मुख्य सर्तकता अधिकारी है जिसे उसकी टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कंपनी ने निरोधक सर्तकता दंडात्मक सर्तकता की तुलना में निवारक सर्तकता और सुधार के लिए अधिक जोर दिया है। विभाग ने निविदाओं और ठेकों, कार्य का निष्पादन और अन्य प्रक्रियाओं के साथ–साथ शिकायतों की जांच को निर्देशों प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है। पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से रू. 01 करोड़ से अधिक के सभी ठेके और खरीदारी को डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है।

डीएफसीसीआईएल ने शिकायत करने की नीति को अच्छी तरह से परिभाषित किया है जो कि डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर सतर्कता पोर्टल पर उपलब्ध है। वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की 08 शिकायतों के अलावा सीवीसी /रेलवे और अन्य व्यक्तियों से कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई इनमे से 9 शिकायतों का निपटारा किया गया है शेष 05 शिकायतों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। वर्ष के दौरान 14 निरोधक जांच आयोजित की गई इनमें से 7 का निपटारा कर दिया गया है और शेष 7 की जांच की जा रही है और 72 अधिकारियों द्वारा दिए गए अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) के लिए 12 औचक जांचे की गई।

विभाग द्वारा प्रणाली सुधार का कार्यान्वयनः

1. वेबसाइट पर निविदाओं को अपलोड करना।
2. अधिकारियों के रोटेशनल स्थानान्तरण।
3. कार्यकारी और वित अधिकारियों द्वारा स्टोर का संयुक्त निरीक्षण।

कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रणाली सुधार :

1. सभी आउटसोर्सिंग स्टाफ का पुलिस सत्यापन आवश्यक किया गया है।
2. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सक्षम प्राधिकारी और डीएफसीसीआईएल अधिकारियों के बीच ड्यूटी की भिन्नता।

जागरूकता और भागीदारी सर्तकता :

केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसरण मे दिनांक 27 सितबंर 2014 से 01 अक्टूबर 2014 तक डीएफसीसीआईएल के सभी कार्यालयों में सर्तकता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष के सर्तकता सप्ताह का विषय था ''तकनीक की शक्ति–भ्रष्टाचार की लड़ाई''। सप्ताह का उद्घाटन शपथ समारोह के साथ मुख्य सर्तकता अधिकारी, डीएफसीसीआईएल द्वारा दिनांक 27.9.2014 को किया गया। उक्त विषय पर एक संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें श्री अनिल सिद्यंल, मुख्य तकनीकी परीक्षक, सीवीसी अतिथि वक्ता के रूप मे उपस्थित थे। तकनीक की शक्ति–भ्रष्टाचार की लड़ाई विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और विजेताओं को उचित पुरस्कार प्रदान किए गए ।

14 कॉर्पोरेट शासन

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर दिशा निर्देशों के साथ कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित फार्म बोर्ड रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंग है।

(क) कॉर्पोरेट शासन, निदेशक मंडल का संयोजन के साथ–साथ उनकी विभिन्न बैठकों में उपस्थिति निदेशकों आदि के पारिश्रमिक और अन्य संबंधित प्रकटनों पर कंपनी के दर्शन के मुख्य बिन्दुओं को कॉर्पोरेट शासन के अनुलग्नक ''ङ'' में रखा गया है। यह निम्न अनुपालन प्रमाण पत्रों के पूरक हैं।

I) वर्ष 2014–2015 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक और बोर्ड सदस्यों द्वारा कोड ऑफ कन्डेक्ट के अनुपालन के साथ प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा अनुलग्नक ''ङ1'' पर प्रस्तुत है।

II) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाण पत्र अनुलग्नक ''ङ2'' पर है।

III) कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त कॉर्पोरेट शासन के अनुपालन की प्रमाण पत्र अनुलग्नक ''ङ3'' पर प्रस्तुत है।

(ख) एक '' प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट'' अनुलग्नक ''च'' पर प्रस्तुत है।

(ग) कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त सचिविय लेखा परीक्षण रिपोर्ट अनुलग्नक ''छ'' पर प्रस्तुत है।

(घ) एमजीटी–9 बोर्ड रिपोर्ट से निर्धारित फार्म में वार्षिक रिटर्न का सार अनुलग्नक ''ज'' में है।

15. रेगुलेटर अथवा न्यायालय द्वारा परित सार्थक और सामग्री आदेशः

रेगुलेटर/न्यायालय द्वारा कोई सार्थक सामग्री आदेश पारित नही किए गए है जो कि कंपनी से संबंधित और उनके भविष्य के परिचालन को प्रभावित कर सकते हों।

16. आभार

निदेशक, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों, क्षेत्रीय रेलों, सांविधिक अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के प्रति उनके सहयोग और संरक्षण के लिए आभार प्रकट करते हैं।

ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और बैंको द्वारा कंपनी को निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए बोर्ड धन्यवाद के साथ उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल और डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों तथा अन्य के प्रति कंपनी को समय–समय पर दिए गए निरंतर बहुमूल्य सहयोग, समर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक 13.8.2015

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर
(ए.के.मित्तल)
अध्यक्ष

अनुलग्नक–"क"

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2015 को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के लिए दिए गए जबाब

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
योग्य विचार के आधार पर 1. बैंकर्स ने लैंड बैंक लेखे (एसएलएओ) से कटौती किए गए कर स्रोत (टीडीएस) पर ब्याज प्राप्त किया है । यह लेखा कंपनी से संबंधित नीं है , कंपनी ने गलत ढंग से इन लेखों में रेल मंत्रालय को भुगतान किए गए समीक्षाधीन परिसंपत्ति को दिखाया है। तद्नुसार चालू परिसंपत्तियों और चालू दायित्यों को रू. 10018560/– करोड़ द्वारा बढ़ा हुआ माना गया है ।	1. डीएफसीसीआईएल और राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) के फ्लेक्सी जमा संयुक्त बैंक खात में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में स्रोत पर कटौती रेल मंत्रालय के आधार पर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी सक्षम अधिकारी है । बैंक में जमा राशि रेल मंत्रालय से संबंधित है और यह कंपनी के लेखों का भाग नहीं है जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट नं. 15.1(ए) में बताया गया है। इसी तरह बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज के साथ–साथ स्रोत पर कटौती पर प्राप्त ब्याज भी कंपनी के लेखें से संबंधित नहीं है । चूकिं स्रोत पर कटौती प्रमाण पत्र बैंक द्वारा कंपनी के नाम से जारी किया गया है और स्रोत पर कटौती की राशि को रेल मंत्रालय को स्थानान्तरित किया जाना है, बुक्त में रेल मंत्रालय को स्थानान्तरित राशि की एक प्रविष्ट की गई है । ऐसी स्थिति में जब भी बैंक द्वारा जारी स्रोत पर कटौती प्रमाण पत्र डीएफसीसीआईएल के पक्ष में दिया गया है वहां लेखा में शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं थ। इस तरह चालू परिसंपत्तियों और चालू दायित्यों पर कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है ।

अनुलग्नक—"ख"

सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्रसं.	टिप्पणियां	प्रबंधन की टिप्पणीयां
1.	कंपनी के निदेशक मंडल ने गैर कार्यकारी निदेशकों और कार्यकारी के संस्थापन का उचित संतुलन नहीं बनाया है।	कंपनी के एसोसियेशन के अनुच्छेदों के अनुच्छे 81 की शर्तों के अनुसार, पूर्ण कालिक निदेशकों सहित प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है । कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय से पूर्व में ही अनुरोध किया जा चुका है कि अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक को कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया जाए और इसकी रेल मंत्रालय से पुष्टि होना शेष है ।
2.	भारत सरकार द्वारा निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, लेखा परीक्षण समिति, परिलब्धि समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 135(1)एवं (3) ओर 177(2) और (3), 178(1) के अनुसार गठन नहीं किया गया है।	रेल मंत्रालय, के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम से 100 प्रतिशत शेयरधारकों के साथ कपंनी एक ''सरकारी कंपनी है''। छह पदेन प्रतिनिधियों के साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण पूंजी को आयोजित किया जाता है । कंपनी के एसोसियेशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 81 की शर्तों के अनुसार, पूर्ण कालिक निदेशकों सहित प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है । कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय से पूर्व में ही अनुरोध किया जा चुका है कि अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक को कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया जाए। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, अधिनियम की आवश्यकतानुसार सांविधिक समितियों का गठन नहीं किया जा सका है ।

अनुलग्नक–"ग"

गोपनीय

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, रेलवे वाणिज्यिक
काफमों, भारतीय रेल, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली

सं.पीडीए/आर–सी/पीएसयू/32–1/डीएफसीसीआईएल/2015–16/284 दिनांक 20.07.2015

सेवा में,
प्रबंध निदेशक
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग
नई दिल्ली– 110001

विषयः 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के प्रधान निदेशक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

महोदय,

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत निल प्रमाण पत्र दिया जाता है । कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुपालन सहित निल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों का प्रमाण पत्र वार्षिक आम सभाा के समक्ष रखा जाए । कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की छह मुद्रित प्रतियां शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं।

पत्र की पावती कृपया भेजें ।

भवदीय

संलग्न– यथोक्त ।

(दिनेश भार्गव)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(रेलवे वाणिज्य)

अनुलग्नक–"ग"

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिर्पोटिंग ढांचे के अनुसार डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना कपंनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कपंनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया जाता है इन वित्तीय विवरणों पर अपनी सलाह देने के लिए इस अधिनियम की धारा 143 की धारा में निर्धारित लेखा परीक्षण पर मानको के अनुसार इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा पर आधारित होती है। उनकी दिनांक 30.06.2015 की लेखा परीक्षण रिर्पोर्ट द्वारा ऐसा किया बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के 31, मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की पूरक लेखा परीक्षण किया है । यह पूरक लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यकरण कागजातों से जानकारी लिए बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षक की जिज्ञासाओं और कंपनी कर्मिकों और लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक ही मुख्य रूप से सीमित रखा गया है । हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर हमारे ज्ञान में कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया है जिससे हम सांविधिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट अथवा कोई अन्य टिप्पणी कर सके।

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक 20.07.2015

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
हस्ताक्षर
(दिनेश भार्गव)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा(लेखा वणिज्य)

अनुलग्नक–"घ"

बोर्ड रिपोर्ट में शामिल सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रारूप

1. कंपनी की सीएसआर नीति, परियोजना का पर्यावलोकन अथवा प्रस्तावित कार्यक्रमों को आयोजित किए जाने की सक्षिप्त रिपोर्ट और सीएसआर नीति और परियोजनाऐं अथवा कार्यक्रमों के संदर्भ में वेबलिंक।

विजनः

समुदाय और हितधारकों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को वढ़ाने एवं उन्हें पूरा करने के लिए सामाजिक दायित्वों की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन ।

मिशनः

बड़े स्तर पर सभी हितधारकों और समाज के लिए जिम्मेदार कॉर्पोरेट ईकाई बनाना ।

कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के साथ, डीएफसीसीआईएल के लिए एक नई सीएसआर नीति बनाई गई जिसका दिनांक 13.11.2014 को निदेशकमंडल की 47वीं बैठक में अनुमोदन किया गया था । वर्ष 2014–15 के दौरान, सीएसआर के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई :

(I) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्किल विकास प्रशिक्षण (पीएपी)

(II) स्कूलों में सामान के साथ कंप्यूटरों को उपलब्ध करवाना ।

(III) निर्माण साइटों पर ईको–सेनीटेशन

(IV) स्वच्छ विद्यालय अभियान (स्कूलों में प्रसाधनों की व्यवस्था)

2. सीएसआर समिति का संयोजनः श्री एच.डी.गुजराती, निदेशक/परिचालन एवं व्यवसाय विकास/डीएफसीसीआईएल – संयोजक, श्री डी.एस.राणा, निदेशक/अवसंरचना/डीएफसीसीआईएल – सदस्य, श्री गिरीश पिल्लई, सलाहकार/अवसंरचना, रेलवे बोर्ड–नामित निदेशक।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत कुल लाभ : रु 28.90 करोड़

4. निर्धारित सीएसआर खर्च(उपरोक्त मद सं.3 की राशि का 02 प्रतिशत): रू.57.80 लाख।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च का विवरणः

   (क) वित्तीय वर्ष में कुल खर्च की जाने वाली राशिः रू.57.80 लाख।

   (ख) खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई होः रू.3.94 लाख।

   (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की राशि का विस्तृत विवरणः

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रसं.	सीएसआर परियोजना अथवा की जाने वाली गतिविधियां	परियोजना को शामिल किए जाने वाला सेक्टर	परियोजना अथवा कार्यक्रम अथवा अन्सय 2. राज्य एवं जिला का उल्लेख जहां योजना अथवा कार्यक्रम किया जाना है	योजना में खर्च की जाने वाली राशि (बजट)अथवा कार्यक्रवार (लाख रूपये मे)	योजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च राशि उप शीर्षः1 योजनाओं पर अथवा कार्यक्रमों :2 पर प्रत्यक्ष खर्च (लाख रूपये में)	रिर्पोटिंग अवधि तक संचयी खर्च	खर्च राशि– प्रत्यक्ष अथवा किसी कार्यान्वयन एजेन्सी के माध्यम से
1	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को स्किल विकास प्रशिक्षण	रोजगार बढ़ाने के लिए वोकेशनल स्किल्स	(क) चिंचानी, दहानू , एल जे राउत प्राइवेट आई टी आई में दिनांक 12.01.2015 से शुरू 29 अभ्यर्थियों के लिए दो माह का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रशिक्षण। (ख) प्रशिक्षणः (20 अभ्यर्थियों के लिए) अभ्यांकर इन्सटीट्यूट, दाहनू फोर्ट के सामने , दहानू–401601 (ग) इन्फ्रोलिंक कंप्यूटर एजूकेशन, वैभव काम्पलेक्स, इरानी रोड, दहानू में 67 अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण। (घ) सेवायोजन अधिकारी पालनपुर एवं बनासकांठा द्वारा बनासंकठा तालूका के अमीरगंढ मे इकबालगढ़ क्षेत्र के निकट परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्किल विकास प्रशिक्षण।	14	13.74	13.74	(क) एल.जे.राउत प्राइवेट, आईटीआई चिंचानी, दहानू महाराष्ट्र। (ख) अंभ्यकर इन्सटीट्यूट, दहानू फोर्ट के सामने, दहानू–401601 महाराष्ट्र। (ग) इन्फ्रोलिंक कम्पयूटर एजुकेशन, वैभव काम्पलेक्स, इरानी रोड, दहानू, महाराष्ट्र। (घ) रोजगार अधिकारी, पालनपुर एवं बनासकांठा , राजस्थान (ड़) मेसर्स धमेन्द्र नाथ, सचिव, नई शिक्षा सुधार समिति, 40, वी.एन.मार्ग, हेवट रोड, इलाहाबाद यूपी (च) मेसर्स कार्तिक शिक्षण संस्थान, 127/289, जूही बस डिपो, कानपुर यूपी

1	2	3	4	5	6	7	8
			(घ)पुरूष चमड़ा पर्स बनाने का प्रशिक्षण और मेरठ यूपी में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए सोलर लालटेंन दी गई। (ङ) कानपुर जिला के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के 04 ग्रामों और इलाहाबाद, कौशाम्बी एवं फतेहपुर यूपी जिले के 06 ग्रामों को कटिंग एवं टेलरिंग और ड्रेस बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।				
2.	स्कूलों में सामान के साथ कम्पयूटरों को उपलब्ध करवाना।	शिक्षा	(क) गोहिलपुरा प्राइमरी स्कूल, ग्रामः नापदवंता, जिला आणंद गुजरात (ख) इंदिरा नगरी प्राइमरी स्कूल, ग्राम, गना, जिला आनंद गुजरात (ग) प्राइमरी स्कूल, लक्ष्मीपुरा(असोदर)ग्राम असोदर जिला आनंद, गुजरात (घ)सरकारी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, ग्राम–खेड़ी कलां, फरीदाबाद, हरियाणा (ङ) सरकारी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, ग्राम–फतेहपुर बिल्लोच, फरीदाबाद, हरियाणा (च) सरकारी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, ग्राम– असावटी, पलवल, हरियाणा (छ) सरकारी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, ग्राम–प्रिथ्थला, पलवल, हरियाणा।	4.00	3.98	3.98	मुख्य परियोजना प्रबंधक/डीएफसीसीआईए, वडोदरा और नोएडा

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	निर्माण साइटों पर पर्यावरण स्वच्छता की व्यवस्था	स्वच्छता	(क)प्राइमरी स्कूल, खेड़ा, ग्राम–उज्जू खेड़ा, जिला, फिरोजाबाद यूपी (ख) गर्ल्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, गुलाबवाड़ी, अजमेर	10.00	5.00	5.00	मुख्य परियोजना प्रबंधक / डीएफसीसीआईएल टूंडला एवं अजमेर
4.	स्वच्छ विद्यालय अभियान (स्कूलों में प्रसाधनों की व्यवस्था)	स्वच्छता	(क) नवीन पब्लिक स्कूल, गुलाबवाड़ी, अजमेर सिटी (ख) सीनियर गर्ल्स सेकेण्डरी स्कूल, रामगंज, अजमेर सिटी (ग) सीनियर बालिका एवं बालक स्कूल, पालारा, अजमेर सिटी (घ) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टेनी, जिला फतेहपुर यूपी (ड) जूनियर हाईस्कूल मौहर जिला फतेहपुर यूपी (च) जीएमएस, गुलाब नगर, जिला यमुना नगर, हरियाणा (छ)जीएमएस, खेरगुरना, जिला पटियाला पंजाब (ज) जीएमएस, अर्बन, जिला पटियाला पंजाब (झ)जेडपी स्कूल बूमतेपाड़ा ग्राम–गुडाली, तहसील, पालघर, जिला– थाणे, महाराष्ट्र (त) भिवन्डी एमएनसी–यूआरसी1, बीएनसीएमसीएस, नं. 69, जिला थाणे, महाराष्ट्र।	30.00	31.14	31.14	मुख्य परियोजना प्रबंधक / डीएफसीसीआइएल अजमेर, इलाहबाद, (पश्चिम), अंबाला एवं मुम्बई

- कार्यान्वयन एजेन्सी का विवरण दें ।

6. यदि कंपनी पिछले तीनों वर्षों में अथवा कोई अन्य कारण से कुल औसत लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रहती है तो बोर्ड रिपोर्ट में खर्च न करने के कारणों को कंपनी को उपलब्ध करवाना होगा।

कारणः स्थानीय बाधाओं, व्यस्त निर्माण गतिविधियों, यातायात के लिए सेक्शन को खोलना ओर स्कूल में की जाने वाली गतिविधियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण दो फील्ड यूनिटो मुगलसराय और जयपुर ने आबंटित राशि का उपयोग नहीं किया। अनुपयोग राशि का इस्तेमाल चालू वित्त वर्ष 2015–16 में किया जाएगा।

7. सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग , कपंनी की नीति और सीएसआर गतिविधियों के अनुपालन सीएसआर कमेटी की जिम्मेदारी का विवरण।

ह/–	ह/–	ह/–
(प्रबंध निदेशक)	(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)	(अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड में वर्णित व्यक्ति) (जो भी लागू हो)

कॉपोरेट शासन रिपोर्ट

अनुलग्नक–"ङ"

1. कार्पोरेट शासन पर कंपनी के दर्शन का संक्षिप्त विवरणः

कंपनी अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को उच्च श्रेणी की पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिचालन और व्यवहारों के सभी क्षेत्रों में समानता के माध्यम से प्राप्त करने में विश्वास रखती है । कॉर्पोरेट शासन सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रणालियों, कानूनों, नियमों विनियमों का अनुपालन और कंपनी को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानकों के अनुसरण का अनुप्रयोग है ।

''गति, ईमानदारी और सफलता'' में विश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसको प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व, जवाबदेही, कर्तव्यपालन, पारदर्शिता तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण मुख्य माध्यम है ।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचनाः

कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 80 के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति ने लिखित में निर्धारित किया है कि डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल में कुल 12 निदेशक होंगे। भारत के राष्ट्रपति ने दिः 04.05.2010 के पत्र सं. 2008/इंफ्रा/6/1 द्वारा डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार अनुमोदित की गई हैः–

- अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड (सी आर बी)
- प्रबंध निदेशक सहित पांच पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशक
- रेल मंत्रालय द्वारा नामित एक
- योजना आयोग द्वारा नामित एक
- आवश्यकता के अनुसार वित्तीय संस्था से एक निदेशक सहित चार स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशक

2.2 बोर्ड की संख्या

रिपोर्ट के समय कंपनी के निदेशक मंडल की कुल मौजूद संख्या सात है जिसमें पांच पूर्णकालिक निदेशक, एक अंशकालिक अध्यक्ष, रेल मंत्रालय से एक अंशकालिक सरकारी निदेशक । योजना आयोग (नीति आयोग) से नामित कोई नहीं है ओर औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा है । वित्तीय संस्थान के लिए आरक्षित एक पद सहित चार स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति में एक पद रिक्त है । कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 81 (1) के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे कंपनी के निदेशकों को नियुक्त कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों ने बोर्ड को ज्वाइन किया ।

1. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2010/ई/(ओ)II/40/25 दिनांक 20.03.2014 द्वारा प्रतिनियुक्त के आधार श्री आर.के.गुप्ता, प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल की महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे के रूप में नियुक्ति के पश्चात्, यह निर्देशित किया गया है कि श्री आर.के.गुप्ता, प्रबंध निदेशक /डीएफसीसीआईएल के पद पर अग्रिम आदेशों तक कार्य करते रहेंगे ।

2. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2010/ई/(ओ)II/40/25 दिनांक 28.07.2014 द्वारा प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/पीपी को उनके कार्य के साथ उनके कार्यभार ग्रहण करने और पीईएसबी से नियमित आधार पर प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के पद को भरने तक अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, सौंपा गया है । उन्होंने प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के पद पर दिनांक 28.07.2015 (अपरान्ह) कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

3. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2010/ई/(ओ)II/40/9 दिनांक 14.10.2014 द्वारा सक्षम अधिकारी ने श्री आदेश शर्मा, आईआरएसई, सीएओ, दक्षिण पश्चिम रेलवे को प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के रूप में तत्काल समावेशन के आधार पर पांच वर्ष के लिए नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया है । उन्होंने प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के पद पर दिनांक 20.10.2014 (पूर्वान्ह) में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

4. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2010/ई/(ओ)II/40/4 दिनांक 27.10.2014 द्वारा सक्षम अधिकारी ने श्री डी.एस.राणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक/डीएफसीसीआईएल को निदेशक/अवसंरचना डीएफसीसीआईएल के रूप में तत्काल समावेशन के आधार पर पांच वर्ष के लिए नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया है । उन्होंने निदेशक/अवसंरचना डीएफसीसीआईएल के पद पर दिनांक 27.10.2014 (पूर्वान्ह) में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

5. रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2009/इन्फ्रा/6/2 दिनांक 03.02.2015 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने श्री ए.के.मित्तल, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को तत्काल प्रभाव से डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में श्री अरूनेन्द्र कुमार, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के स्थान पर अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया है ।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित निर्देशकों का कार्यभार समाप्त हो गया है :

क. रेलवे बोर्ड के दिनांक 08.01.2014 के पत्र सं. 2013/इन्फ्रा/6/29 के अनुसार श्री भास्कर गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक के तीन माह दिनांक 07.04.2014 बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो गया है ।

ख. रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.07.2014 के पत्र सं. 2010/ई(ओ)II/40/25 के अनुसार श्री आर.के.गुप्ता, महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे का प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 28.07.2014 (अपरान्ह) समाप्त हो गया है।

ग. श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/पीपी का प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 20.10.2014 को समाप्त हो गया है।

घ. श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक/ परियोजना नियोजन का 27.10.2014 को प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार समाप्त हो गया है।

ङ. श्री अरूनेन्द्र कुमार, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड का अंशकालिक अध्यक्ष, डीएफसीसीआईएल का पदभार दिनांक 03.02.2015 को समाप्त हो गया है।

वित्त वर्ष 2014–2015 के समाप्त होने के बाद निम्नलिखित निदेशक का कार्यभार समाप्त हो गया है:–

क. रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 24.04.2012 के पत्र सं.2008/इन्फ्रा/6/1 के अनुसार श्री आर.एस.शर्मा, स्वतंत्र निदेशक का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 24.04.2015 को समाप्त हो गया है।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान डीएफसीसीआईएल की बोर्ड की संरचना में उनके द्वारा लिया गया निदेशक पद तथा गत वार्षिक आम बैठक के दौरान बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रकार है।

क्र. सं	निदेशकों की श्रेणी	निदेशकों के नाम / नियुक्ति की तारीख	डीएफसीसीआईएल सहित सरकारी कंपनी में निदेशक / अध्यक्ष के रूप में कुल पद, निजी कंपनियों को छोड़कर 1 और 5	डीएफसीसीआईएल सहित सरकारी कंपनी में समिति की सदस्यता / अध्यक्षत के रूप में कुल पद, निजी कंपनियों को छोड़कर (4 और 5)	2014–15 में (अपने कार्यकाल के दौरान) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठको मे उपस्थिति की संख्या (अपने कार्यकल के दौरान)	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
(i) अध्यक्ष (अंशकालिक सरकारी)							
1	अध्यक्ष रेलवे बोर्ड	श्री ए.के.मित्तल **(डीआईएन–07124281)** (03.02.2015 से कार्यभार संभाला)	अध्यक्ष के रूप में–1	कोई नहीं	1	1	लागू नही
2	अध्यक्ष रेलवे बोर्ड (03.02.2015 तक संभाला)	श्री अरूनेन्द्र कुमार **(डीआईएन–06643537)**(05.07.2013 से कार्यभार संभाला)	अध्यक्ष के रूप में–1	कोई नहीं	3	3	हां
(ii) पूर्णकालिक निदेशक							
1 (क)	प्रबंध निदेशक (28.07.2014 अपरान्त तक कार्यभार देखा)	श्री आर.के. गुप्ता **(डीआईएन 03525313)** (10.05.2011 से कार्यभार संभाला)और दिनांक 20.3.14 से अतिरिक्त कार्य देख रहे हैं ।	1	कोई नहीं	1	1	लागू नही
1 (ख)	अतिरिक्त कार्यभार प्रबंध निदेशक (20.10.2014 अपरान्ह) तक संभाला।	श्री अंशुमान शर्मा **(डीआईएन–03500815)** दिनांक 28.07.2015 तक कार्यभार संभाला।	1	कोई नहीं	1	1	हाँ
1 (ग)	प्रबंध निदेशक	श्री आदेश शर्मा **(डीआईएन–07022393)** दिनांक 20.10.2014 से कार्यभार संभाला।	1	कोई नहीं	2	2	लागू नहीं

2	निदेशक (परियोजना नियोजन)	श्री अंशुमान शर्मा **(डीआईएन– 03500815)** दिनांक 05.04.2011 से कार्यभार संभाला।	1	कोई नहीं	4	4	हाँ
3	निदेशक(परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	श्री एच.डी.गुजराती **(डीआईएन– 01393052)** दिनांक 29.11.2012. से कार्यभार संभाला	1	कोई नहीं	4	4	हां
4	निदेशक (वित्त)	श्री एम.के.मित्तल **(डीआईएन– 02889021)** (16.09.2013 से कार्यभार संभाला)	1	लेखा परीक्षक समिति (सदस्य)–1	4	4	हां
5	निदेशक(अवसरंचना) का कार्यभार संभाला दिनांक 27.10.2014 (अपरान्ह तक)	श्री अंशुमान शर्मा **(डीआईएन– 03500815)** (11.03.2014 से कार्यभार संभाला।)	कोई नहीं	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	निदेशक (अवसंरचना)	श्री डी.एस.राणा **(डीआईएन– 07022825)** दिनांक 27.10.2014 (अपरान्ह से कार्यभार संभाला।)	1	कोई नहीं	4	2 (ओएसडी, प.कोरीडोर) एवं निदेशक/अवसंरचना के रूप में	हां (ओएसडी/ पश्चिम कोरीडोर)
(iii) निदेशक (अंशकालिक अधिकारिक)							
1.	सलाहकार (अवसंरचना)/रेलवे बोर्ड	श्री गिरीश पिल्लई **(डीआईएन– 00382088)** (14.11.2012 से कार्यभार संभाला)	1	लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष)–1	4	4	हां (एक शेयर धारक के रूप में)
2.	योजना आयोग के उपसभापति के सलाहकार	श्री गजेंद्र हल्दिया **(डीआईएन– 02197994)** (02.05.2008 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	4	0	नहीं

(iv) स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर सरकारी)							
1.	अंशकालिक गैर सरकारी 07.04.2014 तक कार्यभार संभाला।	प्रोफेसर भास्कर गुप्ता (23.11.2010 से कार्यभार संभाला) **(डीआईएन– 03391044)**	1	लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष)–1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	अंशकालिक गैर सरकारी दिनांक 24.04.2015 तक कार्यभारत संभाला	श्री आर.एस. शर्मा (25.04.2012 से कार्यभार संभाला) **(डीआईएन– 00013208)**	3	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)–2	4	3	नहीं

नोटः

1. निदेशकों द्वारा निदेशक का पद तथा कमेटियों में सदस्यता उन सीमाओं के भीतर है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। सार्वजनिक कंपनियों की गणना के लिए जहां एक व्यक्ति निदेशक, प्राईवेट कंपनी में निदेशक पद या तो होल्ड करता है अथवा कंपनी की सहायक कंपनी इसमें शामिल होती है ।
2. ''अंशकालिक अधिकारी'' उन निदेशकों के विषय में कहा गया है जिन्हें सरकार ने डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में मनोनीत किया है और जो रेल मंत्रालय तथा योजना आयोग(अब नीति आयोग) के अधिकारी है।
3. ''अंशकालिक गैर सरकारी'' शब्द का अर्थ है स्वतंत्र निदेशक।
4. समितियां जिन पर एक निदेशक सेवा कर सकता है, की सीमा पर विचार के उद्देश्य के लिए सभी सार्वजनिक कंपनियां चाहे वे सूचीबद्ध हों या न हों, में शामिल किया गया है।
5. अध्यक्ष/सदस्यता के लिए सीमा की पहचान के उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षा समिति और हितधारक शिकायत समिति को केवल लिया गया है।
6. ''लागू नहीं'' का अर्थ है कि या तो इन निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के बाद निदेशक का पद संभाला हो या संबंधित प्राचल में इनके कार्यालय के दौरान कमी न आई हो।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, निदेशक मंडल व्यापार हेतु चार बार मिले । डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की तिथियां निम्नानुसार है :

क्रमांक	तिमाही	तारीखें
1.	जून, 2014 को समाप्त तिमाही के लिए	13.06.2014
2.	सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही के लिए	29.08.2014
3.	दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही के लिए	13.11.2014
4.	मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए	12.02.2015

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरणः

i) श्री आदेश शर्मा / प्रबंध निदेशक, डीएफसीसीआईएल, 20.10.2014 से

श्री आदेश शर्मा, ने डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर दिनांक 20.10.2014 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री शर्मा एन.आई.टी.इलाहाबाद से सिविल इंजीनियिरी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वह भारतीय रेलवे इंजीनियरी सेवा के 1979 बैच के अधिकारी हैं।

डीएफसीसीआईएल में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वह दक्षिण पश्चिम रेलवे बैंगलोर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण के पद पर कार्य कर रहे थे। इन्हें रेल परिवाहन के निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग का विशाल अनुभव है। इन्होंने मंडल जोनल एवं रेलवे बोर्ड स्तर पर विभिन्न क्षमताओं में जैसे मंडल रेल प्रबंधक / हुबली, मुख्य इंजीनियर / निर्माण, कार्यपालक निदेशक / सतर्कता, रेलवे बोर्ड और भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरी संस्थान पुणे में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण, दक्षिण पश्चिम रेलवे के पद पर कार्य करते हुए दो वर्षों तक 2012–2013 और 2013–2014 में लगातार क्रमशः 240 किमी.नई लाइन को चालू करने के लिए 25 प्रतिशत लक्ष्य के श्रेष्ठ निष्पादन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के कार्यों के लिए रेल मंत्री कार्य कुशलता शील्ड से सम्मानित किया गया । मंडल रेल प्रबंधक / हुबली के कार्यकाल 2008–2010 के दौरान 36 मिलियन टन लदान के श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए संपूर्ण दक्षता शील्ड सहित 07 शील्डें प्राप्त की।

ii) श्री डी.एस.राणा, निदेशक (संरचना) डीएफसीसीआइएल, 27.10.2014 से

श्री डी.एस.राणा, निदेशक(अवसंरचना) डीएफसीसीआईएल, के पद दिनांक 27.10.2014 से कार्य कर रहे हैं ।श्री राणा सिविल इंजीनियर के साथ परियोजना प्रबंधक में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं । उन्होंने विभिन्न क्षमताओं निर्माण, प्रापण एवं मध्य रेलवे की सतर्कता विंग में कार्य किया हैं । कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वह डीएफसीसीआईएल जयपुर में मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे ।

श्री राणा, डीएफसीसीआईएल के स्थापना चरण से साथ हैं और रेलवे के प्रथम अधिकारी हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित रेलवे सेवा छोड़कर स्थायी समावेशन के आधार पर कंपनी को ज्वाइन किया है । प्रसंगवश वह डीएफसीसीआईएल के बोर्ड के प्रथम आंतरिक अधिकारी भी हैं ।

मुख्य परियोजना प्रबंधक, मुम्बई के रूप में कार्य करते हुए, श्री राणा ने नीतिगत कार्य जैसे परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए आरआरपी एवं मुआवजा मैट्रिक, मुम्बई की उच्च शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को सुनिश्चित कर विभिन्न कार्य किए । उन्हें महाराष्ट्र में बड़ी संख्या सांविधिक पर्यावरणीय क्लीयरेंश प्राप्त करने का श्रेय भी जाता है जो कि जायका के साझेदारी में पश्चिमी कोरीडोर के चरण–2 वित्तीय समाप्ति को समय से कराने का नेतृत्व किया । श्री राणा द्वारा पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों पर लिखे गए आलेख को परियोजना प्रबंधकों के लिए हेंड बुक के रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न अवसंरचना मंत्रालयों एवं पीएसयू को व्यापक रूप से परिपत्रित किया गया ।

iii) श्री अशोक कुमार मित्तल, अध्यक्ष, / डीएफसीसीआईएल, दिनांक 03.02.2015 से

श्री अशोक कुमार मित्तल, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, ने अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में दिनांक 01 जनवरी, 2015 को कार्यभार ग्रहण किया । इससे पूर्व वह सदस्य कार्मिक और भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में रेलवे बोर्ड में कार्य कर रहे थे। 07 जुलाई 1956 को जन्में श्री मित्तल इंजीनियरिंग में स्नातक (आनर्स) हैं।

भारतीय रेल भंडार सेवा(आईआरएसएस) के 1976 बैच के अधिकारी श्री ए.के.मित्तल ने भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में निदेशक/भंडार, कार्यपालक निदेशक/सतर्कता और कार्यपालक निदेशक/भंडार के पद पर कार्य किया है। उन्होंने मुख्य सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे के पद पर भी कार्य किया है। वह पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक और दक्षिण मध्य रेलवे सिकन्द्राबाद और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में भंडार नियंत्रक के पद पर रहे हैं । रेलवे बोर्ड में ज्वाइन से पहले सदस्य, कार्मिक, महाप्रबंधक, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली के पद पर थे। उन्होंने तीन बड़ी रेलवे दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे में अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला है।

6. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का संयोजन

निर्देशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति 14.03.2008 को गठित की गई है और समय समय पर पुर्नगठित की जाती है। वर्तमान में लेखा समिति की संरचना निम्नानुसार है:

क्रसं.	सदस्य	पद	समिति की सदस्यता ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री गिरीश पिल्लई सरकार द्वारा नामित	सदस्य	15.01.2013
2.	श्री एम.के.मित्तल निदेशक/वित्त	सदस्य	13.06.2014
3.	श्री अंशुमान शर्मा निदेशक/परियोजना नियोजन	सदस्य	28.04.2015

दिनांक 14.03.2008 को आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा निर्धारित संदर्भ में कार्य किया जाएगा जो हैं:

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में आवधिक रूप से लेखा परीक्षकों के साथ विचार–विमर्श।
- लेखा परीक्षकों के अवलोकन समित लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र के बारे में विचार–विमर्श तथा निर्णय।
- बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व अर्द्ध वार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंधन से संबंधित किसी भी मामले में जांच पड़ताल।
- निदेशक मंडल द्वारा किसी अन्य मामले को लेखा परीक्षा समिति की जानकारी में लाना।
- आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना तथा देय परिलब्धियों सहित नियुक्ति की शर्तों को तय करना। (16.06.2009 को आयोजित बोर्ड की 12वीं बैठक मं मद सं.4 में जोड़ा गया)

दिनांक 25.06.2010 को पुर्नगठित लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ में।
लेखा परीक्षा समिति में शामिल निम्नलिखित की भूमिका होगी।

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिशें।
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।

4. अनुमोदन हेतु बोर्ड के प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2एए) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले निदेशक की जिम्मेदारी के विवरण के अपेक्षित मुद्दे;

   - यदि लेखा तथा कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन है तो इसके लिए कारण दें;
   - प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर प्राक्कलन सहित प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;
   - लेखा परीक्षा जांच परिणामों में पाए गए वित्तीय विवरणों को उचित समायोजन;
   - वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
   - किसी संबंधित पार्टी के लेन–देन का प्रकटन; तथा
   - लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शर्तें।

6. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

7. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्त समीक्षा।

8. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्ष अधिकारियों की स्टाफिंग तथा वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की पर्याप्त समीक्षा, यदि कोई हो तो।

9. किसी विशेष जांच पड़ताल के लिए आंतरिक लेखापरिक्षकों तथा/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श तथा उसका अनुपालन।

10. ऐसे मामलों की जहां धोखाधड़ी या अनियमित्ता या सामग्री के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता की संभावना की आंतरिक जांच आंतरिक लेखापरीक्षकों/एजेंसी द्वारा की जाएगी तथा निष्कर्ष की समीक्षा और मामले के बारे में बोर्ड को सूचित करना।

11. लेखा परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षा के साथ विचार–विमर्श तथा साथ ही साथ किसी संबंधित क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा उपरांत विचार–विमर्श।

12. जमाकर्ता, ऋणपत्र धारकों, अंशधारकों (घोषित लाभांश के गैर भुगतान के मामले में) तथा क्रेडिटरों को भुगतान में वास्तविक चूककर्ताओं के लिए कारण का पता लगाना।

13. व्हीसल ब्लोअर(मुखविर) मकेनिज्म की कार्यप्रणाली की समीक्षा।

14. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा टिप्पणी पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

15. संसद की सार्वजनिक उपक्रम (सीओपीयू) की समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा।

16. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा निदेशक मंडल के बीच संवाद का मार्ग प्रशस्त करना।

17. कंपनी में पार्टी से संबंधित सभी लेन–देन की समीक्षा। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो पार्टी संबंधी लेन देन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगी।

व्याख्याः– ''संबंधित पार्टी लेन–देन'' कथन का वही अर्थ है जोकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 18 में निहित है।

18. लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखा परीक्षा के साथ समीक्षा ताकि कवरेज की पूर्णता, अत्यधिक प्रयासों की कमी तथा सभी लेखापरीक्षा स्रोतों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना।

19. स्वतंत्र लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्न पर विचार एवं समीक्षाः

   - कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता, और
   - प्रबंधन के प्रत्युतर के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षक की जांच पड़ताल तथा सिफारिशों से संबंध।

20. निम्न का प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार विमर्श तथा समीक्षा।

- पूर्व लेखा परीक्षा की सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान के वास्तविक निष्कर्ष।
- लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आई कोई दिक्कत तथा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिबंध या अपेक्षित सूचना की प्राप्ति।

21. कोई अन्य कार्य करना जैसा कि लेखापरीक्षा के विचारार्थ विषय में उल्लिखित है।

दिनांक 07.08.2012 को पुनर्गठित लेखा परीक्षा समिति के लिए अतिरिक्त विचारार्थ विषय और जारी रखा जा रहा है:

कॉर्पोरेट संचालन पर डीपीई के दिशा निर्देश का अध्याय–4 लेखा परीक्षा समिति के साथ व्यवहार करता है। अध्याय का खंड 4.5 में अपेक्षित है कि निम्नलिखित सूचना की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाएगी।

क) प्रबंध विचार विमर्श और वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण तथा आपरेशंस का परिणाम

ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए पार्टी ट्रांजैक्शन से संबंधित विवरण

ग) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंध पत्र/आंतरिक नियंत्रण निर्बलता

घ) आंतरिक नियंत्रण निर्बलता से संबंधित सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

ङ) लेखा परीक्षा समिति से पूर्व मुख्य लेखा परीक्षक की नियुक्ति या निष्कासन और

च) मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(4)के अतिरिक्त संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति:

1. अन्य बातों के साथ–साथ प्रत्येक लेखा परीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित विशिष्ट संदर्भ के अनुसार कार्य करेगी जिसमें सम्मिलित है–

(i) कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति की शर्तें और परिलब्धियां, नियुक्ति के लिए सिफारिश;

(ii) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र और निष्पादन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए रिव्यू और मानीटर करना ;

(iii) लेखा परीक्षक रिपोर्ट ओर वित्तीय विवरण की जांच;

(iv) संबंधित पार्टीयों के साथ कंपनी के लेनदेन बाद में किसी भी संशोधन अथवा अनुमोदन;

(v) आंतरिक कॉर्पोरेट ऋणों और व्ययों की जांच

(vi) जहां भी आवश्यक हो अंडरटेकिंग अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

(vii) जोखिम प्रबंधन प्रणालीयों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का मूल्यांकन;

(viii) पब्लिक ऑफर ओर संबंधित मदों के माध्यम से उत्पन्न फंड का उपयोग और मॉनीटरिंग;

(ix) तंत्र की निगरानी और जो लेखा परीक्षा समिति निदेशक और कर्मचारी जिनके विरूद्व जुल्म हुए हैं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना और यदि किसी कर्मचारी अथवा निदेशक द्वारा बार बार तुच्छ शिकायतों के मामलें में,लेखा परीक्षा समिति संबंधित निदेशक अथवा कर्मचारी के विरूद्व फटकर सहित उचित कार्यवाही कर सकती है ।

लेखा परीक्षा समिति की शक्तियां :

पर्याप्त शक्तियों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अपनी भूमिका के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति को निवेश किया जाना चाहिए जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

(i) अपनी शर्तों के संदर्भ में किसी भी गतिविधि की जांच।

(ii) किसी कर्मचारी की किसी भी रूप में सूचना की तलाश।

(iii) निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन बाहर से कानूनी अथवा प्रोफेशनल परामर्श लेना।

(iv) यदि आवश्यक हो, संबंधित विशेषज्ञों के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति को सुरक्षित करना।

(v) मुखविर की सुरक्षा करना।

(vi) आंतरिक कन्ट्रोल प्रणाली के बारे में लेखा परीक्षक की टिप्पणीयों को लेखा परीक्षा समिति कॉल कर सकती है , लेखा परीक्षा का क्षेत्र, लेखा परीक्षकों की टिप्पणीयों और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण की जांच और अन्य कोई मुद्दों को आंतरिक और संविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन पर चर्चा कर सकती हैं।

(vii) लेखा परीक्षा समिति के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी शक्तियां।

(viii) कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 177 की उप धारा (4)में वर्णित मदों से संबंधित किसी भी मामलें अथवा बोर्ड द्वारा भेजे गए मामलों की लेखा परीक्षा समिति जांच करने के लिए प्राधिकारी होगी और इस उद्देश्य के लिए उसे बाहरी स्रोतों से पेशेवर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति होगी और उसे कंपनी के रिकार्ड में वार्णित सूचना को उपयोग करने का पूरा अधिकार होगा ।

समीक्षावधि के दौरान समिति में निम्न तिथियों को 5 बार बैठक की–10.06.2014, 18.07.2014, 29.08.2014, 13.11.2014 एवं 12.02.2015

वर्ष 2014–15 के दौरान समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार हैः–

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें**	बैठकों में उपस्थिति***
श्री एम के मित्तल	सदस्य	5	5
श्री आर.एस. शर्मा	सदस्य	5	4
श्री गिरीश पिल्लई	सदस्य	5	5

** ''आयोजित बैठकें'' दर्शाती है कि समिति के सदस्यों की अवधि के दौरान बैठकों की संख्या।

** ''बैठकों में उपस्थिति'' दर्शाती है कि अपने कार्यकाल के दौरान सदस्यों ने कितनी बैठकों में भाग लिया।

4. पारिश्रमिक समिति

I) कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशा निर्देश के अध्याय 5 के संदर्भ में, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया। बोर्ड की पारिश्रमिक समिति में श्री गिरीश पिल्लई, नामित निदेशक, अध्यक्ष, श्री एम.के.मित्तल, अध्यक्ष और श्री एच.डी.गुजराती, निदेशक/परिचालन एवं व्यवसाय विकास इसके सदस्य है, को शामिल किया गया है। पारिश्रमिक समिति निर्धारित सीमा के अंदर वार्षिक बोनस/चल वेतन पूल तथा नीति का निर्णय करेगी ताकि इसे कार्यपालकों तथा गैर यूनियनाइज्ड पर्यवेक्षकों में वितरित किया जा सके। समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक करेंगे।

ii) **निदेशकों की पारिश्रमिक**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार नियुक्त क्रियाशील निदेशक सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) नमूने के अंतर्गत तथा समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन व शर्तों के अनुरूप मेहनताना लेते है। आई डी ए वेतनमान (2007) और भत्तों का बास्केट डीएफसीसीआईएल में कार्यान्वित है।

कंपनी बोर्ड के अंशकालिक सरकारी (सरकार द्वारा नामित) निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। वे सरकार से केवल सरकारी अधिकारी के रूप में पारिश्रमिक लेते है। अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए फीस लेते है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है ।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड/उप समिति की बैठक में उपस्थिति की संख्या*	फीस (रुपयो में)
1	श्री आर.एस. शर्मा	3(बीएम) 4(एसी) 1(सीएसआर)	1,80,000

*इसमें बोर्ड/उप समिति की बैठकों (लेखा परीक्षा समिति की बैठके (एसी) और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर) की संख्या शामिल है । इसमें वर्ष 2013–14 के लिए सिटिंग फीस रू.20,000 शमिल है ।

वर्ष 2014–15 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की पारिश्रमिक पैकज का प्रकटीकरण:

क्र.सं	निदेशक का नाम	वेतन एवं भत्ते (रुपये में)	अन्य लाभ एवं पर्क्स (रुपये में)	निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (रुपये में)	कुल (रुपये में)
1	श्री आर.के. गुप्ता (प्रबंध निदेशक)	31,000.00	—	—	31,000.00
2	श्री आदेश शर्मा (प्रबंध निदेशक)	14,26,876.00	—	—	14,26,876.00
3	श्री एच.डी.गुजराती निदेशक(परि.एवं.व्य. विकास)	28,01,476.00	1,99,209.00	—	30,00,685.00
4	श्री डी.एस.राणा निदेशक(अवसंरचना)	20,95,301.00	2,85,154.00	—	23,80,455.00
5	श्री अंशुमान शर्मा निदेशक(पीपी)	27,40,919.00	1,43,047.00	—	28,83,966.00
6.	श्री एम.के.मित्तल निदेशक (वित्त)	25,03,289.50	2,00,930.00	—	27,04,219.50
	कुल योग	**1,15,98,861.50**	**8,28,340.00**	—	**1,24,27,201.50**

टिप्पणी:

1. अन्य लाभों में लीज किराया, चिकित्सा प्रतिपूति, विदेश सेवा योगदान, नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले अनुलब्धिया ,भविष्य निधि का योगदान शामिल है ।

5. सामान्य बैठकें

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी बैठकों का विवरण नीचे है:

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	स्थान	तारीख	समय
षष्टम	2011–2012	कॉर्पोरेट आफिस – बोर्ड रूम, 5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110001	26.09.2012	15.30 बजे सांय
सातवीं	2012–2013	कमेटी रूम, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड नई दिल्ली–110001	27.09.2013	12.30 बजे सांय
अष्टम	2013–2014	कमेटी रूम, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड नई दिल्ली–110001	19.09.2014	16.00 बजे

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पास किए गए विशेष संकल्पों का विवरण

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	स्थान	तारीख	समय
षष्टम	2011–12	कोई नही	26.09.2012	15.30 बजे दोपहर
सातवीं	2012–2013	कोई नहीं	27.09.2013	12.30 बजे दोपहर
अष्टम	2013–2014	धारा 180(1)(सी)में निर्धारित सीमा से अधिक राशि के ऋण की शक्ति	19.09.2014	16.00 बजे

6. प्रकटन

क. वित्तीय विवरणों को नोट सं.28 में प्रकट किए गए प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के अलावा कंपनी को भौतिक रूप से किसी पार्टी से लेन–देन में नही किया गया है।

ख' कंपनी पर नियमों के तहत् गैर–अनुपालन के लिए किसी सांविधिक प्राधिकार द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया है।

ग. कंपनी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। दिशा निर्देशों के अनुरूप डीएफसीसीआईएल ने अपने बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नीति शास्त्र विकसित किया है और वर्ष 2014–2015 के लिए निदेशक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट शासन तथा प्रबंध विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट भी शामिल की है।

घ. परियोजना निष्पादन डीएफसीसीआईएल को सौंपने के उद्देश्य से व्यय के सभी मदों को डीएफसीसीआईएल के लेखा में नामे किया गया है और वह परियोजना निष्पादन से संबंधित है।

ड. निदेशक मंडल के लिए कोई व्यक्तिगत व्यय नहीं किया गया।

च. प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय का कुल व्यय जो वर्ष 2013–2014 में 5.24 प्रतिशत था वर्ष 2014–2015 में घटकर 4.14 प्रतिशत हो गया है।

7. कॉर्पोरेट संचारः

जनता की उम्मीदों के विकास के लोकतंत्रीकरण को बढानें के लिए भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। इस परिदृश्य में, अवसंरचना परियोजना में संचार की भूमिका काफी बढ़ गई है । इस तरह की मेगापरियोजनाओं के कार्यान्वयन की सफलता संगठन और हितधारकों के साथ निहित होती है। परियोजनाओं के लाभों और राजनीति जोखिम ओरा सामाजिक और सभी हितधारकों के बीच संचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़ी अवसरंचना परियोजनाओं के प्रबंधन और विकास के लिए गए निर्णयों में भी संचार सहायता करता है। यह परियोजनाएं काफी संवेदनशील हैं और इनमें राजनीति, समाजिक, पर्यावरणीय और अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष ध्यान की जरूरत होती है, परियोजना के कार्यान्वयन और सफल निष्पादन आवश्यक होते हैं।

डीएफसीसीआईएल ने हितधारकों एवं उनकी संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार रणनीति पर आधारित प्रभावी कार्ययोजना और उसकी संचार रणनीति को तैयार किया है। संबंधित फोटोग्राफ के साथ प्रेस रिलीज के माध्यम से बड़ी घटनाओं की सूचना और महत्वपूर्ण अपडेट को नियमित रूप से साझा किया जाता है। अवधि के दौरान विभिन्न अवसरों पर 13 प्रेस रिलीज जारी की गई और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में संबंधित का व्यापक कवरेज किया गया । डीएफसीसीआईएल में कार्य की प्रगति से संबंधित समाचार मदों को पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। इसके अलावा डीएफसीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साक्षात्कार के माध्यम से मीडिया विचार विमर्श की भी व्यवस्था की गई हैं और मीडिया में प्रकाशित भी किया गया है।

निर्माण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समय से निविदाओं का प्रकाशन, सूचनाएं और सांविधिक भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं । अवधि के दौरान क्षेत्रीय, और राष्ट्रीय अंर्तराष्ट्रीय समाचार पत्रों में कुल 235 निविदाएं और अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई ।

इसके अलावा, डीएफसीसीआईएल ने सृजनात्मक रेडियो स्पॉट के माध्यम से विशेषरूप से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों हितधारकों को शिक्षित और अभिनव तरीके अपनाए हैं । बिग एफएम, रेडिया मिर्ची, एफएम गोल्ड, विविध भारती और संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न हिंतधारकों में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से सप्ताह के अंत में प्राईम टाइम पर दोनों कोरीडोर सहित बड़े शहरों के एफएम चेनलों पर एक 30 सेकेण्ड का रेडियो स्पॉट प्रसारित किया गया था।

त्रैमासिक डीएफसी न्यूज लेटर में स्थायी आंतरिक संचार विशेषताओं के अलावा आंतरिक सामग्री को भी प्रकाशित किया जाता है और विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों, राज्य सरकार और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों के अलावा अपने कर्मचारियों को वितरित किया जाता है।

संचार में अधिकारियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान डीएफसीसीआईएल द्वारा दो संचार कार्यशालाओं को आयोजन किया गया जिसमें 75 प्रतिभागियों को ब्रान्डिंग, मीडिया परिचनय, संचार और धारणा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया।

कंपनी की अच्छी प्रतिष्ठा को बनाए रखने और उत्पन्न करने के लिए डीएफसीसीआईएल ने 07 से 13 जनवरी 2015 तक आयोजित वाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भाग लिया। प्रदर्शनी में परियोजना से संबंधित एक स्टॉल लगाई गई जिसमें दो लाख से अधिक दर्शकों ने स्टॉल को देखा।

आंतरिक संचार को मजबूत करने के लिए काफी उपाय किए गए हैं । सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालयों में पीआर कार्यो को समन्वित करने के लिए नामित अधिकारी को पदनामित किया गया है। डीएफसीसीआईएल के प्रदर्शन के लिए कॉर्पोरेट फिल्म को तैयार किया गया है और कॉर्पोरेट कार्यालय सहित मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों और सम्मेलनों में इसे दिखाया जा रहा है। सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालयों में परियोजना प्रभावित व्यक्तियो के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं और परियोजना के बारे में गलतफहमी को दूर किया जा रहा है। हितधारकों की सहायता के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार किया गया है और डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

8. लेखा परीक्षा अर्हताः

बोर्ड रिपोर्ट के भाग सचिविय लेखा परीक्षक फार्म सहित लेखा परीक्षा की अर्हता पर प्रबंधन का उत्तर दिया जाता है।

9. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षणः

डीएफसीसीआईएल ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम दिलवाने के लिए चिंतित है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण का विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में अलग से दिखाया गया है। बोर्ड सदस्यों के परिचय के क्रम में , वर्तमान में उनके बोर्ड में ज्वानिंग पर निदेशक को एक सेट दस्तावेज/बुकलेट देने की परम्परा रही है। कागजाातों के कागजातों के सेट में पिछले वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट , ज्ञापन और एसोसियशन के अनुच्छेद, एमओयू के साथ समझौता ज्ञापन , लक्ष्य और उपलब्धियां सम्मिलित हैं। यह पदधारी को मूल सूचनाएं उपलब्ध करवाता है । इसके अतिरिक्त बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, सार्वैजनिक उद्यम संथान द्वारा आयोजत मूल इंडक्शन प्रशिक्षक और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे आईएसबी मोहाली सम्मिलित हैं, नामित किया जाता है।

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन :

निदेशक मंडल को प्रस्तुत मुख्य कार्यकारी और सीएफओ द्वारा हस्ताक्षरित प्रभामण पत्र रिपोर्ट के अनुलग्नक ड–2 में संलग्न है।

11. व्यापार आचार संहित एवं नीति शास्त्र

कंपनी ने बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ स्तर प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार की है जोकि निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं। बोर्ड की 36वीं बैठक में निर्देश के द्वारा बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र जो 1 अप्रैल 2009 से लागू है, को डीपीई के दिशा निर्देश में सुझाये गए मॉडल कोड ऑफ कन्डेक्ट के द्वारा बदला गया। निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के निबधन में, आचार संहिता का पालन किया गया है और वार्षिक अभिवचन सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से प्राप्त किया गया है। 2014–15 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि को प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा को अनुबंध ''ड–1'' में दिया गया है। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.dfccil.gov.in पर भी उपलब्ध है।

12. मुखविर (व्हीसल ब्लोअर) नीति

डीएफसीसीआईएल अपने कार्यों को ऊँचे पेशेवर अंदाज, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करने में विश्वास रखती है और अपने सभी कर्मचारियों के नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए कंपनी एक ऐसी संस्कृति के निर्माण में विश्वास रखती है जहां सभी कर्मचारियों के लिए उनकी चिंताओं को अनीतिपरक प्रथाओं या कदाचार के संबंध में उठाना सुरक्षित रहेगा। कंपनी ने एक व्हीसल ब्लोअर नीति बनाई है। यह नीति समर्थ कर्मचारियों को समर्थ बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती है जो कंपनी के अंदर गंभीर अनियमितताओं से संबंधित चिंताओं को बिना किसी डर के उठाना चाहते हैं। और जो प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों सहित डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों द्वारा संरक्षित प्रकटन कवर करते है।

13. अनुपालन प्रमाण–पत्र

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरुप में निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंश है।वार्षिक रिपोर्ट के भाग का फार्म (अनुलग्नक ''ड–3'') पर है।

अनुबंध ''ङ''–1

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संचालित व्यवसाय और नीतिशास्त्र संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

मैं, आदेश शर्मा, प्रबंध निदेशक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारीगणों ने 2014–15 के दौरान संचालित व्यवसाय और नीतिशास्त्र संहिता का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया है।

ह./–
(आदेश शर्मा)
प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12.06.2015

अनुलग्नक''ङ–2''

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

प्रबंध निदेशक और निदेशक/ वित्त का प्रमाणन

हमने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरण सहित वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसारः

(i) इन विवरणों में कोई भी हकीकत में असत्य विवरण या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है अथवा विवरणों में गुमराह नहीं किया गया है।

(ii) कंपनी के मामलों में को ध्यान में रखते हुए इन विवरणों के साथ प्रस्तुत सभी सत्य और स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

(iii) जहां तक हमारे ज्ञान एवं विश्वास में है, वर्ष के दौरान कंपनी में किसी भी धोखाधड़ी और गैरकानूनी अथवा कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन मे नहीं किया गया है।

(iv) हम वित्तीय रिर्पोटिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों के रखरखाव और स्थापित करने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिर्पोटिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने इस प्रकार आंतरिक नियंत्रण के संचालन और डिजायन की कमियों लेखा परीक्षको ओर लेखापरीक्षण समिति के समक्ष खुलासा किया है, कमियों को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदम अथवा इन कमियों को दूर करने का प्रस्ताव किया है।

(v) वर्ष के दौरान हमने लेखा नीतियों में बदलाव के बारे में लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षण समिति को सूचित कर दिया है, और इसका खुलासा भी वित्तीय विवरणों में कर दिया गया है और,

(vi) हम इसके लिए सजग है कि कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कुल वित्तीय रिर्पोटिंग कर्मचारी अथवा प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है और न ही कोई धोखाधड़ी की गई है ।

ह./–
एम.के.मित्तल
निदेशक/वित्त

ह./–
आदेश शर्मा
प्रबंध निदेशक

स्थान– नई दिल्ली
दिनांक:13.06.2015

अनुबंध ''ङ''–3

ए के जी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
पताः ए–16, जितारनगर, परवाना रोड़, दिल्ली–110051
फोनः 011–22025417, 9312210264
ई–मेलः guptaashish75@gmail.com

सदस्य
मैं, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय, 5वां तल, डीएमआरसी भवन परिसर
प्रगति मैदान, नई दिल्ली–110001

विषय : केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम 2010 के लिए कॉर्पोरेट संचालन से संबंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत कॉर्पोरेट संचालन की स्थितियों के अनुपालन के प्रसंग में अनुपालन प्रमाणपत्र।

1. यह प्रमाणपत्र डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यहां कंपनी के रूप में परिभाषित) द्वारा कॉर्पोरेट संचालन की नीतियों के वित्तीय वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2015 में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम 2010 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों (यहां दिशानिदेश के रूप में परिभाषित) जो मई, 2010 से लागू है, के अनुपालन के संबंध में जारी किया गया है।

2. कॉर्पोरेट संचालन की नीतियों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। मेरी जांच उन प्रणालियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित है जिनका कंपनी ने कॉर्पोरेट संचालन के लिए अनुपालन किया है जो दिशानिर्देशों के अनुसार है। न तो यह लेखा परीक्षा का भाग है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण (फायनेंशियल स्टेटमैंट) से संबंधित कोई टिप्पणी है। मेरा कर्तव्य है कि जो भी तथ्य दर्ज किए गए हैं उनका आंकलन पेशेवर ढंग से किया जाए तथा प्रत्येक अभिलेख को संपूर्णता और यथार्थता के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

3. प्रमाणपत्र के जारी करने के उद्देश्य के लिए जिन सूचनाओं और स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, मेरे अनुमान के अनुसार वे सब मैंने एकत्र कर लिए हैं और आवश्यकता के अनुसार मुझे संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र तथा अभिलेख उपलब्ध कराए गए।

4. मैं, प्रमाणित करता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2015 में कंपनी ने निम्न के अतिरिक्त अपनी कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट में विभिन्न दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है;

   क. खंड सं. 3.2 जो निदेशक मंडल संयोजन–नामित निदेशकों से संबंधित है।

   ख. खंड सं. 3.6 जो आपदा प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण तथा संरेखण से संबंधित है।

5. मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह अनुपालन इस बात का आश्वासन नहीं देता कि जिस प्रकार से प्रबंधन ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया, भविष्य में भी इस प्रकार की दक्षता तथा कार्य कुशलता के साथ कार्य करता रहेगा।

ह./–
आशीष कुमार गुप्ता
कंपनी सचिव
एफसीएस, एलएल.बी, बीएससी (एच)
एफसीएस.–6433, सी.पी. 6359

स्थानः दिल्ली
दिनांक 05.08.2015

अनुबंध–च

प्रबंधकीय विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

औद्योगिक ढांचा एवं विकास

किसी देश का संपूर्ण आर्थिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास से मापा जा सकता है। भारतीय रेलवे का नक्शा नशों का एक ऐसा नेटवर्क है जो भारत की अर्थव्यवस्था के हृदय में रक्त संचार की तरह कार्य करता है । भारतीय रेलवे सामाजिक आर्थिक विकास की प्रमुख भूमिका के साथ प्राचीन भारत का एक यूनिक इन्टीग्रेटर है।

रेल परिवहन हमारे देश के परिवहन ढाचें में रीढ़ की हड्डी के समान है । रेल परिवहन को जवाबदेह, आरामदेह, और सुरक्षित और ग्लोबल मानकों के अनुसार होना चाहिए। भारतीय रेल माल भाड़ा के मार्केट शेयर को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, डीएफसीसीआईएल ने एक ''विषेश उद्देश्य व्हीकल'' को ध्यान में रखकर डेडीकेटेड फ्रेट लाइनों के लिए योजना एवं विकास, निर्माण, रखरखाव और परिचालन का उत्तरदायित्व लिया है।

उन्होंने अपने भाषण में ''डीएफसीसीआईएल परियोजना के बारे में उल्लेख किया है'' पूर्वी और पश्चिमी रूटों पर दो डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजनाओं का कार्यान्वयन एक संचयी कदम है। वर्ष 2015–2016 में हमारा लक्ष्य सिविल ठेकों को 750 किमी. और प्रणाली ठेकों को 1300 किमी. एवार्ड करने का रहेगा। चालू वर्ष में पूर्वी डीएफसी के दुर्गावती–सासाराम के 55 किमी.सेक्शन को पूरा करने का प्रस्ताव है। चार अन्य डीएफसी के लिए प्राथमिक इंजीनियरिंग कम यातायात सर्वेक्षण(पीईटीएस) प्रगति पर हैं और इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। हमारा विचार है कि डीएफसी फीडर रूटों के निर्माण को निजी भागीदारी से किया जाए।

कंपनी की दृष्टि और मिशन निम्नानुसार हैः

विजनः

भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी को बनाने और ग्राहक की तरफ ध्यान देते हुए विश्वसनीय सेवाओं के माध्यम से रेल के शेयर बाजार का विस्तार करना है।

मिशनः

समर्पित एजेन्सी के रूप में मिशन को वास्तविकता में करने के लिए डीएफसीसीआईएल का मिशन हैंः

1. उचित तकनीक के साथ कोरीडोर को बनाना ताकि ग्राहकों को सस्ते विकल्पों को प्रदान किए जा सकें और अतिरिक्त क्षमता और सुनिश्चित कार्यकुशलता जवाबदेही, सुरक्षा प्रदान कर मालभाड़ा के बाजार के शेयर को भारतीय रेलवे द्वारा प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना।

2. सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए एवं परिवहन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुकूल पर्यावरण माध्यम के रूप में उपयोगकर्ताओं को बढ़ावा देकर रेलवे को अपनाना।

परियोजना निष्पादन पर पूंजीगत खर्च

31, मार्च 2015 को परियोजना निष्पादन पर संचयी खर्च रू.6130.24 करोड़ हुआ जिसमें स्थायी परिसंपत्तियों पर रू.12.24 करोड़, प्रगति में पूंजी कार्य पर रू.3772.42 करोड़, विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियों पर रू.9.31 करोड़ ओर पूंजी अग्रिम पर रू.2836.27 करोड़ खर्च शामिल है। वर्ष 2014–15 में परियोजना निष्पादन पर कुल खर्च रू.1961.03 करोड़ जिसमें मूर्त परिसंपत्तियों पर रू.2.85 करोड़, विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियों पर रू.1.68 करोड़, पूंजी अग्रिम पर रू.245.40 करोड़ और प्रगति में पूंजी कार्य पर रू.1711.10 करोड़ शामिल है।

ताकत

परियोजना में भूमि अधिग्रहण ताकत की अपनी पहचान होती है। यहां तक कि दुर्गम क्षेत्रों में, महाराष्ट्र विशेष रूप ग्रेटर मुंबई में, अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) और राज्य के राजस्व और अन्य अधिकारियों के साथ सुचारु रूप से गहन संपर्क के साथ एक सतर्क और संवेदनशील दृष्टिकोण का एक परिणाम है।

डीएफसी स्वंय विद्युतीकृत के कार्यान्वयन में पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। पर्यावरण स्तर पर, आवश्यक रूप से पूर्व पर्यावरण सांविधिक मंजूरी इसमें वन भूमि डायवर्जन, सीआरजेड, एएसआई संरक्षित स्मारक, अन्य इको–संवेदनशील जोन की आवश्यक है। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र (टीटीजेड) सहित, मेनग्रोव क्षेत्रों, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क परिसर में सभी राज्यों से पेड़ो कटाई शामिल है।

सामाजिक और पर्यावरण प्रबंधन यूनिट (सेमू) के लिए क्षमता निर्माण किया गया है। अब प्रत्येक कोरीडोर अलग से महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्रोफेशनलस की टीम द्वारा समर्थित है। इसी तरह फील्ड स्तर पर सामाजिक और पर्यावरण गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से सहायक परियोजना प्रबंधक पदस्थ कर सेमू द्वारा क्षमता निर्माण किया गया है।

प्रत्येक कोरीडोर को अब अलग से महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्रोफेशनलस की टीम द्वारा समर्थित किया गया है। इसी तरह फील्ड स्तर पर सेमू द्वारा क्षमता निर्माण किया गया है जहां ईडीएफसी–1, ईडीएफसी–2 एवं ईडीएफसी–3 के लिए सामाजिक एवं पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए सहायक परियोजना प्रबंधक को पदस्थ किया गया है।

निर्माण चरण के लिए पर्याप्त संख्या में विभिन्न स्तरों पर अनुभवी अधिकारियों को पदस्थ किया गया है। संगठन में कार्य के लिए रेलवे की अनुभवी टीम लगाकार एक ताकतवर कार्य किया है।

निर्बलताः

विभिन्न नियमों के अंतर्गत निर्माण सामग्री को प्राप्त करने के लिए सांविधिक क्लीयरेंश को प्राप्त करने देरी के कारण कार्यान्वयन एजेन्सीयों का कार्य प्रभावित हुआ है। इस कार्य को शीघ्र करने के लिए अधिकारियों से निरन्तर संपर्क किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा विभिन्न सांविधिक मंजूरी को प्राप्त करने में देरी और उसके उप ठेकेदार से परियोजना ही साख पर जोखिम हो सकता है।

डीएफसी को दोनों कोरीडोर के लिए 3376 किमी. में फैली 11539 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। पूर्वी कोरीडोर में डीएफसी संरेखण पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से होकर गुजरता है। पश्चिमी कोरीडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरता है। भूमि अधिग्रहण संबंधित राज्यों का विषय होने के कारण कंपनी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकारो/क्षेत्रीय रेलों, केन्द्रीय सरकार, एनआरआरपी 2007 के प्रावधानों द्वारा विभिन्न दिशा निर्देशों के अपनाते हुए पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों के संबंध में फंडिग एजेसियों की आवश्यकता और परियोजना से प्रभावित पक्षों की आशाओं को पूरा करते हुए किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता ओर उचित मुआवजा, पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 संशोसन विधेयक द्वारा पारित, नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी अधिग्रहण के लिए देय मुआवजा एवं आर एंड आर को डीएफसीसी द्वारा दिनांक 01.01.2015 से दिया जा रहा है। नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा एक नया पात्रता मैट्रिक जारी किया गया है और इसे दिनांक 01.01.2015 से लागू कर दिया गया है। संबंधित प्राधिकारियों से अनुमोदन देरी से प्राप्त होने के कारण परियोजना के निष्पादन में बाधा आ सकती है।

सुअवसरः

पर्यावरण अनुकूल तरीके से ग्रीन फील्ड डीएफसी परियोजना के क्षेत्र में भविष्य की डीएफसी परियोजना में वास्तविकता को दोहराने का अवसर प्रदान करना है।

डीएफसी परियोजना सीधे और परोक्ष रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने, रेल परिवहन क्षमता में एक लंबी छंलाग, गारंटीशुदा समय में ट्रंजिट और संचालन क्षमता को लाना होगा।

कार्य के सफलता पूर्वक होने से देश में रेल द्वारा रेल भाड़ा परिवहन में एक नए कीर्तिमान स्थापित होने की आशा है जो कि देश में ''परिवहन लोजीस्टिक'' को कम लागत में लाने का कार्य करेगा।

मेक इन इंडिया से नए अवसर, दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर (डीएमआईसी) और (एडीकेआईसी) अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर को लाने से देश के निर्माण सेक्टर में बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ढांचागत लाभों, उच्च–वोल्यूमैट्रिक और टनेज और उच्च गति क्षमताओं को अन्य परिवहन के माध्यम की अपेक्षा डीएफसी तेजी के साथ प्रगति करेगी। इस लोजिटिक टर्मिनल के विकास और वेगनों के लिए पूर्व में आवश्यकता है।

डीएफसीसीआईएल नेटवर्क/भारतीय रेल नेटवर्क के अंदर उद्योगों के साथ समन्वय रखकर क्षमता को बनाने और डीएफसीसीआईएल के संगठनात्मक ढांचे के अंदर कंपनी को मार्केटिंग टीम को बनाना होगा। रेल परिवहन के लाभों, जैसे ईंधन बचत, पर्यावरण, तीव्र डिलीवरी, किफायती, सड़क परिवहन के अपेक्षा कम लागत में इन्वेन्ट्री के लिए जागरूक करने से विश्व स्तरीय लोजोस्टिक सेवाओं से विश्व स्तरीय लोजोस्टिक ढांचा के विकास में सहभागिता को बढावा मिलेगा।

सेक्टर के ग्रोथ को प्राप्त करने के क्रम में, कंपनी को मार्केट में लोजिस्टिक दाताओं के साथ जेवी के रूप में सभी अवसरों को अपनाना चाहिए। इस दिशा में, कंपनी ने इन्लेंड वाटर ऑथरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन बनाकर शुरूआत की है।

आशंका

समय पर परियोजना की डिलीवरी को सुनिश्चित करने के क्रम में, सभी स्टेक होल्डर्स और परियोजना में सम्मिलित पक्षकारों जैसे रेल मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारें, जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी, विश्व बैंक के साथ समन्वित प्रयासों को करने की आवश्यकता है और डीएफसी अनुमानित समापन लागत के अंदर और समय से प्रत्येक दायित्वों को सुनिश्चित करते हुए कार्य को पूरा सुनिश्चित करना होगा। समन्वित प्रयासों के बावजूद, हमारे अन्दरूनी एवं बाहरी तत्वों से उत्पन्न आशकाओं से परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। निर्माण चरण के दौरान, ठेकेदार को सभी आशकाओं से मुक्त भूमि को देना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। संरेखण से विभिन्न उपयोगिताओं के रिलोकेशन, निर्माण से पहले और निर्माण के दौरान समान्तर सेक्शन में भारतीय रेलवे की परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बड़ी आशंका है। यद्यपि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने अपने संगठनात्मक ताकत बनाई है, ठेकेदार द्वारा प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की उपलब्धता और परियोजना प्रबंधन सलाहकार को सुनिश्चित किया गया है।

रणनितियां

परियोजना में भूमि अधिग्रहण एक चुनौती होती जा रही है। लेकिन संगठन की ताकत का एक ही समय कसौटी, और आगे के परीक्षणों और मुसीबतों के माध्यम से समय सीमा में संगठन की अधिग्रहीत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, कंपनी ने भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति के अनुपालन और उसे सुनिश्चित करने की सतत् रणनीति बनाने का प्रयास किया है। डीएफसी ने उनकी भागीदारी पर बल देकर पुनर्वास और पुनर्वास प्रक्रिया में उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करके परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की जरुरतों को पूरा किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पुनर्वास और पुनर्वास योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया गया। पूर्वीडीएफसी–1 एवं पूर्वी डीएफसी–2 में इसके अलावा प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को 9 राज्यों में बढ़ाया गया है। समय से और परेशानीमुक्त अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों में भूमि अधिग्रहण की प्रगति को मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है और इससे राज्य मशीनरी के साथ अच्छा तालमेल हो रहा है।

कंपनी चालू प्रणाली और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रही है। डीएफसीसीआईएल ने विश्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार अपने ईआरपी (सैप) के कार्यान्वयन के लिए आईटी फर्म का चयन किया है। परियोजना का उद्देश्य है कि वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, उद्यम परिसंपत्ति प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण सूचना प्रबंधन,भौगोलिक सूचना प्रबंधन, पोर्टल, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली आदि को केन्द्रीयकृत कर आंतरिक सोल्यूशन सोफ्टवेयर का कार्यान्वयन करना है। ईआरपी सोल्यूशन को संगठन के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों में चलाया जाएगा। प्रणाली त्वरित निर्णय लेने, विभिन्न कार्यों के बीच बेहतर योजना और समन्वय को सुनिश्चित करने, बेहतर डाटा प्रबंधन, प्रभावी रिपोटिंग, ज्ञान प्रबंधन आदि का कार्य करेगा। इससे समय की बचत होगी।

दृष्टिकोण

कंपनी परिवहन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय अवसंरचना के द्वारा भारत के परिवहन के क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित करने तथा क्षमता को बढ़ाने की ओर अग्रसर होगी। कंपनी परियोजना के कार्यान्वयन में संरक्षा के साथ–साथ गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बचनबद्ध है। इस सबंध में फील्ड कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए उत्तम अर्तराष्ट्रीय निर्माण अभ्यास के उपाय किए गए हैं।

आगे की राह

डीएफसीसी अपने तीन **''एस'' ''ईमानदारी (Sincerity), तीव्र गति (Speed) और सफलता (Success)''** के आदर्श वाक्य के लिए प्रतिबद्ध है जो संगठन के मिशन विजन और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा।

जोखिम और चिंताएं

कंपनी उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना की है जो कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित है । उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे को दिनांक 01 दिसबंर 2014 से कार्यान्वयन किया गया है। ''योजना और निर्माण चरण'' एवं परिचालन चरण'' के दौरान मुख्य 10 जोखिमों की प्राथमिकता और पहचान की गई। इन 20 मुख्य जोखिमों के लिए मिटीगेशन योजना भी तैयार की गई है। जोखिम की पहचान और कम करने की योजना को इस तरह बनाया गया है कि उसे जोखिम पहचान और प्राथमिक कार्यशालाओं द्वारा आवधिक आधार पर अपडेट एवं रिव्यू किया जा सकता है। जोखिम प्रबंधन ढांचे को परिभाषित किया गया है है जिसमें जोखिम प्रबंधक समिति के साथ–साथ कार्यों को करने के लिए एक स्वंतत्र निदेशक, एक मुख्य जोखिम प्रबंधक कोआरडीनेटर जोखिम प्रबंधक समिति को रिपोर्ट करते है, इसमें विभिन्न विभागों जैसे सिविल, एसएंडटी, आईटी, प्रशासन, विद्युत, परिचालन, वित्त आदि और मुख्य परियोजना प्रबंधकगण रहते हैं जो कि जोखिम कम करने की योजना की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और प्राथमिकता के आधार पर कम करने के लिए ढांचा तैयार करते हैं। जोखिम प्रबंधन की गतिविधियों को जोखिम को मॉनीटरिंग के लिए उचित नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाता है और विशिष्ट जोखिम के लिए मिटीगेशन योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन कार्यों के रूप में एमआईएस के माध्यम से मेकेन्जिम एश्योरेंश को सुनिश्चित किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

किसी भी संगठन में, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, जो इकाई प्रबंधन और कार्मिकों को जोखिम से प्रभावित करती है और लक्ष्य को प्राप्त करने, अधिक जोर से परिचालनों को और अधिक व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वयन के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है और हानि, दुरूपयोग और नुकसान के विरूद्ध संसाधनों की सुरक्षा की जाती है। कंपनी की आंतरिक प्रणालियां और पद्धतियां हैं जो परिचालन के कार्यान्वयन को और अधिक व्यवस्थित, नीतिपरक, मितव्ययी कुशलता और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करती हैं। जो कंपनी के आकार के साथ पर्याप्त और समरूप हो। यद्यपि आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है, प्रबंधन निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चत करने के क्रम में सभी आंतरिक नियत्रंण प्रणालियों और प्रक्रियाओं को किया जाता हे और वर्तमान प्रक्रियाओं और आतंरिक नियंत्रण प्रणालियों में आने वाली कमियों का आंकलन किया जाता है, प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत करने के उपाय किये जाते हैं। तद्नुसार, कंपनी में आंतरिक नियत्रण प्रणलियों के लिए लेखा परीक्षण समिति ने एक अध्ययन संचालित किया हैं। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षक रिपोर्टों, सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की भी समीक्षा की जाती है। प्रबंधन लेखा परीक्षक की सिफारिशों एवं निष्कर्षो की समीक्षा करता है, जहां आवश्यक होता है उचित कार्रवाई की जाती है और सिफारिशों के कार्यान्वयन को मॉनीटर किया जाता है।

औद्योगिक संबंधः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध शांति एवं सोहाद्रपूर्ण रहे। डीएफसीसीआईएल ने दिनांक 30.10.2014 को अपना 9वां स्थापना दिवस कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन परिसर में मनाया। संगठन के वार्षिक समारोह में अध्यक्ष, डीएफसीसीआईएल एवं रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारीगण और डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए वार्षिक पुरस्कारों का वितरण किया। दिनांक 21.05.2014 आंतक विरोधी दिवस और दिनांक 20.08.2014 को सद्भावना दिवस मनाया गया। कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में दिनांक 19.11.2014 को राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई।

सूचना तकनीक और विकासः

डीएफसीसीआईएल को कोर व्यवसाय प्रक्रिया में प्रोद्योगिकी के लाभ की एक विशेष पहचान के रूप में दिनांक 13 अगस्त,2014 को सैप

एस (SAP ACE) पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पहला अवसर है जब किसी सार्वजनिक उपक्रम को दिया गया है जहां भूमि अधिग्रहण की अपनी कोर प्रक्रिया के लिए पूर्वी और पश्चिमी कोरीडोर दोनों के 14 मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालयों , कार्पोरेट कार्यालय दोनों में जीआईएस और सीएडी के साथ इसी तरह सैप सोल्यूशन का लाभ दिया गया है।

डीएफसीसीआईएल में अब सैप कार्यान्वयन के अंतिम चरण में हैं। लगभग सभी जांचे पूर्ण हो चुकी हैं और कर्मचारियों और अधिकारियों ने सैप पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। कॉर्पोरेट कार्यालय के चौथे तल पर डाटा सेंटर को स्थापित किया गया है। यह डाटा सेन्टर को डब्लयूएएन(वाइट एरिया नेटवर्क) आधारित वीपीएन अथवा एमपीएलएस(मल्टी–प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग) के प्रयोग द्वारा सभी 14 मुख्य परियोजना प्रबंधकों को जोड़ा गया है। इस तरह पूर्व एवं पश्चिम दोनों कोरीडोर के सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय डीएफसीसीआईएल के डाटा सेन्टर से जुड़ गए हैं। डीएफसीसीआईएल डाटा सेन्टर की क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक जगह लेने पर विचार कर रहा है। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेन्टर का भी प्रस्ताव शुरू किया गया है।

परिचालन स्वीकृति चरण प्रगति पर है। महत्वपूर्ण भागों की परिचालन टेंस्टिग को मानव संसाधन विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है और नियमित रूप से सैप के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। फुटकर एवं छोटे बिलों एवं पेरोल को सैप के माध्यम से किया जाता है।

लगभग सभी डीएफसीसीआईएल कर्मचारियों को ईएसएस(एम्पलाइज सेल्फ सर्विस) लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से अपनी पे स्लिप, छुटटी के लिए आवेदन और विभिन्न यूजर मेनुअलों और अन्य सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। परियोजना ठेकेदार और सलाहकार बिलों के ऑन लाइन प्रस्तुत करने के लिए वीपीएन के माध्यम से ईआरपी सिस्टम से कर सकते हैं।

स्टीयरिंग कमेटी, प्रोसेस ऑनर्स, कोर टीम सदस्यों के निर्देशन में सैप कार्यान्वयन प्रगति पर है। चूंकि सैप का कार्यान्वयन एक डायनेमिक प्रक्रिया है, उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को संबोधित किया जाएगा।

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षणः

डीएफसीसीआईएल का पर्यावरणीय अनुकूल दृष्टिकोण डीएफसी संरेखण के साथ लिए गए कदमों से झलकता है, भूमि अधिग्रहण का चयन, वन भूमि डायवर्जन और कम से कम पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी कर, किया जा सका है। विश्व बैंक और जायका सुरक्षात्मक नीतियों को पूरा करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कोरीडोर के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आंकलन आयोजित किया गया है।

अरावली ईको–संवेदनशील जोन को छोड़कर सभी बड़ी पर्यावरणीय क्लीयरेंश प्राप्त कर ली गई हैं। जिला अलवर, राजस्थान के अरावली क्षेत्र के के लिए क्लीयरेंश प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी तरह गुड़गांव, हरियाणा और मेवात के लिए विवरण एकत्र किया जा रहा है। कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना के अंतर्गत क्लीयरेंश प्राप्त हो गई है। डीएफसीसीआईएल ने अपनी लागत पर ग्रेटर नोएडा के गुलिस्तनपुर में आईआईटी, खड़गपुर के माध्यम से एक जीपीआर सर्वेक्षण को अब पूरा कर लिया है और डीएफसीसीआईएल को शीघ्र ही क्लीयरेंश प्राप्त हो जाएगी और अध्ययन में संरेखण कोई प्राचीन अवशेष नहीं आए हैं।

वर्ष 2014–2015 के दौरान, ईडीएफसी के पिलखनी–शाहनेवाल (लुधियाना) और खुर्जा–दादरी सेक्शन के पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) सहित पर्यावरण मूल्यांकन (ईए) रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और अंतिम रूप दे दिया गया है विश्व बैंक से अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है। इस ईए मसौदा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा विस्तृत प्रचार के लिए डीएफसीसीआईएल वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए स्वीकृति मिल गई है।

कार्यान्वित एजेन्सीयों ने लौट नं.101,102 और 103 के लिए (ईएमपी) डीएफसीसीआईएल की एसएचई मेनुअल और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना पर आधारित अपनी साइट पर एसएचई योजना तैयार की है। ठेकेदार ने पूर्वी डीएफसी–1 के सभी लोट्स में निर्माण गतिविधियों के लिए आईएसओ–14001 ईएमएस एवं ओएचएसएस 18000 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जो कि नवम्बर 2017 तक मान्य रहेगा। एसएचई और ईएमपी की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती हैं और रिपोर्ट तैयार की जाती है। पूर्वीडीएफसी के डीएफसीसीआईएल के अधिकारीगण, पीएमसी अधिकारीगण और एसईएसएमआरसी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्य स्थल नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। साइट सुरक्षा बैठक आयोजित की जाती है। बिना किसी बड़ी दुर्घटना के निर्माण कार्य किया जा रहा है। कार्यान्वित एजेन्सीयों के माध्यम से सभी रेगुलेटरी अनुपालनाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। अगस्त 2014 में साइंस और पर्यावरण (सीएसई) केन्द्र की सहायता से डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों को ईआईए और एसआईएस प्रशिक्षण दिया गया। फरवरी 2015 में पर्यावरणीय प्रबंधन पर विश्व बैंक की सहायता से सीएसई द्वारा सभी अवसंरचना परियोजाओं की एक अनुभवों की कार्यशाला आयोजित की गई है ।

05 जून, 2014 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रबंध निदेशक द्वारा ''अपनी आवाज उठाओ, समुद्र स्तर तक नहीं'' विषय पर संदेश जारी किया गया। इसका व्यापक प्रचार किया गया। दिनांक 14 अप्रैल, 2014 को विश्व अग्नि दिवस के साथ–साथ दिनांक 04 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। यह कामगार, सुरक्षा और पर्यावरणीय से संबंधित सभी राष्ट्रीय दिवसों को कार्यान्वित एजेन्सीयां मनाने का सुनिश्चित करें।

ईआईए अध्ययन से डीएफसी के कारण वाटर बोडीज, वन्यजीव, फ्लोरा एवं फोना, व्यापक वायु गुणवत्ता, मिटटी और ध्वनि और कंपन प्रदूषण का प्रभाव नहीं के बराबर है। रिपोर्ट में उपयुक्त शमन उपाय और पर्यावरण प्रबंध योजना की सिफारिश की गई है । ईआईए रिपोर्टों में पर्याप्त रूप से रास्ते को साफ करने के लिए पेड़ो की कटाई, क्षतिपूर्ति के लिए पेड़ो को लगाना और सिलोकोसिस जोखिम न्यूनीकरण रणनीति बनाई गई है।

सभी कार्यान्वयन स्तर पर, डीएफसीसीआईएल पहले से ही फ्रेट कोरीडोर के परिचालन एवं निर्माण के अपरिहार्य कारणों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए बचनवद्ध है। ऐसे सभी उपाय जो फ्लोरा और फौना की गुणवत्ता को सुधारने, वन्यजीव और वाटर बोडीज के लिए आवश्यक थे, इसकी प्रापण योजनाओं के लिए बनाए गए हैं।

मानव संसाधन विकास और ओद्यौगिक संबंधः मिशन और मूल्य

मानव संसाधन विकास अपने संगठन के लोगों के सबसे मूल्यावन संसाधन से उनके हितों को विकसित करने, सहयोग प्रदान करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए कार्य करता है। यह सतत् परिवर्तन के वातावरण में उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। निरंतर सीखने और कर्मचारी सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देकर एक ही समय में अधिकारियों और कर्मचारियो के संगठनात्मक विकास के लिए निर्देशित कर विश्व स्तर पर अनुकूल वातावरण को तैयार कर मानव संसाधनों की मूल दक्षताओं को प्राप्त करना व्यावसायिक मानकों को प्राप्त करना है।

मानव शक्ति जुटावः

प्रारंभ में मानव शक्ति अधिष्ठापन रणनीति के भाग के रूप में भारतीय रेलवे के अनुभवी कार्मिको को प्रतिनियुक्ति पर अधिष्ठापित किया गया। संगठन के दूरगामी आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, योग्य प्रतिनियुक्तकों को स्थाई समावेशन के अलावा तत्काल समावेशन और सीधी भर्ती से ओपन मार्केट से मानव शक्ति को अधिष्ठापित किया गया है। वर्ष के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त ओपन मार्केट के माध्यम से 85 अभ्यर्थियों, सेवारत सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों से तत्काल समावेशन के आधार पर डीएफसीसीआईएल में ज्वाइन किया। सभी 106 अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रांरभिक/इन्डक्शन प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष के दौरान दुर्गावती–करवन्दिया सेक्शन के 127 पदों और निर्माण चरण के दौरान ओपन मार्केट से सीधी भर्ती के 178 पदों के चयन को पूरा कर लिया गया है।

डीएफसीसीआईएल की आवश्यकताओं के संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने तत्काल समावेशन नियम के लिए डीएफसीसीआईएल को समय समय पर छूट दी गई है। प्रतिनियुक्ति के शर्तों पर 200 अराजपत्रित एवं 200 राजपत्रित अधिकारियों के अधिष्ठापन की अनुमति 29.12.2015 तक मान्य है। रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 द्वारा अनुमोदन के अनुसार डीएफसीसीआईएल में रेलवे कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रतिनियुक्ति अवधि 05 वर्ष है। वर्ष के दौरान 55 कर्मचारियों ने प्रतिनियुक्ति पर ज्वाइन किया और मानव संसाधन विभाग द्वारा 51 अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति विस्तार किया गया।

नए अधिष्ठापन (इन्डक्शन) के साथ कुल बढ़कर संख्या 635 अधिकारी हो गई हैं जिसमें से 392 स्थाई है।

पदोन्नतिः

पदोन्नति के पर्याप्त अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए डीएफसीसीआईएल में पदोन्नति नीति में मेरिट, उपयुक्तता और निष्पादन को ध्यान में रखा गया है और उपयुक्त क्षमता के साथ और उत्कृष्ट मानव संसाधन सहयोग प्रदान किया जाता है और उपयुक्त कौशल और योग्यता के साथ सेवा के प्रभावशाली नेतृत्व, व्यावसायिक विशेषज्ञ और गुणवत्ता परामर्श के साथ किया जाता है । सामान्यतः कार्यकारी से कार्यकारी निदेशक स्तर तक पदोन्नति के लिए एक ग्रेड में 04 वर्षों की आवश्यकता होती है । वर्ष के दौरान 07 कर्मचारियों को जो कि पदोन्नति के लिए उच्च ग्रेड में उपर्युक्त पदोन्नति नीति के अनुसार योग्य पाए गए।

नीति पहलः

विभिन्न प्रकार की मानव संसाधन नीतियों जैसे पेंशन का प्रावधान, ग्रेच्युटी, कर्मचारी कल्याण, वेतन एवं भत्ते, सीटीजी और अग्रिम आदि की पहल की गई है । इसके अलावा वर्तमान में मानव संसाधन नीतियों का अपडेशन/नवीनीकरण भी किया जा रहा है।

कल्याण योजनाएंः

दिनांक 12.02.2015 को निदेशक मंडल की 48वीं आयोजित बैठक में डीएफसीसीआईएल कल्याण कोष नियम का अनुमोदन किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि कर्मचारियों के प्रेरणा स्तरों को उच्च करना और उन्हें बेहतर जीवन और स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करना, वार्षिक पिकनिक, स्पोर्टस एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, कर्मचारियों के बच्चों को स्कॉलरशिप, वार्षिक स्वास्थ्य जांच , शादी गिफ्ट आदि बड़ी कल्याण गतिविधियों का प्रस्ताव है।

प्रशिक्षणः

डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों के लिए पेशेवर अपग्रेडेशन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। डीएफसीसीआईएल का प्रशिक्षण व्यापक रूप से 04 भागों में बांटा गया है।

(I) सीधी भर्ती के लिए इन्डक्शन प्रशिक्षण

(ii) समावेशित कर्मचारियो के लिए इन्डक्शन प्रशिक्षण

(iii) विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण

(iv) अन्य पेशेवर प्रशिक्षण

सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षणः

- विभिन्न रेलवे संस्थानों जैसे इरीसेट, इरीसेन, जेडईटीसी/वडोदरा, जेडआरटीआई/उदयपुर, इरीन में नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को इंडक्शन और विशेषज्ञ तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

तत्काल समावेशन के आधार पर लिए अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षणः

- तत्काल समावेशन के आधार पर आए अधिकारियों के लिए इंडक्शन और विशेषज्ञ तकनीकी प्रशिक्षण जेडआरटीआई/मुजफ्फरपुर और एनआईएफएम, फरीदाबाद में आयोजित किये गए।

विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षणः

मुख्य परियोजना प्रबंधकों (फील्ड आफिसज) और कॉर्पोरेट आफिस के समूह महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों को शामिल करते हुए मानव संसाधन विभाग द्वारा प्रशिक्षण आवश्यक विश्लेषण पर आधारित एक विस्तृत प्रशिक्षण योजना तैयार की थी जिसे विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था। विश्व बैंक की योजना में 321 अधिकारियों और 869 श्रम दिवसों के लिए लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षणः

प्रतिष्ठित संस्थानों में विशेष रूप से डीएफसीसीआईएल के लिए ज्ञान का अपडेशन और नवीनतम् जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कुछ का विवरण निम्नानुसार हैः–

प्रशिक्षण योजना के कुछ बिन्दुः

क. संगठनात्मक और टीम नेतृत्व– इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी)

- समसामयिक संदर्भ, नेतृत्व का स्तर, अधीनस्थ के साथ संबंध आदि के समकालीन संदर्भ में आईएसबी मोहाली में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से अधिकारियों को समझने में सहायता मिली है । दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मामले का अध्ययन और प्रेक्टीकल सीखने के अनुभव के लिए समूह विचार विमर्श को शामिल किया गया, इसमें 31 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

ख. ब्रांड कम्यूनिकेशन और अनुभूति प्रबंधन– इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस(आईएसबी)

- 37 व्यक्तियों के समूह में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय संचार और अनुभूति प्रबंधन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्रांडिंग की संकल्पना,संचार के विश्व में मुद्दे एवं चुनौतियां, पीआर और अनूभूति प्रबंधन को शामिल किया गया।

ग. एफआईडीआईसी स्थितियों में प्रशिक्षणः

- रोमानिया से अंतर्राष्ट्रीय फिडिक प्रशिक्षक श्री बोडन ओपेरा को डीएफसीसीआईएल की आवश्यकतानुसार एफआईडीआईसी ठेकों का प्रेक्टीकल प्रयोग पर लगाया गया था। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 45 अधिकारियों ने भाग लिया।

- एफआईडीआईसी निर्माण के लिए ठेके की शर्तें (कन्सट्रक्शन कान्ट्रेक्ट) और प्लांट के लिए एफआईडीआईसी ठेके की शर्तें और डिजायन–बिल्ड–अप(डिजायन बिल्ड ठेका) के प्रयोग के बारे में प्रेक्टीकल प्रशिक्षण दिया गया।

घ. भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम में प्रशिक्षणः

- ए एस सी आई, हैदराबाद के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ड़ सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः

25 अधिकारियों के लिए आईएसटीएम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया । सूचना के अधिकार को संचालित करने के लिए रणनीति, सूचना आयोग द्वारा लगाए जाने वाले दंड और अपील की प्रक्रियाओं, अधिनियम की मुख्य बातें , सूचना के अधिकार की संकल्पना के बारे में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण से सहायता मिली।

च. वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षणः

सीआईआई, इलाहाबाद के माध्यम से 04 दिवसीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 45 डीएफसीसीआईएल अधिकारियों नें भाग लिया। कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता संकल्पना का आवेदन, वित्तीय संकल्पना आदि का परिचय को शामिल किया गया।

इसके अतिरिक्त डीएफसीसीआईएल अधिकारियों ने कोरिया, फिलीपाइन और देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित प्रशिक्षण/सेमीनार में भाग लिया।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

विजन

हितधारकों और समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने में सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

मिशन

बड़ी संख्या में सोसायटी और हितधारकों के कॉर्पोरेट अस्तित्व को बनाए रखना।

कंपनी अधिनियम 2013 के आने के बाद, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बोर्ड की उपसमिति का गठन किया गया। रिपोर्ट की तिथि पर उप समिति में नामित निदेशक के रूप में श्री गिरीश पिल्लई, अध्यक्ष श्री एच.डी. गुजराती, निदेशक/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, संयोजन श्री डी. एस. राणा, निदेशक, अवसरंचना और उनके सदस्य शामिल है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का कार्यान्वयन एवं विकसित किया। आगे यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2014–2015 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर रू. 58 लाख की राशि के कार्य शुरू किए गए थे। सभी फील्ड यूनिटों द्वारा वर्ष 2014–2015 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर रू.53.86 लाख रूपये खर्च किए गए।

कंपनी और रेल मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए एमओयू 2014–15 के अनुसार जिसे डीएफसीसीआईएल कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता नीति 2014 के रूप में पढ़ा जाए, यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2014–15 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए निम्न कार्य शुरू किए गए:

- स्वच्छ विद्यालय अभियान (स्कूलों में प्रसाधनों की व्यवस्था), निर्माण स्थलों पर पर्यावरण स्वच्छता।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने के उद्देश्य से स्किल विकास प्रशिक्षण देना।
- स्कूलों में सामान के साथ कंप्यूटर साक्षरता उपलब्ध करवाना।

सीएसआर की गतिविधियां निम्नानुसार है:

1. स्वच्छ विद्यालय अभियान/निर्माण पर पर्यावरण स्वच्छता के अंतर्गत फील्ड यूनिट टूंडला,मुम्बई, अंबाला, इलाहाबाद(पश्चिम) अजमेर में 12 स्थानों/स्कूलों में टायलेट ब्लॉक बनाए गए।

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

पर्यावरण स्वच्छता/स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बनाए गए टायलेट

2. डीएफसीसीआईएल के फील्ड यूनिट जैसे इलाहाबाद (पश्चिम), अहमदाबाद, मेरठ और मुम्बई द्वारा कुल 475 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न रोजगार परक ट्रेडो में 26535 कार्य दिवसों में स्किल विकास प्रशिक्षण दिए गए। निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

- कंटिंग एवं टेलरिंग और ड्रेस बनाना।
- सैनिक के रूप में पुलिस / मिलीटरी / पैरा मिलीटरी में रोजगार के लिए पूर्व प्रशिक्षण।
- इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रशिक्षण।
- टाइपिंग प्रशिक्षण।
- कंप्यूटर प्रशिक्षण।

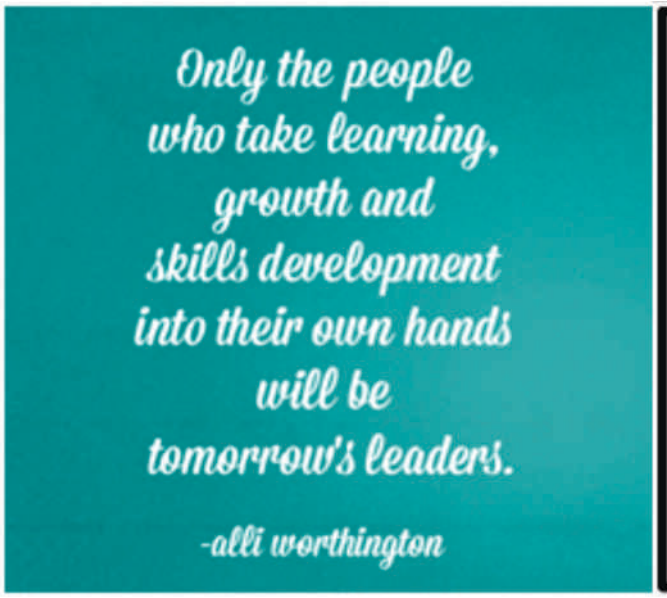

स्किल विकास में भाग लेते हुए परियोजना प्रभावित व्यक्ति।

3. क्रमशः वडोदरा और नोएडा फील्ड यूनिट द्वारा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के क्षेत्रों के 07 स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता के लिए कुल 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर, सभी सामान सहित यूपीएस, स्पीकर, प्रिन्टर और कंप्यूटर टेबल दी गई।

अनुलग्नक– ''छ''

बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

पताःफ्लेट नं 211, पॉकेट ए/3
सेक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली
पिनकोड–110085
फोनः 011–27931217
मोबाइलः 9811387946
ईमेलः balikasharma@gmail.com

फार्म नं.एमआर–3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1)और कंपनी (नियुक्ति और कार्मिकों की परिलब्धियां नियम 2014 के नियम 9) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य,
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन भवन परिसर
नई दिल्ली–110001
सीआईएन यू 60232 डीएल 2006 जीओआई1155068

मैनें लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में सचिवीय लेखा परीक्षण किया है और डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं का पालन किया गया है। (बाद में कंपनी कहलाई गई) सचिवीय लेखा परीक्षण हमे कॉर्पोरेट आचरन/सांविधिक मूल्यांकन के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार हैं ओर उसी के आधार पर हम अपने विचार प्रकट किए हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी की बुक्स, दस्तावेज, मिनट बुक्स, ई–फार्म और फाइल किए गए रिटर्न, कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और उनके अधिकारियों, एजेन्टों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कंपनी का सत्यापन किया गया है। हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में कंपनी ने लेखा परीक्षक के दौरान वित्तीय वर्ष 01 अप्रेल 2014 से 31 मार्च 2015 तक सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन मेकेन्जिम है।

हमने 31, मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, प्रावधानों के अनुसार डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड("कंपनी") द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड और बुक्स, दस्तावेज, मिनट, बुक्स, ई–फार्म और फाइल किए गए रिटर्न का परीक्षण कर दिया है।

1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत नियम
2. दि सिक्यूरिटीज कान्ट्रेक्ट (रेगुलेशन) अधिनियम 1956(एससीआरए) और उसके अंतर्गत नियम
3. दि डिपोजिटर्स अधिनियम 1996 और बनाए गए विनियम और उप नियम
4. विदेश व्यापार प्रबंधन अधिनियम 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम के वर्तमान विदेश प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यक ऋणकर्ता।
5. (सेवी अधिनियम) भारत के विनिमय और सुरक्षित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिशा निर्देश और निम्नलिखित विनियमः–
   - क. सुरक्षित ओर विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया (सारभूत शेयर ओर टेकओवर्स) विनियम 2011
   - ख. भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (इनसाईडर ट्रेडिग पर प्रतिबंध) विनियम 1992
   - ग. भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (केपीटल और डिसक्लोजर आवश्यकताओं को जारी करना) विनियम 2009

घ. भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ओपीनियन स्कीम और कर्मचारी स्टॉक खरीदी स्कीम) दिशा निर्देश 1999

ड़ भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (डेबिट सिक्यूरिटीज को जारी और सूचीबद्ध करना) विनियम 2008

च. भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड(रजिस्ट्रार को जारी और शेयर स्थानान्तरण एजेन्ट)विनियम 1993 कंपनी अधिनियम के संबंध में ओर ग्राहक के साथ संपर्क रखने के लिए।

छ. भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम 2009 और

ज. भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सिक्यूरिटी को पुनः खरीदना) विनियम 1998

6. कंपनी सूचीबद्ध न होने के कारण उपर्युक्त पैरा 2,3, एवं 5 में दिए गए प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

7. कंपनी द्वारा बनाए गए प्रतिवेदन पर हमें भरोसा हैं और कंपनी को लागू अधिनियम, कानून और विनियम के अंतर्गत उनके अधिकारियों द्वारा बनाए गए सिस्टम ओर मेकेन्जिम का अनुपालन किया गया है। मुख्य शीर्ष/अधिनियम के समूहों, कानूनों और विनियमों की सूची जो लागू है कंपनी के अनुलग्नक ''आई'' पर दी गई है।

हमने निम्नलिखित के अनुपालन का परीक्षण नहीं किया है , पैरा (1) के प्रावधानों को 31 मार्च, 2015 तक नहीं रखा गया था और पैरा (2) कंपनी पर लागू नहीं है । (सूचीबद्ध कंपनी न होने के कारण)

क. भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचिवीय मानक

ख. एन ए स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा सूचीवद्ध एग्रीमेंट, यदि लागू हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं:

कंपनी के निदेशक मंडल, कार्यकारी निदेशक और नॉन–कार्यकारी निदेशकों के साथ गठन में उचित संतुलन नहीं रखते हैं, चूंकि कोई भी स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक नहीं है। वर्ष के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय, रेल मंत्रालय द्वारा जारी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल होना चाहिए। कंपनी ने मंत्रालय से निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक की की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया हैं और रेल मंत्रालय से पुष्टि की प्रतीक्षा है।

अनुलग्नक– ''छ''

बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

पताःफ्लेट नं 211, पॉकेट ए/3
सेक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली
पिनकोड–110085
फोनः 011–27931217
मोबाइलः 9811387946
ईमेलः balikasharma@gmail.com

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट की सूचना पहले दी गई हैं और वर्तमान प्रणाली के लिए आगे सूचना और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर वर्गीकरण और बैठक में सक्रिय भागीदारीः

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के साइज और परिचालन को मॉनीटर करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं और लागू कानून, नियम, विनियम और दिशा निर्देशों को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी ने :

1. दिनांक 13.06.2014 को रू.1000 प्रत्येक इक्विटी शेयर के रूप में रू.1,00,79,288 (एक करोड़ उन्यासी हजार दो सौ अठ्ठासी) के आबंटित किए गए।
2. पंजीकृत कार्यालय कमरा नं.101ए, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली–110001 से 5वां तल प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग परिसर, नई दिल्ली–110001 में दिनांक 29.08.2014 से स्थानान्तरित किया गया।
3. भारत सरकार द्वारा कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अनुपस्थिति में, लेखा परीक्षा समिति, नामित और परिलब्धि समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 135(1) एवं (3) और धारा 178(1), और धारा 177(2) की आवश्यकतानुसार उचित गठन नहीं किया गया है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक 28.07.2015

हस्ताक्षर
बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
एफसीएस सं.4816
सीपी स.3222

(इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए जो कि अनुलग्नक–II और रिपोर्ट के आंतरिक भाग के एक रूप में है)

बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

पताःफ्लेट नं 211, पॉकेट ए/3
सेक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली
पिनकोड–110085
फोनः 011–27931217
मोबाइलः 9811387946
ईमेलः balikasharma@gmail.com

अनुलग्नक–1 कंपनी पर लागू अन्य कानून

1. कर्मचारी भविष्य निधि और (विविध प्रावधान) अधिनियम,1952
2. भवन और अन्य निर्माण कर्मचारी(रोजगार के विनियम और सेवा की शर्त)अधिनियम 1996
3. भवन और अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
4. संविदा श्रमिक (विनियम और समापन) अधिनियम 1970
5. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948
6. समान परिश्रमिक अधिनियम,1976
7. औद्योगिक रोजगार (स्टेण्डिग आदेश) अधिनियम,1946
8. प्रसूति लाभ अधिनियम,1961
9. न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम,1948
10. बोनस भुगतान अधिनियम,1965
11. ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम ,1972
12. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
13. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923
14. इन्टरस्टेट माइग्रेन्ट कामगार (रोजगार विनियम और सेवा की शर्त) अधिनियम,1979
15. बाल श्रमिक(प्रतिबंध और विनियम) अधिनियम,1986
16. आयकर अधिनियम,1961
17. विदेश विनिमय और प्रबंधन अधिनियम,1999
18. सेवा कर अधिनियम,1994
19. केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम,1956
20. रेलवे अधिनियम,1989
21. रेलीवेन्ट प्रावधान एवं ए आर आर पी–2007
22. सूचना का अधिकार अधिनियम,2005
23. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 और नियम और संशोधन
24. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं नियम
25. वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं नियम
26. कोस्टल विनियम जोन एन/एन,2011
27. झीलों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम,2010
28. बृक्ष संरक्षण अधिनियम/प्रत्येक राज्य में संबंधित अधिनियम
29. वायु (पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम,1981
30. जल (पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम,1974
31. ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम, 2000
32. प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 2010 और राष्ट्रीय धरोहर प्राधिकरण नियम,2011
33. दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954

बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

पताःफ्लेट नं 211, पॉकेट ए/3
सेक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली
पिनकोड–110085
फोनः 011–27931217
मोबाइलः 9811387946
ईमेलः balikasharma@gmail.com

अनुलग्नक–II

सेवा में,
सदस्य,
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन भवन परिसर
नई दिल्ली–110001
सीआईएन यू 60232 डीएल 2006 जीआओई 1155068

इस पत्र के साथ हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकार्ड को रखने की कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन सचिविय रिकार्ड पर विचार व्यक्त करने की हमारी जिम्मेदारी है।

2. हमने सचिवीय रिकार्ड के सार के संशोधन ही सत्यता के बारे उचित आश्वासन प्राप्त करके व्यावसायिक लेखा परीक्षण का अनुसरण किया है । हम टेस्ट के आधार पर सत्यापन करते हैं और यह सुनिश्चित करते है कि सचिवीय रिकार्ड में सही तत्वों को दर्शाया गया हो। हम विश्वास करते हैं कि प्रक्रियाओं और व्यवसाय, हमारे विचार के लिए हमने उचित आधार अपनाए हैं ।

3. हमने कंपनी के बुक्स लेखे और वित्तीय रिकार्ड के उचित और सही को सत्यापित नहीं किया हैं

4. जहां आवश्यक हुआ है, हमने कानूनों का अनुपालन, नियम और विनियम और घटित घटनाओं के बारे में प्रबंधन से प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों नियम, विनियम मानकों के प्रावधानों की अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा टेस्ट आधार परीक्षण प्रक्रियाओं का सत्यापन तक सीमित था।

6. सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की क्षमता के आश्वासन और अथवा प्रभावीकरण के साथ जो कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों में आयोजित किया है।

ह–/
बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
सी.पी नं. 3222

सीनः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2015

अनुलग्नक "ज"

फार्म नं एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

1. रजिस्ट्रेशन और अन्य विवरणः

I)	सीआईएन	यू 60232 डीएल 2006 जीओआई 01155068
II)	पंजीकरण की तिथि	30.10.2006
III)	कपंनी का नाम	डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
IV)	कंपनी की केटेगरी/उप केटेगरी	
V)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सपंर्क विवरण	5 वां तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग परिसर, नई दिल्ली
VI)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	हां/नहीं
VII)	स्थानान्तरण एजेन्ट ओर रजिस्ट्रार का संपर्क विवरण और नाम व पता	लागू नहीं

II. कंपनी की मूल व्यापारिक गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्नओवर की 10 प्रतिशत से अधिक सभी व्यापारिक गतिविधियों का योगदान दिया जा रहा हैं :

क्रसं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्न ओवर का प्रतिशत
1.	लागू नहीं		
2.			
3.			

III.सहायक और सहयोग कंपनियों का होल्डिंग विवरणः

क्रसं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीआईएन	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी	शेयरों का प्रति'	लागू सेक्शन
1.					
2.					

IV. शेयर होल्डिंग पद्धति (कुल इक्विटी का प्रतिशत के रूप में शेयर पूंजी, इक्विटी का ब्रेकअप)

(i) कोटि–वार शेयर होल्डिंग

शेयर होल्डरों की कोटि	वर्ष के आंरभ मे हेल्ड शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदला प्रतिशत
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	कुल	शेयर का कुल प्रतिशत	
क. प्रोमोटर्स (1) भारतीय									
(घ) स्वंत / एचयूएफ									
(एच) केन्द्र सरकार	–	27,077,400	27,077,400	100%	–	37,156,688	37,156,688	100%	37.23%
(आई) राज्य सरकार / रों	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(जे)निकाय / निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(के)बैंक / वित्त संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(एल) अन्य कोई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सब– योग (क)(1)	–	27,077,400	27,077,400	100%	–	37,156,688	37,156,688	100%	37.23%
(2) विदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(क)एनआरआई– स्वतंत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) अन्य स्वतंत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ग)निकाय / निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ)बैंक / वित्त संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ड)कोई हो	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सब–टोटल (क)(ख)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रोमोटर की कुल शेयर होल्डिंग	–	27,077,400	27,077,400	100%	–	37,156,688	37,156,688	100%	37.23%
(ख).पब्लिक शेयर होल्डिंग	लागू नहीं								
(क)म्यूचल फंड									
(ख)बैंक / वित्त संस्थान									
(ग)केन्द्र सरकार									

(घ)राज्य सरकारें	लागू नहीं
(ड)वेन्चर केपीटल फंड	
(च)बीमा कंपनियां	
(छ)एफआईआईएस	
(ज)विदेषी वेन्चर केपीटल फंडस	
(झ)अन्य यदि कोई है	
उप–कुलयोग (ख)(1)	
2. गैर संस्थान	
क.निकाय / निगम	
I) भारतीय	
II) ओवरसीज	
ख) व्यैक्तिक	
I) रू.01 लाख उतक के सामान्य पूंजी शेयर रखने वाले व्यैक्तिक षेयर धारक	
1)रू.01 लाख से अधिक के सामान्य पूंजी शेयर रखने वाले व्यैक्तिक षेयर धारक	
ग. अन्य (विवरण दें)	

उप–कुलयोग (ख)(2)	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिषत	डिमेट	भौतिक	कुल	शेयर का कुल प्रतिषत	
कुल पब्लिक शेयरधारक (ख)–(ख)(1)(ख)(2)					लागू नहीं				
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर									
कुल योग (क+ख+ग)		27,077,400	27,077,400	100%.	–	37,156,688	37,156,688	100%	37.23%

ii. प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग

क्रसं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत मे शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	गिरवीं/ऋणों कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का प्रतिशत	गिरवीं/ऋणों कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान होल्डिंग शेयरों के बदलाव का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	27,077,400	100%	–	37,156,688	100%	–	37.23%
	कुल	27,077,400	100%	–	37,156,688	100%	–	37.23%

iii. प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग बदलनाः (कृपया स्पष्ट करें यदि कोई बदलाव नहीं है)

क्रसं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	2,70,77,400	100%	2,70,77,400	100%
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयरहोल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी बढ़ोत्तरी/कमी का स्पष्ट कारण दें जैसेःआबंटन/स्थानान्तरण	14.06.2014 1,00,79,288		1,00,79,288	
	वर्ष के अंत पर	3,71,56,688	100%	3,71,56,688	100%

iv. प्रमुख दस शेयरहोल्डरों की शेयरहोल्डिंग पद्धति(निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर एवं एडीआर के होल्डर्स के अलावा)

क्रसं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रमुख दस शेयरहोल्डरों प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ पर				
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयरहोल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी बढ़ोत्तरी/कमी का स्पष्ट कारण दें जैसेःआबंटन/स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि ।	लागू नहीं			
	वर्ष के अंत पर (अथवा अलग होने की तिथि, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हैं)				

v. मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों एवं निदेशकों की शेयरहोल्डिंगः कंपनी में कोई भी निदेशक अथवा केएमपी शेयरधारक नहीं है ।

क्रसं	वर्ष के प्रारंभ में	शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	निदेशक और केएमपी प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ पर				
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स शेयरहोल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी बढ़ोत्तरी/कमी का स्पष्ट कारण दें जैसेःआबंटन/स्थानान्तरण				
	वर्ष के अंत पर				

V. ऋणभार:

कंपनी पर ब्याज शेष/प्राप्त का ऋणभार लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं :

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमाएं	कुल ऋणभार
(i) वित्तीय वर्ष के प्रांरभ में ऋणभार मूल भार		99,662,12,120	–	99,662,12,120
(ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया			–	––
(iii) ब्याज प्राप्त लेकिन देय नहीं		28,65,70,785	–	28,65,70,785
कुल (I)+ (ii) +(iii)		1025,27,82,905	–	1025,27,82,905
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में बदलाव				
जोड़ (ब्याज+ऋण)		502,81,84437	–	502,81,84437
घटाना		–		–
कुल बदलाव		502,81,84,437		502,81,84,437
वित्तीय वर्ष के अंत पर ऋणभार		–		–
(i) मूल राशि		1441,08,48,582		1441,08,48,582
(ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया			–	–
(iii) ब्याज प्राप्त लेकिन देय नहीं		87,01,18,760		87,01,18,760
कुल (i+ ii +(iii)		1528,09,67,342		1528,09,67,342

VI. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियेां और निदेशकों की परिलब्धिः

A. प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशकों और प्रबंधकों की परिलब्धियांः

क्रसं.	परिलब्धि का विवरण			प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		नाम	आदेश शर्मा	सी 0096 आर के गुप्ता ए,01022234	सी0244 एच.डी.गुजराती डीएल 42192135	सी0330 एम.के.मित्तल	सी0091 अंशुमान शर्मा डीएल 42192–007	डी.एस.राणा	
		पदनाम	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक(परि. एवं व्यवसाय विकास)	पूर्णकालिक निदेशक(वित्त)	पूर्णकालिक निदेशक(पीपी)	पूर्णकालिक निदेशक (अवसंरचना)	
1.	धारा 17(1) के प्रावधान के अनुसार वेतन (कुल वेतन)		1,426,876.00	31,000,00	2,801,476.00	250,3289.00	2,740,919.00	2,095,301.00	11,598,861.50
	(ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत अनुलाभ	–	–	–	199209.00	2000930.00	143047.00	285,154.00	828,340.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	उद्यम इक्विटी	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	अन्य लाभ के रूप्में प्रतिशत कमीशन, उल्लेख करें	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	कुल योग (क)	–	1,426,876.00	31,000.00	3,000,685.00	2,074,219.50	2,883,966.00	2,380.455.00	12,427,201.50
	अधिनियम के अनुसार सिलिंग	–	–	–	–	–	–	–	–

ख. अन्य निदेशकों की परिलब्धिः

क्रसं.	परिलब्धि का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल राशि
		श्री आर.एस.शर्मा				
	2. बोर्ड/कमेटी बैठकें में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों का शुल्क	1,80,000	–	–	–	1,80,000
	कमीशन	–	–	–	–	–
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	–	–	–	–	–
	कुल (1)	1,80,000	–	–	–	1,80,000
	4.. बोर्ड/कमेटी बैठकें में उपस्थित होने के लिए अन्य गैर कार्यकारी निदेशकों का शुल्क					
	कमीशन	–	–	–	–	–
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	–	–	–	–	–
	कुल (2)	1,80,000	–	–	–	1,80,000
	कुल (ख) (1)1+2	1,80,000	–	–	–	1,80,000
	कुल प्रबंधकीय परिलब्धि	–	–	–	–	–
	अधिनियम के अनुसार कुल सीलिंग	–	–	–	–	–

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिको की परिलब्धि

क्रसं.	परिलब्धि का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	कुल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1)में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वेतन	–	10,54,521.00	–	10,54,561.00
	(ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ/भों का मूल्य	–	150134.00	–	150134.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ				
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	उद्यम इक्विटी				
4.	लाभ पर प्रतिशत के रूप में कमीशन,अन्य, उल्लेख करें ।				
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें		12,04,655.00	–	12,04,655.00
	कुल				

VII. अपराधों का दंड/सजा/समझौताः

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	सक्षिप्त विवरण	दी गई पेनल्टी/दंड/समझौता शुल्क	प्राधिकारी आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट	अपील की गई यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
पेनल्टी	–	–	–	–	–
सजा	–	नहीं	–	–	–
समझौता	–	–	–	–	–
ख. निदेशक					
पेनल्टी	–	–	–	–	–
सजा		नहीं			
समझौता	–	–	–	–	–
ग. अन्य दोषी पाए गए अधिकारीगण					
पेनल्टी	–	–	–	–	–
सजा	–	नहीं	–	–	–
समझौता	–	–	–	–	–

वित्तीय वर्ष 2014 -15
के लिए
डीएफसीसीआईएल के
वार्षिक लेखे

31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन पत्र

सीआईएन–यू60232/डीएल–2006जीओआई155068

राशि (रू.लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2015 का समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 का समाप्त वर्ष के लिए
I.	**इक्विटी एवं देनदारी**			
(1)	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर पूंजी	3	371,566.88	270,774.00
	(ख) आरक्षित एवं बचत	4	11042.88	7,272.35
(2)	**शेयर आवेदन धन**	5	108,700.00	100,792.88
(3)	**गैर चालू देनदारियां**			
	(क) दीर्घवधि के उधार	6	144,108.49	99,662.12
	(ख) अन्य दीर्घवधि की देनदारियां	7	22,888.80	9,296.30
	(ग) दीर्घवधि के प्रावधान	8	557.60	325.78
(4)	**चालू देनदारियां**			
	(क) अन्य चालू देनदारियां	9	41,258.49	18,209.40
	(ख) अल्पावधि प्रावधान	10	36.69	89.68
	योग		**700,159.83**	**506,422.51**
II.	**परिसंपत्तियां**			
(1)	गैर चालू परिसंपत्तियां			
	(क) स्थाई परिसंपत्तियां	11		
i.	मूर्त परिसंपत्तियां		1,182.58	897.57
ii.	अमूर्त परिसंपत्तियां		41.37	40.74
iii.	कार्यगत पूंजी		327,242.15	156,131.90
iv.	विकासधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		18.99	249.55
v.	विकासाधीन परिसंपत्तियां		911.88	513.85
	(ख) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12	284,213.70	259,622.67
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) नकद और बैंक शेष	13	83,484.75	84,062.11
	(ख) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	14	400.85	407.68
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	2,663.56	4,496.44
	योग		**700,159.83**	**506,422.51**

सामान्य सूचना	1
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	2
विकास लेख (लंबित पूजीकरण)	19

नोट 1 से 34 फार्म वित्तीय विवरणों का अंतरिक भाग है ।

हमारी रिपोर्ट की उसी तारीख से संबंधित यह तुलन पत्र हैं।

कृते बावेजा एंड कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म रजि.नं.05834 एन

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए दलीप के कौल	(आदेश शर्मा)	(एम के मित्तल)	(मीनू कपूर)
सदस्यता सं. 083066	प्रबंध निदेशक	निदेशक/वित्त	कंपनी सचिव
	डीआईएन–7022393	डीआईएन–2889021	एसीएस–18954

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 30.06.2015

मार्च, 2015 के लिए लाभ एवं हानि विवरण

सीआईएन–यू60232/डीएल–2006जीओआई155068
राशि (रू.लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 का समाप्त वर्ष के लिए
	राजस्व			
I.	परिचालनों से आय		-	-
II.	अन्य आय	16	5,699.20	5,686.58
III.	कुल राजस्व (I+II)		**5,699.20**	**5,686.58**
	खर्चे			
	कर्मचारियों के लाभ के लिए खर्च	17	-	-
	वित्तीय लागत	17 A	-	-
	घोषणा एवं परिशोधन खर्च	17 B	-	-
	अन्य खर्च	17 C	-	-
IV.	कुल खर्च		-	-
V.	अपवाद और असाधारण मदों और कर से पूर्व का लाभ (III-IV)		5,699.20	5,686.58
VII.	अपवाद मदें		-	-
	असाधारण मदों और कर से पूर्व का लाभ (V-VI)		5,699.20	5,686.58
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)		**5,699.20**	**5,686.58**
X.	कर खर्चः			
	1. चालू कर		1,914.25	1,930.88
	2. आयकर (गत वर्ष)		(31.50)	-
	3. आस्थगित कर		-	-
XI.	परिचालन के जारी रहने से अवधि के लिए लाभ/हानि (IX -X)		**3,816.45**	**3,755.70**
	(क) विकास खाते में स्थानांतरित		**45.92**	**58.63**
XII.	परिचालन के जारी न रहने से लाभ		-	-
XIII.	परिचालन के जारी न रहने से कर खर्च		-	-
XIV.	परिचालन के जारी न रहने से लाभ/हानि (XII -XIII)			
XV.	अवधि के लिए लाभ /हानि (XI + XIV+ (A))		**3,770.53**	**3,697.07**
XVI	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 1000 प्रत्येक)	29		
	बेसिक		10.73	13.95
	डाइलयूटिड		10.14	13.93
	सामान्य सूचना	1		
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	2		
	विकास लेखा (लंबित पूंजीकरण)	19		

नोट 1 से 34 फार्म वित्तीय विवरणों का अंतरिक भाग है ।
समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट में लाभ हानि का यह विवरण उल्लिखित है।

ह/–
कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंटस फर्म
रजि.नं.05834एन

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए दलीप के कौल	(आदेश शर्मा)	(एम के मित्तल)	(मीनू कपूर)
सदस्यता सं. 083066	प्रबंध निदेशक	निदेशक/वित्त	कंपनी सचिव
	डीआईएन–7022393	डीआईएन–2839021	एसीएस–18954

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 30.06.2015

मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

सीआईएन–यू60232/डीएल–2006जीओआई155068

राशि (रू.लाख में)

क्रं सं.	विवरण	31 मार्च 2015 का समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 का समाप्त वर्ष के लिए	
1	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर के बाद शुद्ध लाभ	5,699.20		5,692.49	
	ह्रास के लिए समायोजन	(5,635.78)		(5,600.78)	
	कर खर्च के लिए समायोजन	(45.92)		(64.54)	
	चालू पूंजी मे परिवर्तनों के लिए समायोजनः				
	अन्य प्राप्त राशियों में वृद्धि/कमी	3,322.69		8,082.28	
	वर्तमान देयताओं में कमी/वृद्धि	36,451.01		13,538.80	
	प्रावधान में कमी/वृद्धि	-		-	
	परिचालन गतिविधियों से अर्जित/प्रयुक्त नकदी		39,791.20		21,648.25
	आयकर प्राप्त/अदा किया गया		(1,880.91)		(1,865.11)
	परिचालन गतिविधियों (क) से (प्रयोग में) नकदी प्रवाहः–		37,910.29		19,783.14
2	**पूँजी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः–**				
	कार्यगत पूंजी सहित स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद एवं पूंजी कार्य प्रगति(सी.डब्ल्यू.आई.पी)		(169,890.13)		(52,288.61)
	स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री		10.93		51.18
	बैंक जमा पर ब्याज से आय		5,978.29		5,040.80
	पूंजी अग्रिम में कमी/बढोतरी		(24,591.03)		(128,588.24)
	वित्तीय गतिविधियों (ख) से अर्जित /प्रयुक्त नकदी		(188,491.94)		(175,784.87)
3	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाहः–**				
	शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त धनराशि	-		-	
	शेयर आवेदन से प्राप्त धनराशि	108,700.00		100,792.88	
	दीर्घकालीन उधार की राशियां	42,762.20		89,207.12	
	ब्याज एवं उधार लागत	(1,544.83)		(78.18)	
	वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त नकदी /अर्जित की गई नकदी (सी)		149,917.37		189,921.82
	रोकड़ और रोकड़ समकक्षों में शुद्ध वृद्धि /कमी (ए +बी+सी)		(664.28)		33,920.09
	वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष		83,732.70		49,812.62
	वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष		**83,068.42**		**83,732.71**
	नकद और नकद समकक्ष को शामिल करना				
	नकद और बैंक अधिशेष		83,046.46		83,728.61
	उपलब्ध चेक्स		21.96		4.10
			83,068.42		**83,732.71**

नोटः– **1.** नकदी और नकदी समकक्ष में एम.ओ.आर की ओर से आयोजित चालू खाता/ जमा खातों में रू 3382.70 लाख (विगत वर्ष–4,175.75 रू) शेष शामिल हैं।
2. सीएसआर गतिविधियों के लिए (पिछले वर्ष रू.17.53 लाख) गतिविधियों निवेश सहित नकद रू.15.06 लाख सहित ।

कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंटस फर्म
रजि.नं.05834एन

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
सीए दलीप के कौल	(आदेश शर्मा)	(एम के मित्तल)	(मीनू कपूर)
सदस्यता सं. 083066	प्रबंध निदेशक	निदेशक/वित्त	कंपनी सचिव
	डीआईएन–7022393	डीआईएन–2889021	एसीएस–18954

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 30.06.2015

वित्तीय विवरण से टिप्पणियां:

1. सामान्य सूचना

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडार्स के निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन के लिए रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक संस्था हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

2.1 वित्तीय विवरण (स्टेटमेंट) तैयार करने का आधा

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी आनिवार्य लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत मानक के अनुसार ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत एक संचयी आधार पर तैयार किए गए हैं।

2.2 आंकलनों का प्रयोग

सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षित है कि प्रबंधन ऐसे आंकलन और अभिधारणाएं करें जो प्रस्तुत किए गए वर्षों के लिए रिपोर्ट की गई राजस्व और व्यय की राशियां तथा वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई परिसंपत्ति ओर देयताओं की राशि और आनुशंगिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण पर प्रभाव डालते हों। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलन और वास्तविकता में होने वाले अंतर को चालू और क्रमशः भविष्य की लेखा अवधि में समायोजित किया जाता हैं।

2.3 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण पर आधारित लेखा मानक ''3'' में निर्धारित अप्रत्यक्ष तरीके से तैयार किया जाता है और नकद प्रवाह परिचालन निवेश और वित्तीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता है।

2.4 स्थायी परिसंपत्तियां और पूंजीगत प्रगति कार्य

क. स्थायी परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण की लागत को दर्शाती है । ऐसे मामलों में जहां ठेकेदारों के बिलों को अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन परिसंपत्ति पूरी हो गई और उपयोग के लिए तैयार है आवश्यक समायोजन के शर्त पर अनुमानित आधार पर पूंजीकरण किया जाता है इसमें वर्श के दौरान अंतिम निपटान के लिए आर्बीट्रेशन ओर न्यायालय के मामले सम्मिलित हैं।

ख. लागत पर किए गए कार्यों का पूंजीगत कार्य प्रगति पर है। वर्ष के दौरान आकस्मिक आय की शुद्ध खर्च, संबंधित परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूंजीगत है।

ग. पूंजी भंडार मापी गई अनुमानित लागत पर है।

2.5 मूल्य ह्रास और परिशोधनः

क. वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों की वृद्धि ओर कटौती अवमूल्यन समानुपातिक आधार पर से उस तारीख तक जहां उपयोग/निपटान के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध है, किया जाता है।

ख. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में वर्णित दरों पर मूल्य पद्धति के नीचे गिरने पर परिसंपत्तियों का अवमूल्यन किया जाता है।

ग. इसके अलावा वर्ष में रू.5000/– या कम के मूल्य की परिसंपत्ति का अवमूल्यन किया गया है।

घ. सोफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्तियों में रखा जाता है ओर इसे तीन वर्श की कानूनी अवधि के लिए प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, जो भी पहले हो। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां सीधे लाइन के आधार पर कानूनी अवधि के लिए उपयोग में लायी जाती है।

ड. पट्टाशुदा भूमि ओर पट्टाशुदा परिसर में सुधारों पर स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन कर संबंधित भूमि/पट्टाशुदा परिसर अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार अवमूल्यन की दरों पर लागू जीवन के ऊपर जो भी कम हो, किया जाता है।

छ वर्ष के दौरान जहां परिसंपत्ति पर अवमूल्यन की लागत लम्बी अवधि के दायित्वों के कारण बढ़ती/घटकर बदलती है, ऐसी परिसंपत्तियों की अवधि को अवमूल्यंन, लागत समायोजन के अनुसार उपभोग करना पड़ता है।

ज. जहां एक परिसंपत्ति की अवधि या कार्यकुशलता में नवीनी और अशुद्धिकरण के कारण वृद्धि होती है वहां अमूर्त अवमूल्यन राशि को चार्ज किया जाता है तथा तकनीकी आंकलन द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है।

2.6 राजस्वः

क. राजस्व की मान्यता गतिविधि की प्रकृति के आधार पर की जाती है जब विचार सही पाया जाता है और इसकी वसूली की निश्चितता सही पाई जाती है।

ख. बैंक जमा पर ब्याज को समय समानुपात के आधार पर बुक किया जाता है।

ग. आय की अन्य मदों को उनके प्राप्त करने के अधिकारी के समय लेखाबद्ध किया जाता है।

घ. सेवा शुल्क आय को संविदा की शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

2.7 विदेशी मुद्रा लेनदेनः

क. विदेशी मुद्रा का संव्यवहार विनिमय की उस दर पर किया जाता है जिस दिन संव्यवहार किया जाता है। प्रत्येक संतुलन पत्र में संतुलन पत्र की तिथि में एक्सचेंज दर पर विदेशी मुद्रा में पुनःनामित मदों की तिथि को दर्शाया जाता है।

ख. उधार ली गई विदेशी मुद्रा के विनिमय अंतर को ब्याज लागतों पर समायोजन के संबध में उधार लागत पर एएस–16 के पैरा 4(ई)की शर्त पर लिया जाता है और उधार लागत के लिए एएसआईवीआईडी की शर्त पर संबंधित स्थायी परिसंपत्ति/प्रगति पर किए जा रहे पूंजीगत कार्य जो कि उधार से संबंधित होते हैं लिया जाता है।

ग. आय और व्यव के रूप में अन्य मुद्रा पर विनिमय अंतर की पहचान की जाती है।

2.8 कर्मचारी के हित लाभः

क. सभी कर्मचारियों के हित लाभों को सेवा के बारह महीनों के भीतर पूर्ण किया जाता है उनका वर्गीकरण अल्पावधि के हित लाभों में किया जाता है। अनुपस्थिति जैसा अल्पावधि के हितलाभों की क्षतिपूर्ति की पहचान कर्मचारी से संबंधित सेवा अवधि में की जाती है।

ख. कर्मचारी हित में नियोजन उपरान्त लाभ का प्रावधान एएस–15(2005)में वर्श के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित किया गया है।

ग. दीर्घावधि के लिए कर्मचारियों के हित लाभ से संबंधित प्रावधान का निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जो कि लेखे में प्रभारित होता है।

घ. प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के लिए विदेश सेवा योगदान से संबंधित प्रावधान का निर्धारण सरकार के नियमों/विनियमों के आधार पर किया जाता है और लेखा में प्रभारित होता है।

ड़ स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के अंतर्गत उपादान भुगतान ओर नोटिस वेतन के खर्च को वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

2.9 उधार लागतः

अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए उधार लागत उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में निकाली जाती है । अन्य उधार लागतों की पहचान उन खर्चों के आधार पर की जाती है जिसमें वे किए जाते हैं। उधार/अग्रिम शुल्क और अन्य समान खर्चों को वर्ष में पूंजीगत/प्रभारित किया जाता है।

2.10. आय पर करः

चालू वर्ष के लए कर का निर्धारिण कर योग्य आय को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर की जाती है।

आस्थगित कर की पहचान आय और वर्ष की कर योग्य आय के बीच अन्तर पर की जाती है और संतुलन पत्र की तारीख से कर दरों और वास्तविक रूप से लागू कानूनी का परिणाम निर्धारित करता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान वास्तविक सुनिश्चितता की मात्रा पर की जाती है जो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है उनकी तुलना में पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय पर उपलब्ध होगी।

2.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियांः

देयताओं की पहचान का प्रावधान जहां दायित्व के निपटारे के लिए संभावित निःस्राव की संसाधनों की संभावना हो और दायित्व की राशि का सही ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है। इन देयताओं को लेखे के नोट्स में नहीं दिखाया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियां की न तो पहचान की जाती है और न ही वित्तीय विवरणों को दिखाया जाता है।

2.12 विविधः

क. ट्रांजिट/पूंजी माल के कार्यों के निष्पादन के लिए दायित्व लेकिन लंबित, निरीक्षण और कॉर्पोरेशन द्वारा स्वीकार नहीं किए गए।

ख. स्वीकार करने के लिए विभिन्न मूल्य के दावे।

ग. वास्तविक वसूली के समय पहचाने गए हर्जाने।

घ. पूर्व और बाद की अवधि के लिए किए गए खर्चे/आय की मदों रू.50,000/–और लेखे के प्रकृति शीर्श में प्रभारित किये जाते हैं।

ड़ मोबाइल उपकरणों को राजस्व ऑफ के लिए चार्ज किया जाता है।

च बीमा दावों को बीमा नीति के कवर किए जाने वाले हानि के प्रबंधन और आंकलन के आधार पर किया जाता है। यदि कोई कमी रहती है तो दावों का आपसी आधार पर निस्तारण किया जाता है। ठेकेदार द्वारा संबंधित ठेके के प्रावधानों के अंतर्गत इसे कंपनी के लेखे में नहीं लिया जाता है।

3. शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
अधिकृत शेयर पूंजी		
8,00,00,000 (गत वर्ष 8,00,00,000)	800,000.00	800,000.00
इक्विटी शेयर 1000/– प्रतिशेयर		
	800,000.00	**800,000.00**
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत पूंजी		
3,71,56,688 (गत वर्ष 2,70,77,400)	371,566.88	270,774.00
इक्विटी शेयर 1000/– प्रति शेयर		
	371,566.88	**270,77400**

3.1 इक्विटी शेयरों के मिलन की संख्या

विवरण	31 मार्च 2015 शेयरों की संख्या	के अनुसार राशि लाख रुपयों में	31 मार्च 2014 शेयरों की संख्या	के अनुसार राशि लाख रुपयों में
वर्ष के प्रारंभ में शेष	27,077,400	270,774.00	19,650,500	196,505.00
जमाः वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	10,079,288	100,792.88	7,426,900	74,269.00
वर्ष के अंत में शेष	**37,156,688**	**371,566.88**	**27,077,400**	**270,774.00**

3.2 कंपनी के कुल शेयरों के 5 प्रतिशत से अधिक धारण किए गए शेयर धारकों द्वारा शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2015 शेयरों की संख्या	के अनुसार धारण किए गए शेयरों का %	31 मार्च 2014 शेयरों की संख्या	के अनुसार धारण किए गए शेयरों का %
इक्विटी शेयरः				
भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय)	37,156,688	100.00%	27,077,400	100.00%

3.3 इक्विटी शेयरों के साथ संलग्न अधिकार एवं प्राथमिक शेयर

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों के रुप में केवल एक ही श्रेणी है जिनकी मूल्य 1000 रु. प्रति शेयर है। एक इक्विटी शेयर रखने वाले को एक वोट का अधिकार है। कंपनी की द्रव्यता के मामले में, शेयर धारक समस्त प्राथमिक राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों के लिए हकदार होंगे।

4. आरक्षित और अधिशेष :

(राशि लाख रू में)

विवरण	**31 मार्च 2015 के अनुसार**	**31 मार्च 2014 के अनुसार**
अधिशेषः		
शेष	7,272.35	–
जोड़ : विकास लेखे से स्थानान्तरण	–	3,575.28
जोड़ : कर के बाद लाभ (चालू वर्ष)	3,770.53	3,697.07
	11,042.88	7,272.35
घटाना : अनुपातिक	–	–
मोश	**11,042.88**	**7,272.35**

4.1 इक्विटी के लेखे की राशि बैंक में जमा कर प्रयोग के लिए लंबित रखी जाती है। चालू वर्ष में कर के बाद लाभ रू. 3,770.53 लाख है जो कि बैंक जमाओं से ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ब्याज से वर्ष 2012–13 तक अर्जित आय रू. 3,575.28 को विकास खाते मे क्रेडिट कर वित्तीय वर्ष 2013–14 में अधिशेष और आरक्षित को स्थानान्तरित किया गया है।

5. शेयर आवेदन धन लंबित आबंटन

(क) शेयर आवेदन धन के संबंध में समापार मूल्य पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को रेल मंत्रालय से प्राप्त किया गया था जिसकी प्राप्त राशि 1,00,792.88 लाख रु.उपर्युक्त आवेदन धन 13.06.2014 को प्राप्त किया गया था।

(ख) कंपनी ने रेल मंत्रालय से 31.03.2015 को अंतिम अधिशेष रू.1,08,700,00 लाख शेयर आवेदन धन प्राप्त किए गए। 1,08,70,000 इक्विटी शेयर को उक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आउटस्टेंडिंग राशि है । ऐसे शेयर आवेदन धन में से शेयरों के आबंटन पर शेयर पूंजी राशि को कवर करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकृत शेयर पूंजी है। दिनांक 31.03.2015 तक कोई शेयर आवेदन धन आबंटन अतिदेय नहीं है।

6. दीर्घ कालीन उधार राशियां

(राशि लाख रू में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
अन्य से अवधि ऋण		
असुरक्षित ऋण		
ईएपी/जायका परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण) जायक–205	11,645.53	11,414.15
ईएपी/जायका परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण) जायका–209	73,159.85	57,972.53
ईएपी/जायका परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण) जायका–212	6,480.99	5,006.48
ईएपी/आईबीआरडी परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण–8066	52,665.53	25,268.96
ईएपी/आईबीआरडी परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण–8318	156.59	–
योग	**144,108.49**	**99,662.12**

6.1 पुनर्भुगतान की शर्तें (ईएपी/जायका ऋण)

जायका से प्राप्त ऋण को वित्त मंत्रालय द्वारा सकल बजटरी सहायता से बाहरी सहायता प्राप्त घटकों के रुप में रेल मंत्रालय को दिया जा रहा है। इस राशि को डीएफसीसीआईएल को उन्हीं शर्तों पर ऋण के रुप में दिया जाएगा। रेल मंत्रालय के पत्र संख्या 2009/इन्फ्रां/3/1/26 भाग–1 दिनांक 06.02.2015 के स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण की अवधि 40 वर्ष है और ब्याज दर 7% और ऋण स्थगन अवधि 10 वर्ष है । स्थगन की अवधि के दौरान संचित ब्याज 10 वर्ष पूरे होने के बाद देय होगा। यह ब्याज साधारण ब्याज के रूप में होगा । जैसा कि केबिनेट ने अनुमोदन किया है कोई मूल पुनर्भुगतान नहीं होगा ऋण को जीबीएस के रूप में रेल मंत्रालय को देय होगा ।

6.2 पुनर्भुगतान की शर्तें (ईएपी/आइबीआरडी ऋण)

भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से पुननिर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से 975 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए दिनांक 27.10.2011 को ऋण करार किया है। जिसका उपयोग पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खुर्जा–कानपुर सेक्शन पर 343 कि.मी. के डबल ट्रैक विद्युतीकरण लाइन के संस्थागत विकास गतिविधियों और डिजाइन, निर्माण और शुरु करने के लिए किया जाएगा।

ऋण करार की शर्तों के अनुसार डीएफसीसीआईएल को परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रुप में चिन्हित किया गया है। डीएफसीसीआईएल ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए बैंक के साथ परियोजना करार किया है। इसके अतिरिक्त डीएफसीसीआईएल द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को डीएफसीसीआईएल को रेल मंत्रालय और डीएफसीसीआईएल के माध्यम से भारत सरकार के बीच एक सहायक ऋण करार के अंतर्गत उपलब्ध ऋण के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

डीएफसीसीआईएल ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से 100 USD मिलियन ऋण के उपयोग के लिए दिनांक 11.12.2014 को आईबीआरडी के साथ दूसरा ऋण करार किया है । इस ऋण का उपयोग सस्थागत विकास गतिविधियों और डिजायन, निर्माण और पूर्वी डेडीकेटेट फ्रेट कोरीडोर के कानपुर–मुगलसराय सेक्शन पर 393 किमी. के डबल ट्रेक विद्युतीकृत रेलवे लाइन को शुरू करने के लिए किया जाएगा । इस करार में भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से संप्रभु गारंटी दी है । इस करार के अनुसार, ऋण सीधे डीएफसीसीआईएल को उपलब्ध हो सकेगा ।

ब्याज के साथ ऋण का पुनर्भुगतान डीएफसीसीआईएल द्वारा मिलियन ऋण/ब्याज राशि के समकक्ष रूपयों में रेल मंत्रालय को किया जाएगा ।

6.3 मूल के पुनर्भुगतान की शर्तें एवं विवरण :

ऋण	पुनर्भुगतान की तिथि	पुनर्भुगतान की शर्त	पुनर्भुगतान की अवधि
आईबीआरडी ऋण (ईडीएफसी)–8066	नवम्बर 2018 से	अर्धवार्षिक	30 किश्तों में
आईबीआरडी ऋण (ईडीएफसी)–8318	मई 2021 से	अर्धवार्षिक	30 किश्तों में

7. अन्य दीर्घावधि देनदारियां *

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
व्यापार देय		
अन्य		
(i) ईएपी/जायका पर रेल मंत्रालय से प्राप्त ऋण पर न दिया जाने वाला उपार्जित ब्याज	8,574.76	2,807.16
(ii) विविध जमा (आपूर्तिकर्ता और सेवादाताओं से प्राप्त जमानत राशियां)	8562.62	755.75
(iii) आग्रिम से प्राप्त आय	189.90	171.87
(iv) जमा क विरुध ग्राहकों से अग्रिम की प्राप्ति	5,561.52	5,561.52
योग	**22,888.80**	**9,296.30**

* सूक्ष्म, लधु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण आवश्यकता को नोट नं 33 में दिया गया है ।

8. दीर्घकालीन प्रावधान

(राशि लाख रू में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
(क) कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	205.20	104.75
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	263.36	144.50
छुट्टी यात्रा रियायत	89.04	76.53
(ख) अन्य प्रावधान	–	–
योग (क) + (ख)	**557.60**	**325.78**

8.1 कर्मचारी लाभः

क) उपदान

31.03.2015 तक, परिणत मूल्यांकन के अनुसार उपदान के दायित्व का प्रावधान रखा गया है।

उपदान का लाभ कर्मचारी को कंपनी से अलग होने पर मिलता है। उपदान का भुगतान उपदान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपदान की राशि का आधार सेवा की कुल अवधि और सेवा समाप्ति के समय वेतन के आधार पर होता है। इस लाभ में पांच वर्ष की निहित अवधि होती है।

सेवानिवृत्त लाभ (उपदान) पर वर्तमान कीमत के प्रारंभिक एवं समाप्ति शेशों के मिलान और आरोपित अवधि के दौरान प्रभाव निम्नलिखित हैं–

दायित्व के वर्तमान मूल्य में:

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	109.93	25.94
ब्याज लागत	9.34	2.08
वर्तमान सेवा लागत	63.86	37.31
दिया गया लाभ	–	–.
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	30.25	44.61
अंतिम अधिशेष	**213.38**	**109.94**

पहचान किए गए खर्चे:

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
ब्याज लागत	9.34	2.08
वर्तमान सेवा लागत	63.86	37.31
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	30.25	44.61
पहचान किए गए खर्चे और विकास लेखे में स्थानान्तरित	**103.45**	**84.00**

संतुलन पत्र में पहचाने गए दायित्व में संचलन

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायित्व	109.93	25.94
उपर्युक्त खर्चे	103.45	84.00
दिया गया लाभ	–	–
योजना संपत्तियों पर वास्तविक वापसी	–	–
अधिग्रहण समायोजन	–	–
स्मापन भुद्ध दायित्व	**213.38**	**109.94**
के अंतर्गत पहचाने गए :	205.20	104.75
दीर्घकालीन प्रावधान	8.19	5.18
अल्पकालीन प्रावधान		
योग	**213.38**	**109.94**

परिणत धारणाएं

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष
मूल्यांकन की प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली
छूट की दर	8.00%	8.50%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)

ख) छुट्टी नकदीकरण :

दिनांक 31.03.2015 को बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के लिए छुट्टी नकदीकरण के दायित्व का प्रावधान कर दिया गया है।

जिन कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है और वे नकदीकरण के योग्य होते हैं उन्हें निश्चित सीमा एवं अन्य शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाता है। दायित्व की वर्तमान राशि जिसमें प्रारंभिक और अंतिम शेष होता है, का मिलान किया जाता है और निम्नानुसार प्रत्येक अवधि के दौरान निश्चित किया जाता है।

दायित्व के मूल्य में प्रस्तुत करने के लिए बदलावः

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	160.09	26.61
	17.24	–
ब्याज लागत	12.81	2.13
चलू सेवा लागत	117.66	73.94
लाभांश का भुगतान	(23.07)	4.93
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	2.21	52.48
अंतिम शेष	**286.94**	**160.09**

पहचान किए गए खर्चें

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
ब्याज लागत	12.81	2.13
चालू सेवा लागत	117.66	73.94
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	2.21	52.48
पहचान किए गए खर्चें और विकास लेखा में स्थानान्तरित किए गए	**132.68**	**128.55**

तुलनपत्र में पहचान किए गए दायित्व में संचलन

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
शुद्ध प्रारंभिक दायित्व	160.09	26.61
उपर्युक्तानुसार खर्च	132.68	128.55
लाभ का भुगतान	(23.07)	4.93
प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	–	–
अधिग्रहण समायोजन	17.24	–
शुद्ध अंतिम दायित्व	**286.94**	**160.09**
के अंतर्गत पहचाने गए :		
दीर्घ कालीन प्रावधान	263.36	144.50
अल्पकालीन प्रावधान	23.58	15.59
योग	**286.94**	**160.09**

परिणत धारणाएं

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्श
मूल्यांकन की प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली
डिस्काउंट दरः	8.00%	8.50%
वेतन वृद्धि दरः	6.00%	6.00%
मृत्यु दरः	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)

ग. छुट्टी यात्रा रियायत :

बीमाकिंत मूल्यांकन के अनुसार बनाए गए दिनांक 31.03.2015 को छुटटी यात्रा नकदीकरण प्रावधान के लिए दायित्व।

कर्मचारियों के अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की कुछ सीमाएं और शर्तें दी गई हैं । निम्नानुसार प्रत्येक प्रारभिंक और अतिंम अधिशेष का मिलान दिया गया है ।

वर्तमान मूल्य में बदलाव की धारणां

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	79.68	–
ब्याज लागत	6.77	–
चालू सेवा लागत	53.24	79.68
लाभ का भुगतान	(4.83)	–
दायित्व पर बीमाकिंत हानि हुई	(42.74)	–
अतिंम शेष	**92·12**	**79·68**

पहचाने गए खर्चे

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
ब्याज लागत	6.77	–
चालू सेवा कर	53.24	79.68
दायित्व पर बीमाकिंत हानि हुई	(42.74)	–
पहचाने गए खर्चे और विकास लेखे में स्थानान्तरित किए गए	**17.27**	**79.68**

तुलनपत्र में पहचान किए गए दायित्व में संचलनः

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
शुद्ध प्रारंभिक दायित्व	79.68	–
उपर्युक्तानुसार खर्च	17.27	79.68
लाभ का भुगतान	(4.83)	–
प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	–	–
अधिग्रहण समायोजन	–	–
'ाुद्ध अंतिम दायित्व	**92.12**	**79.68**
के अंतर्गत पहचाने गए :		
दीर्घ कालीन प्रावधान	89..04	76..53
अल्पकालीन प्रावधान	3.08	3.15
योग	**92.12**	**79.68**

परिणत धारणाएं

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष
मूल्यांकन की प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली
डिस्काउंट दरः	8.00%	8.50%
वेतन वृद्धि दरः	6.00%	6.00%
मृत्यु दरः	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)

9. अन्य चालू देनदारियां (राशि लाख रु. में)

(राशि लाख रु. में)

विवरण		31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
(i)	बयाना राशि जमा	138.24	292.05
(ii)	भूमि के लिए अग्रिम (एस एल ए ओ लेखा को स्थानांतरण के लिए लंबित)	3,382.70	4,175.75
(iii)	जमा कार्य के विरुद्ध ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	6.48	6.48
(iv)	रेल मंत्रालय को देय (एस एल ए ओ बैंक खाते पर ब्याज और टीडीएस के लिए)	2,437.07	1,952.24
(v)	अन्य देय	31,335.15	10,963.95
(vi)	विविध जमा (आपूर्तिकर्ता और सेवादाताओं से प्राप्त जमानत राशियां)	1,033.78	744.18
(vii)	आई आर बी डी पर रेल मंत्रालय से ऋण पर उपार्जित ब्याज	5.55	16.20
(viii)	लम्बित समायोजन के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त राशि	2,793.10	–
(ix)	ब्याज उपर्जित लेकिन आईबीआरडी पर रेल मंत्रालय को देय नहीं	126.42	58.55
योग		**41,258.49**	**18,209.40**

9.1 *सूक्ष्म, लधु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण आवश्यकता को नोट नं 33 में दिया गया है ।

10. अल्पकालीन प्रावधान

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
(क) कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान		
उत्पादन के लिए प्रावधान	8.19	5.18
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	23.58	15.59
छुट्टी यात्रा रियायत	3.08	3.14
(ख) अन्य प्रावधान		
आयकर	1.84	65.77
योग (क) + (ख)	**36.69**	**89.68**

10.1 प्राप्त किए गए सेवा प्रभारों और जमा राशियों पर ब्याज के सबंध में प्रावधान किया गया है । यद्यपि ठेकेदार को मोबीलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है और परामर्शदाता से प्राप्त विचार के आधार पर पूंजी को हानि के रूप में वसूला जाता है । निर्माण स्तर पर एएस 22 के अनुसार आय पर कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

वित्तीय विवरण से टिप्पणीयां:

11. स्थाई परिसंपत्तियां

(राशि लाख रु. में)

परिसंपत्तियों का ब्लाक	सकल ब्लाक				अवमूल्यन				भुद्ध ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2014 तक लागत	अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	31 मार्च, 2015 तक लागत	1 अप्रैल, 2014 तक अवमूल्यन	वर्ष के लिए प्रभार	वर्ष के दौरान कमी	31 मार्च 2015	31 मार्च, 2015 की स्थिति	31 मार्च, 2014 की स्थिति
(क) मूर्त परिसंपत्तियां										
i) फ्लेट (पट्टाधारी)	160.00	–	–	160.00	5.33	5.33	–	10.66	149.33	154.67
ii) पट्टाधारी परिसर का सुधार	1,127.94	346.85	47.23	1,427.56	1,075.50	57.28	33.06	1,099.72	327.85	52.44
iii) ईडीपी परिसंपत्तियां	534.09	140.93	40.80	634.22	326.09	70.13	33.21	363.01	271.20	208.00
iv) कार्यालय उपस्कर	533.85	48.43	19.54	562.74	241.84	157.72	0.11	399.45	163.29	292.01
v) फर्नीचर एवं फिक्सचर	345.20	45.88	3.77	387.31	154.75	(33.51)	1.82	119.42	267.90	190.45
vi) संयंत्र एवं मशीनरी	–	3.07	–	3.07	–	0.06	–	0.06	3.01	–
योग (क)	**2,701.08**	**585.16**	**111.34**	**3,174.90**	**1,803.51**	**257.01**	**68.20**	**1,992.32**	**1,182.58**	**897.57**
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां										
(i) कंप्यूटर साफ्टवेयर	161.31	20.98	–	182.29	120.57	20.35	–	140.92	41.37	40.74
योग (ख)	**161.31**	**20.98**	–	**182.29**	**120.57**	**20.35**	–	**140.92**	**41.37**	**40.74**
जोड़ (क) + (ख)	**2,862.39**	**606.14**	**111.34**	**3,357.19**	**1,924.08**	**277.36**	**68.20**	**2,133.24**	**1,223.95**	**938.31**
विगत वर्ष	**2,434..81**	**536.97**	**109.38**	**2,862..39**	**1,721.29**	**261.34**	**58.55**	**1,924.08**	**938.31**	–

नोट :

1. कंपनी ने कंपनी पॉलिसी नीति के 2.5 (ई)के अनुसार कंपनी ने विभिन्न प्रकार की पट्टाशुदा परिसंपत्तियों के अवमूल्यन, विभिन्न पट्टा अवधि के लिए विभिन्न लोकेशनों पर पट्टाशुदा परिसर लिए हैं ।
2. स्थायी परिसंपत्तियों की प्रकृति और राशि को ध्यान में रखते हुए निर्माण चरण के दौरान, परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 03 वर्ष में एक बार किया गया है ।
3. कंपनी के पक्ष में फ्लैट राशि रू.160.00 लाख रू. के संबंध में लीज करार को अभी निष्पादित किया जाना है ।
4. वर्ष के दौरान कंपनी ने डब्ल्यूडीवी के स्थान पर सीधी लाइन पद्धति के अनुसार परिसंपत्तियों के अवमूल्यन में बदलाव किया हे । इस तरह पिछले वर्षों में अवमूल्यन रू.255.05 लाख चार्ज कर चालू वर्ष में रिवर्स किया गया है ।
5. वित्तीय वर्ष 2014–15 से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 की भाग–सी में दिए गए जीवनपयोगी परिसंपत्तियों के अवमूल्यन की नई पद्धति को ग्रहण किया है । इस तरह कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार दिनांक 01.04.2014 को शेष डब्ल्यूडीवी की परिसंपत्तियों को निल लाइफ को 5 प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य रू.214.31 लाख को वर्ष के लिए चार्ज किया गया है । कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के नोट सं.07 में दिए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 29.08.2014 की अधिसूचना में बदलाव कर दिया गया है ।
6. डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पद्धति रू.255.05 लाख में बदलाव के कारण वर्ष के लिए अवमूल्यन प्रभार रू.277.36 लाख को शामिल किया गया है, दिनांक 01.04.2014 रू.214.31 लाख और वर्ष 2014–15 के लिए रू.318.10 लाख परिसंपत्तियों के निल प्रभार में भी बदलाव किया गया है ।
7. कंपनी के आकार और वित्तीय प्रभावों, पर विचार करते हुए स्वतंत्र मूल्य की परिसंपत्तियों रू.5000 / – अथवा कम को वर्ष में खरीद के लिए पूर्णतः अवमूल्यन किया जाता है ।

(ग) पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है

(राशि लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन/समयोजन	31 मार्च, 2015 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
i) मिट्टी कार्य	21,909.47	3,871.19		–	25,780.66
ii) पुल जो निर्माणधीन है	53,340.52	89,153.64	–	587.33	141,906.83
iii) ट्रेक्स	3,190.88	34,840.65	–	–	38,031.53
iv) अन्य परियोजना व्यय	35,897.75	20,042.06	–	256.21	55,683.60
v) फोरमेशन	183.88	111.75	–	124.91	170.72
vi) उप शीर्ष विद्युत उपस्कर	8.22	72.89	–	–	81.11
vii) प्रतिपूरक वनीकरण खर्च					
viii) ठेकेदार को जारी सामग्री	–	2,185.69	–	–	2,185.69
ix) निर्माण अवधि के दौरान खर्चे नोट 19 (लंबित लेखा विकास पूंजीकरण)	7,568.53	2,827.86	–	–	10,396.39
	34,032.65	18,972.97	–	–	53,005.62
कुल (ग)	**156,131.90**	**172,078.70**		**968.45**	**327,242.15**

(घ) विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियां

विवरण	1 अप्रैल, 2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन/समयोजन	31 मार्च, 2015 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
मूर्त					
i. लीज होल्ड सुधारों की प्रगति	249.55	42.12	283.48	–	8.18
ii. इंस्टॉल की जाने वाली वातानुकूलित प्रणाली की प्रगति	–	10.81	–	–	10.81
अमूर्त					
iii. आईटी सोफ्टवेयर की प्रगति	513.85	398.03	–	–	911.88
कुल (घ)	**763.40**	**450.96**	**283.48**	**–**	**930.87**

12. दीर्घवधि ऋण एवं अग्रिम

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2015 के अनुसार	31 मार्च, 2014 के अनुसार
(क) पूंजी अग्रिम		
(a) प्रतिभूत समझा गया माल		
(i) संचलन अग्रिम (डीएफसीसीआईएल के पक्ष में यंत्र और संयत्र के गिरवी रखने के विरुद्ध)	3,734.84	4,180.52
(b) असुरक्षित समझा गया माल		
(i) यूटीलिटी की शिफ्टिंग और पूंजीगत कार्यों के लिए अग्रिम	180,923.44	152,899.61
(ii) मोबीलाइजेशन अग्रिम	98,969.29	102,007.14
कुल (क)	**283,627.57**	**259,087.27**
(ख) जमानत jkf'k		
(a) असुरक्षित तुलनात्मक		
(i) जमानत राशि–विद्युत	32.60	20.95
(ii) जमानत राशि–लीज किराया	75.58	63.31
(iii) टेलीफोन एवं अन्य के विरुद्ध जमानत राशि	1.37	1.30
(iv) पेड़ों को काटने के विरुद्ध जमानत	36.08	36.02
कुल (ख)	**145.63**	**121.58**
(ग) अन्य		
आयकर और टीडीएस अग्रिम (प्रावधान का नोट)	440.50	413.82
कुल (ग)	**440.50**	**413.82**
कुल (क+ख+ग)	**284,213.70**	**259,622.67**

बोर्ड के विचारानुसार ऋणों और अग्रिमों का मूल्य यदि व्यापार के सामान्य रुप में होता है तो वह लेखे में वर्णित मूल्य से कम नहीं होगा।

12.1 जमानत राशि : कंपनी ने ठेकेदारों और उप किराएदारों से सावधि जमा रसीदों के रुप में 180923.44 लाख रु. (गत वर्ष 152899.61 लाख रु.) की जमानत जमा राशि प्राप्त ही है। तदनुसार से इसे परिसंपत्तियों और देयताओं के रुप में नहीं दर्शाया गया है।

13. नकदी और बैंक बैलेंस

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
(क) नकद एवं नकद समकक्ष		
बैंक शेष		
– चालू और फ्लेक्सी खातें	17,046.45	13,728.60
–तीन माह के मेज्योरिटी के साथ जमा खाते अथवा	66,000.00	70,000.00
हस्तगत चेक	21.96	4.10
(ख) अन्य बैंक शेष		
– सुरक्षा के रुम में गिरवी स्थायी जमा खाते	416.34	329.41
योग (क) + (ख)	**83,484.75**	**84,062.11**

13.1 रेल मंत्रालय की ओर से फ्लेक्सी और चालू खाते में (पिछले वर्ष रू.4,175.92 लाख) इसमें रू.3,382.70 लाख बैंक शेष शामिल है।

14. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
(क) अन्य ऋण एवं अग्रिम		
(i) कर्मचारी अग्रिम	15.16	19.07
(ii) पूर्व भुगतान किए गए खर्च	12.26	5.44
(iii) सेवा पर इनपुट क्रेडिट	113.15	94.73
(iv) जमानत राशि एनडीएससी	10.33	10.33
(v) अन्य	249.95	278.11
कुल	**400.85**	**407.68**

14.1 निदेशको को दिनांक 31.03.2015 को अग्रिम की देनदारी नहीं है (विगत वर्ष की भी कोई नही)

15. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
क) स्थायी जमा और जुटाए गए अग्रिम और अन्य पर अर्जित ब्याज		
i) बैंकों के खातों में जमा	385.39	727.89
ii) जुटाए गए अग्रिम	664.09	123.05
iii) जमा उपयोग अग्रिम	45.43	-
ख) भूमि अधिग्रहण पर खर्च–रेल मंत्रालय से वसूलने योग्य	355.41	2,247.05
ग) पेट्स सर्वे पर खर्च–रेल मंत्रालय से वसूलने योग्य	974.47	526.76
घ) कर्मचारी से वसूलने योग्य	3.38	16.92
ङ) अन्य वसूलने योग्य	5.10	497.84
(उप पट्टे के लेखे पर वसूलने योग्य किराया और सुविधा प्रबंधन प्रभार आदि को प्रदर्शित करता है)	228.60	356.93
च) कर्मचारियों के लिए हस्तगत गोल्ड/सिल्वर पदक	1.69	-
कुल	**2,663.56**	**4,496.44**

15.1 भूमि अधिग्रहण पर खर्च :

(क) रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कंपनी परियोजना के लिए रेल अधिनियम 1989 रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अंतर्गत रेल मंत्रालय की ओर से रेल मंत्रालय द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी के साथ भूमि अधिगृहीत कर रही है। कंपनी की भूमि के मूल्य का 6 प्रतिशत की दर से कंपनी को पट्टा दिया जाएगा। पट्टा किराया चालू होने की तिथि से शुरू किया जाएगा । भूमि के अधिग्रहण के लिए रेल मंत्रालय ने अलग बैंक खाते खोल दिए गए हैं जिसे संयुक्त रूप से राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी तथा कंपनी द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है । ये बैंक खाते कंपनी का हिस्सा नहीं है ।

(ख) इसके साथ भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान रेल मंत्रालय द्वारा दी गई राशि से किया जाता है। (क) कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के प्रशासनिक खर्च और सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है ।

16. अन्य आय

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
(क) ब्याज आय		
एफ डी आर पर ब्याज	5,635.78	5,600.78
कुल (क)	**5,635.78**	**5,600.78**
(ख) अन्य गैर परिचालन आय		
विविध आय	2.02	10.72
उप पट्टे पर किराये की वसूली (नीचे नोट सं. 16.1 देखें)	499.17	462.70
हाउसकीपिंग	25.28	22.28
कार्यालय सुरक्षा खर्च	40.60	40.20
कार्यालय विद्युत खर्च	55.25	79.05
कार्यालय मुरम्मत एवं अनुरक्षण	-	0.05
मरम्मत एवं अनुरक्षण – वातानुकूलन	-	4.41
वार्षिक अनरक्षण प्रभार	14.75	8.28
मरम्मत एवं अनुरक्षण	182.35	150.00
प्राप्त किया गया कंपाजिट किराया एवं सुविधा प्रबंधन प्रभार		
कुल (ख)	**819.42**	**777.69**
(ग) घटाएं : प्रत्यक्ष खर्च		
हाउसकीपिंग खर्च	21.38	19.82
किराया	499.17	462.70
कंपोजिट किराया एवं सुविधा प्रबंधन खर्च	141.91	91.94
कार्यालय सुरक्षा खर्च	34.33	35.77
कार्यालय विद्युत खर्च	46.74	70.33
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	0.04
मरम्मत एवं अनुरक्षण – वातानुकूलन	-	3.92
वार्षिक अनरक्षण प्रभार	12.47	7.37
कुल (ग)	**756.00**	**691.89**
(घ) 'Iद्ध अन्य गैर परिचालन आय { (ख) – (ग) }	**63.42**	**85.80**
'Iद्ध अन्य आय { (क) + (घ) }	**5,699.20**	**5,686.58**

16.1 उप पट्टा :

2014–15 की अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए उप पट्टा वसूलने योग्य राशि रु. 499.17/- लाख है (गत वर्श रु. 462.70/- लाख) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

17. कर्मचारियों के लाभ के लिए खर्च

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त 0"k के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त 0"k के लिए
वेतन, मजदूरी और भत्ते	6,028.39	5,213.07
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	293.22	316.59
उपदान, पीएफ और पेशनं एवं योजना में अंशदान (प्रशासनिक फीस हेतु)	322.50	229.06
कर्मचारी कल्याण	356.00	396.07
कुल योग	**7,000.11**	**6,154.79**
कमी : विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	**7,000.11**	**6,154.79**
शे"k : लाभ–हानि खाते में स्थानान्तरित	**-**	**-**

17.1 एएस–15 की शर्त पर प्रकटीकरण निम्नानुसार हैः परिभाषित की गई अंशदान योजना

पहचाने गए विकास खर्चे अंशदान योजना में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

(राशि लाख रु. में)

– कर्मचारी का भविष्यनिधि अंशदान	199.80	132.20

17(क) वित्तीय लागत

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त 0"k के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त 0"k के लिए
खर्च पर ब्याज		
ई ए पी / जायका ऋण पर ब्याज	5,767.60	1,829.65
आई बी आर डी ऋण पर ब्याज	264.33	132.10
आयकर पर ब्याज	16.32	-
अग्रिम शुल्क	1,332.06	-
अन्य उधार लागत		
ब्याज लागत में समायोजन से संबंधित विभिन्न बदलाव	1,684.16	836.59
कुल	**9,064.47**	**2,798.34**
कमी : विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	**9,064.47**	**2,798.34**
'k"k : लाभ–हानि खाते में स्थानान्तरित	**-**	**-**

नोटः उधार लागत पर लेखा मानक 16 के पैरा 4(घ) के अनुपालन में ब्याज लागत से संबंध में विनिमय अंतर की मात्रा के निर्धारण के उद्देश्य के लिए, स्थानीय उधार करेंसी पर ब्याज की गणना 7 प्रतिशत की दर से की गई है जो कि रेल मंत्रालय से डीएफसीसीआईएल को उधार राशियों के लिए उपलब्ध है।

17(ख) मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त 0"k के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त 0"k के लिए
मूल्यह्रास–ई डी पी परिसंपत्तियां	90.49	124.57
मूल्यह्रास–कार्यालय उपकरण	157.72	45.17
मूल्यह्रास–फर्नीचर एवं फिक्सचर	(33.51)	38.50
मूल्यह्रास–पट्टाधारी सुधार	57.28	47.77
मूल्यह्रास–पट्टाधारी फ्लेट	5.33	5.33
मूल्यह्रास–संयंत्र एवं मशीनरी	0.06	-
कुल	**277.37**	**261.34**
कमी : विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	**277.37**	**261.34**
'k"k : लाभ–हानि खाते में स्थानान्तरित	**-**	**-**

17(ग) अन्य खर्च

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त 0"k के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त 0"k के लिए
विज्ञापन खर्च	220.68	233.35
संचार व्यय	93.09	102.38
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	122.59	140.97
विविध खर्च	43.81	52.94
पुस्तकें और पत्रिकाएं	2.41	3.32
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	104.25	81.51
डायरेक्टर सीटिंग फीस	2.02	6.14
परामर्शदाताओं को परामर्श फीस	127.83	184.79
नियुक्ति परामर्श प्रभार	260.95	291.25
भर्ती प्रभार	393.07	92.65
बिजली खर्च	83.18	33.05
पावर एवं इधन	7.13	3.86
रखरखाव खर्च	303.15	180.52
लेखा परीक्षा शुल्क*	13.79	8.55
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी	32.27	19.13
बैठक और सम्मलेन	43.96	46.57
दर एवं कर	102.04	76.61
किराया**	1,324.94	1,058.10
दौरे, यात्राएं और सवारी भत्ता	1,659.96	1,410.24
संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण खर्च	230.95	464.46
मरम्मत और अनुरक्षण–अन्य	86.98	66.76
वार्षिक अंशदान शुल्क–सूचना तकनीक परामर्श एवं साफ्टवेयर	1.94	22.45
कार्यालय खर्च	14.76	18.49
मेहमाननवाजी खर्च	13.22	15.22
कार्यालय सुरक्षा व्यय	68.32	48.46
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	0.49
सेवा कर / टीडीएस पर ब्याज	2.37	0.64
विदेशी मुद्रा खर्च	2.25	35.74
योग	**5,361.91**	**4,698.64**
कमी : विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	**5,361.91**	**4,698.64**
'k"k : लाभ–हानि खाते में स्थानान्तरित	–	–

* **सांवैधिक लेखा परीक्षकों का भुगतान**

लेखा परीक्षक के रुप में		
लेखा परीक्षा शुल्क	9.22	4.49
लेखा परीक्षा कर शुल्क	2.19	2.25
प्रतिपूर्ति खर्चे	0.45	0.82
अन्य लेखा परीक्षा शुल्क (ईडीएफसी–आई लेखा परीक्षा)	1.93	0.99
	13.79	**8.55**

** **पट्टा किराया :**

कंपनी ने अपने कार्पोरेट कार्यालय के लिए परिसर दिनांक 15 फरवरी, 2008 से प्रभावी परिचालनिक पट्टे पर लिया है। पट्टे की वर्तमान षर्तो के दौरान पट्टे को रद्द नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने परिसर का कुछ भाग उप–पट्टे पर दिया है जिसे पट्टे की वर्तमान षर्तो के अनुसार रद्द नहीं किया जा सकता।
अप्रैल 2014 से मार्च 2015 की अवधि के लिए विकास लेखे के विवरण में दर्षाया गया पट्टे का भुगतान रु. 1,324.94 / – लाख है (गत वर्श रु. 1,058.10 / –लाख)

18. अवधि पूर्ण समायोजन

(राशि लाख रु. में)

क्र.स.	विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त 0"k के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त 0"k के लिए
1	परामर्श शुल्क	7.93	(15.92)
2	बैठक खर्च	-	0.78
3	विद्युत खर्च	0.29	25.20
4	गाड़ियो का किराया	4.14	1.61
5	अवधि पूर्व विविध समायोजन	2.94	-
6	परामर्श सेवा खर्च	22.83	19.68
7	भर्ती खर्च	-	9.14
8	टीए/डीए खर्च	1.63	1.32
9	वार्षिक अंशदान खर्च	-	0.92
10	सेमिनार एवं प्रशिक्षण खर्च	(29.45)	18.42
11	व्यावसायिक प्रभार	5.31	(68.64)
12	वेतन, मजदूरी और भत्ते	(1.03)	(9.90)
13	विदेश सेवा योगदान	12.99	-
14	सुरक्षा प्रभार	(0.97)	-
15	अतिथि गृह किराया	1.48	-
16	लीज किराया	(0.89)	-
17	ऋण पर ब्याज	(4.63)	-
18	ऋण पर खपत जमा राशि	(16.23)	-
	योग	**6.34**	**(17.39)**
	कमी : विकास लेखे में स्थानान्तरित (नोट 19)	**6.34**	**(17.39)**
	'k"k : लाभ–हानि खाते में स्थानान्तरित	**-**	**-**

19. विकास लेखा (लंबित पूजीकरण)

(राशि लाख रु. में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2015 के अनुसार	31 मार्च 2014 के अनुसार
कर्मचारी कल्याण खर्च	17	7,000.11	6,154.79
वित्तीय लागत	17 क	9,064.47	2,798.34
ह्रास एवं परिशोधन खर्च	17 ख	277.37	261.34
अन्य खर्च	17 ग	5,361.91	4,698.64
समायोजन पूर्व अवधि	18	6.34	(17.39)
कुल (क)		**21,710.20**	**13,895.72**
घटाएं :			
निर्णीत हर्जाना (एल डी ए)		302.67	145.27
संचलन अग्रिम पर ब्याज		1,838.90	1,731.37
अग्रिम उपभोग जमा पर ब्याज		29.21	-
ठेकेदारों से नकद छूट		233.95	-
अंचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ		32.21	-
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव लाभ/हानि		209.62	(269.95)
डी एवं जी और पर्यवेक्षण प्रभार प्राप्त		7.44	-
सुरक्षा जमा / ईएमडी जब्त		14.70	5.91
निविदा की बिक्री		22.61	30.36
कुल ख		2691.31	1,642.96
कुल खर्च (क+ख)		19,018.89	12,252.76
लाभ–हानि के विवरण से स्थानान्तरित लाभ		45.92	58.63
पूंजीगत कार्यों में प्रगति के लिए स्थानान्तरित		18,972.97	12,194.13

20. क) आकस्मिक देनदारियां

(संख्या लाख रु. में)

विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
कंपनी द्वारा पूंजीगत कार्यों के संबंध में दावों को स्वीकार नहीं किया गया	31,796.38	33,744.06
विवादित आयकर की मांग	705.87	27.82
योग	**32,502.25**	**33,771.88**

(ख) उपर्युक्त आकस्मिक देनदारियों में सेवा मामलों एवं अन्य मामलें की आकस्मिक देनदारियां सम्मिलित नही हैं जहां राशि की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ग) यह किसी भी प्रभाव से सम्बन्धित अनिश्चितताओं को प्रकट करने के लिए साध्य नहीं है।

(घ) भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित विभिन्न रूपों में न्यायिक निर्णय के लिए काफी मामलें लंबित चल रहे हैं। चूकि भूमि अधिग्रहण को कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में किया जाता है। कंपनी न्यायिक निर्णय प्राधिकारियों की उपुर्यक्त निर्णय के अधीन है।

21. पूंजी वचनबद्धता

पूंजी खाते पर पूरे किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया 10,00,720.72 लाख रु. (गत वर्ष 10,47,156.99 लाख रु.)

22. शेष राशि के अंतर्गत ठेकोदारों को जारी सामग्री,वसूली योग्य दावे,पूंजीगत खर्चों के लिए अग्रिम, ठेकोदारों को अग्रिम, रेल मंत्रालय से वसूली / देनदारी, ठेकेदारों से विविध लेनदेन और जमा / बयाना राशि और संबंधित परिणामी समायोजन के अधीन होते हैं ।

23. हमारे विचार में प्रबंधन ने व्यापार के सामान्य रूप में वसूली में मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिम के मूल्य जो संतुलन पत्र में दिए गए है जिस पर मूल्य कम नहीं होगा ।

24. इस अवधि में विदेशी विनिमय का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(संख्या लाख रु. में)

		31 मार्च 2015 को समाप्त	31 मार्च 2014 को समाप्त
(i)	विकास खाते में प्रभारित की गई राशि (उधार लागत के रूप में)	1684.16	836.59
(ii)	विकास खाते में प्रभारित की गई राशि (एफईआरवी के रूप में)	(209.62)	269.95

25. वर्ष के दौरान पूंजीगत उधार की लागत की राशि रू. 9,043.52 लाख (विगत वर्ष रू.2,798.34 लाख) को विकास खाते में स्थानान्तरित किया जाता है ।

26. 31.03.2015 वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण खाता पॉलिसीयो को परिवर्तित / संशोधित / शुरू किया गया:

महत्वपूर्ण खाता पॉलिसी	विवरण	खातों पर प्रभाव
पॉलिसी सं. 2.1 और 2.2	पॉलिसी को बेहतर प्रकटीकरण के लिए परिवर्तित किया गया।	कोई प्रभाव नही
पॉलिसी सं. 2.5 (बी)	1. डब्ल्यूडीवी से एसएलएम तक मूल्यह्रास के चार्जिंग के लिए पालिसी को परिवर्तित कर दिया गया है । 2. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुबंध पप में की आवश्यकताओं के इस दृष्टिकोण में परिवर्तित किया जाता है ।	चालू वर्ष में 82.56 लाख रूपये से मूल्यहास में बढोत्तरी हुई है। आगे चालू प्रभाव से मूल्यह्रास की पद्वति में बदलाव के कारण, वित्त वर्ष 2014–15 की अवधि में मूल्यहास मे 255.05 कमी आई है जो चालू वर्ष के दौरान उलट कर दिया गया है। दिनांक 01.04.2014 को परिसंपत्तियों का मूल्य निल था जो कि रू.214.31 लाख मूल्यहास के रूप में चार्ज किया गया।
पॉलिसी सं. 2.5 (ड़)	कंपनी अधिनियम 2013 के संदर्भ में शामिल पॉलिसी में परिवर्तन / बदलाव कर दिया गया है ।	कोई प्रभाव नहीं ।

27. कंपनी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के पूर्वी और पश्चिम सेक्शन से संबंधित कार्य के लिए निर्माणाधीन स्तर पर है । परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है और वर्ष के दौरान कोई परिचालन आय नहीं हुई हैं । इसलिए लाभ एवं हानि खाता केवल गैर परिचालनिक आय जैसे बैंक जमा और सेवा प्रभारों पर ब्याज और उप पट्टे पर उपलब्ध सुविधा प्रबंधन सेवाओं पर सेवा प्रभाव आय के लिए तैयार किया जा रहा है ।

उपर्युक्त को खाता मानक–17 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सेंगमेट रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

28. लेखा मानक 18 के अनुपालन में अधिसूचित पार्टी प्रकटीकरण से संबंधित अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है।

क. मुख्य प्रबंधन अधिकारी

श्री आदेश शर्मा	प्रबंध निदेशक दिनांक .20.10.2014 से
श्री आर . के. गुप्ता	प्रबंध निदेशक दिनांक . 28.07.2014 तक
श्री एच . डी. गुजराती	निदेशक (ओ .पी. एण्ड बी .डी.)
श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक (परियोजना प्रबंधक)
श्री एम . के. मित्तल	निदेशक (वित्त)
श्री डी . एस. राणा	निदेशक (अवसंरचना)
श्रीमती मीनू कपूर	कंपनी सचिव

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेने का विवरण निम्नलिखित हैः

मुख्य प्रबंधन अधिकारियो को रू. 136.32 लाख का पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (विगत वर्ष रू. 120.49 लाख) था और दिनांक 31.03.2015 को कंपनी की देनदारी कोई नहीं है । (विगत वर्ष में भी केाई नहीं थी)

29. प्रतिशेयर आयः

प्रतिशेयर आय की गणना (बुनियादी एंड डायलूटेड)निम्नानुसार है ।

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष
अंश के रूप में प्रयोग के बाद शुद्ध आय (लाख रूपये में)	3,770.53	3,697.07
विभाजक के रूप में इंक्विटी शेयरों के भारक की संख्या बुनियादी – डायलूटेड –	 3,51,40,830 3,71,86,469	 2,65,07,665 2,65,35,279
प्रति शेयर आय बुनियादी – प्रतिशेयर आय डायलूटेड –	10.73 10.14	13.95 13.93
प्रति शेयर अंकित मूल्य(रूपयों में)	1,000	1,000

30. लेखा मानक 29 के अनुसार– प्रावधानों का विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि लाख रु. में)

विवरण	ग्रेच्यूटी	छुट्टी नकदीकरण	छुट्टी यात्रा रियायत	आयकर
प्रारंभिक शेष	109.93	160.09	79.68	65.77
वर्ष के दौरान जमा	103.45	149.92	17.27	1,914.25
राशि प्रयोग की गई	-	23.07	4.83	1,973.36
अप्रयुक्त राशि वापस की गई	-	-	-	4.82
शेष	213.38	286.94	92.12	1.84

31. विदेशी मुद्रा में आय/खर्च

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2015 को वर्ष	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष
आय	Nil	Nil
खर्च :		
ब्याज	264.32	132.10
प्रोफेशनल और परामर्श शुल्क	5,611.34	2,263.96
अन्य	8,256.08	258.30

32. वर्ष 2014–15 के दौरान निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी(सीएसार) के लिए रू.58.00 लाख के खर्च का अनुमोदन प्रदान किया है । वर्ष के दौरान कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर रू.32.27 लाख रूपये खर्च किये हैं ।

(राशि लाख रु. में)

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल योग
किसी परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण	5.12	13.50	18.62
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए	9.94	3.71	13.65
कुल योग	15.06	17.21	32.27

33. सूक्ष्म, छोटे और माध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के सेक्शन 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित है ।

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 20 15 को समाप्त	31 मार्च 2014 को समाप्त
(क)	सूक्ष्य, छोटे और मध्यम उपक्रम को शेष मूल अभुगतान राशि	कोई नहीं	कोई नहीं
(ख)	उपर्युक्त (क)के ऊपर मूल राशि पर प्राप्त ब्याज	कोई नहीं	कोई नहीं
(ग)	वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई ब्याज की राशि 15 दिन से ऊपर अवधि के लिए मूल राशि के भुगतान पर की गई ब्याज राशि अथवा डिलीवरी तारीख/सेवाओं को देने की तिथि से तय की गई राशि इसमें सम्मिलित है।	कोई नहीं	कोई नहीं
(घ)	वित्तीय वर्ष के दौरान मूल पर देय ब्याज लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया है।	कोई नहीं	कोई नहीं
(ड)	आगे देय ब्याज की राशि और उत्तरवर्ती अवधि जब तक की उपर्युक्त पर वास्तविक छूट के रूप से व्याज का भुगतान नहीं हो जाता है, ।	कोई नहीं	कोई नहीं

34. वित्तीय विवरणों के आंकड़े लगभग रू. लाख है । गत वर्ष के आकंडो/प्रारंभिक शेष को पुनःसमूहीकृत/व्यवस्थापित/रि–कॉस्ट जो भी आवश्यक थे, किया गया है ।

इस विवरण का उल्लेख हमारी उक्त रिपोर्ट में किया गया है।

कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंटस फर्म
रजि.नं.05834एन

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
सीए दलीप के कौल
सदस्यता सं. 083066

ह/–
(आदेश शर्मा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन–7022393

ह/–
(एम के मित्तल)
निदेशक/वित्त
डीआईएन–2839021

ह/–
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव
एसीएस–18954

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 30.06.2015

बावेजा एवं कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेट

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुतः

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च, 2015 के संतुलन पत्र तथा उसके साथ संबद्ध उसी तिथि को समाप्त कॉर्पोरेशन के विकास व्यय लेखे का लेखा और लेखा नीतियों और व्याख्यात्मक सूचना सारांश का परीक्षण कर लिया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की निदेशक मंडल की है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5)की संदर्भित लेखा मानको एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकार लेखा सिद्धान्तों के अनुसार इसमें कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7, अधिनियम के धारा 133 के दिए गए लेखा मानको सहित कंपनी के कैश फ्लो और वित्तीय निश्पादन, वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सत्य और स्वच्छ स्वच्छ जानकारी दें। जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखा रिकार्ड को रखना और धोखाधड़ी और अन्य अनियमिताओं को रोकने, उपयुक्त लेखा नीतियों के आवेदन और चयन, निर्णय और आंकलन को बनाने डिजाइन, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण और संबंधित आंतरिक कन्ट्रोल को तैयार कर अनुरक्षण करने और उसका कार्यान्वयन सम्मिलित है ताकि वह सत्य और स्वच्छ और निष्पक्ष विचार दे सकें और धोखाधड़ी या गलती के लिए गलत बयान से मुक्त हो सकें।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना है। हमने खाते में अधिनियम के प्रावधानों, लेखा ओर लेखा परीक्षण मानकों को लिया है, और आवश्यक होता है तो अधिनियम के प्रावाधानों और नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाता है ।

हमने लेखा परीक्षण को अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है । उन मानकों में अपेक्षाकृत है कि हम यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण गलत सामग्री से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के समर्थन में उल्लिखित प्रमाण की एक परीक्षण के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल होना है। क्या धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों के गलत जोखिम का आंकलन जिसमें लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित चुनिन्दा प्रक्रियायें शामिल होती है, इन जोखिम आंकलनों को बनाते समय, लेखा परीक्षक द्वारा उचित परिस्थितियों में लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के क्रम में वित्तीय विवरणों की स्वच्छ और कंपनी के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया जाता है। प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्वांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंकलनों का मूल्यांकन तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। एक लेखा परीक्षा भी इस्तेमाल लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखा की तर्कसंगतता का मूल्यांकन भी प्रबंधन के साथ शामिल होता है। वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा में हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार उपलब्ध है।

योग्य विचार के आधार पर

1. भूमि बैंक खातों (एसएलएओ) पर प्राप्त ब्याज पर बैंकों ने स्रोत पर (टीडीएस)कर की कटौती है । ये खाते कंपनी के हिस्से नहीं है यद्यपि कपंनी ने गलती से इन खातों में टीडीएस को पहचाना है जैसा कि चालू परिसंपत्ति और रेल मंत्रालय को समीक्षाधीन देनकारी के रूप में देखा जा सकता है । तद्नुसार चालू परिसंपत्तियों और चालू देनदारियां रू. 10018560/– से अतिरंजित हैं ।

योग्य विचार

हमारे विचार और हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार योग्य विचार पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना सत्य और स्वच्छ है तथा तर्कसंगत हैं तथा सामान्यतया भारत में मूल खातों, 31 मार्च, 2015 को कंपनी के मामलों और उसके लाभ और वर्ष के अंत में उस तारीख के लिए नकद प्रवाह के साथ स्वीकार की जाती है।

प्रमुख मामले :

निम्नानुसार ध्यान आकर्षित किया जाता है।

1. टिप्पणी संख्या 22 के संबंध में ठेकेदारों को जारी सामग्री, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत खर्च के लिए अग्रिम, ठेकेदारों को अग्रिम, रेल मंत्रालय को/से वसूलीयोग्य/देय, सन्ड्री क्रेडिटरर्स और ठेकोदारों से जमाओं/धरोहर राशि सुलह/पुष्टि और संबधित परिणामी समायोजन को दर्शाया गया है, की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं ।

2. कंपनी ने रेल मंत्रालय से ईएपी और इक्विटी को जारी करने के लिए कंपोजिट फंड प्राप्त किया है । कंपनी ने इक्विटी कंपोनेंट और ईएपी कंपोनेंट पर प्राप्ति की तारीख से इसे विभाजित नहीं किया है और प्राप्त फंड को इक्विटी कंपोनेंट से शेयर के लिए स्थानान्तरित नहीं किया है। प्राप्ति की तारीख पर आवेदन धनराशि आबंटन लंबित है । ईएपी कंपोनेंट को ऋण कंपोनेंट में परिवर्तित किया जाता है जहां ठेकेदारों को आगे के भुगतान करने के लिए एड,एकाउंटस और आडिट(सीएएए) नियंत्रक को भुगतान किया जाता है । वर्ष के अंत में अवशिष्ट पड़े शेष को रेल मंत्रालय से ईएपी और इक्विटी के लिए प्राप्त राशि को लंबित शेयर आवेदन राशि खाते में स्थानान्तरित करती है।

3. टिप्पणी संख्या 11(6) कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में लेखा नीति में बदलाव किया है । कंपनी 31 मार्च 2014 तक कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची 14(6) वर्णित लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यह्रास चार्ज कर रही थी और 01 अप्रैल 2014 से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में सीधी रेखा पद्धति के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया गया है । मूल्य ह्रास के चार्जिंग की पद्धति के संबंध में लेखा नीति के बदलाव के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास के बदलने के कारण डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पद्धति से रूपये 255.05 लाख और परिसंपत्तियों के लिए दिनांक 01.04.2014 को चार्ज निल रू. 214.31 लाख रहा।

हमारे विचार में उपर्युक्त प्रमुख मामले के अंतर्गत वर्णित योग्य विचार नहीं है ।

कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2015 (आदेश)की आवश्यकता अनुसार अधिनियम, की धारा 143 की उपधारा (11)के निबंधन में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में वर्णित मामलों में विवरण को अनुलग्नक 1 के साथ संलग्न करते हैं ।

2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के संबंध में भारत के महानिदेशक लेखा परीक्षक ने परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए है, का अनुपालन अनुलग्नक 2 में किया गया है ।

3. कंपनी ने अधिनियम की धारा 149 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की नियुक्ति के संबध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है । अनुपालन न होने के कारण बोर्ड की लेखा परीक्षण कमेटी, बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कमेटी और नामन ओर पारिश्रमिक कमेटी का संयोजन कंपनी अधियिनम 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं हुआ है इस सबंध में समय समय पर जारी निम्नलिखित नियमों को पढ़ा जाए ।

4. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं:

   क. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   ख. हमारे विचार में जहां तक पुस्तिकाओं के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है, कपंनी द्वारा जैसा कि कानून अपेक्षित है, लेखों की सभी बहियां उचित ढंग से रखी गई हैं ।

ग. कपंनी का संतुलन प्त्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह को लेखा बहियों सें पूरी तरह मेल खाता है ।

घ. हमारे विचार में उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत वर्णित लेखा मानकों का अनुपालन करता है, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 को पढ़ा जाए । योग्य विचार पैराग्राफ के आधार पर मामलों में वर्णित प्रभाव को छोड़कर, संतुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण को अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी लेखा नियम 2014 के नियम 7 के तहत पढा जाए, को अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

ड़. निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिए अनुसार दिनांक 31.03.2015 को निदेशकों से लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (2) के संदर्भ में नियुक्ति निदेशक के रूप में दिनांक 31.03.2015 को किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और

च. अन्य मामलों के संबंध में (लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, हमारे विचार और हमें प्राप्त अच्छी जानकारी और में दी गई टिप्पणी के अनुसार लेखा परीक्षण रिपोर्ट में शमिल किया जाना हैः

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों की वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्मों के प्रभाव का खुलासा कर दिया है । वित्तीय विवरणों के लिए संदर्भित नोट 20।

ii. कंपनी ने लेखा मानकों अथवा लागू कानून के अंतर्गत, व्युत्पन्न ठेकों सहित दीर्घ कालीन अवधि के ठेके पर होने वाले नुकसान के लिए आवश्यक प्रावधान कर दिए हैं।

iii. निवेशक शिक्षा ओर फंड सुरक्षा की राशि को स्थानान्तरित करने का प्रावधान कंपनी पर लागू नही होता।

कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 005834 एन

ह/–

सीए दलीप के कौल
पार्टनर
सदस्यता सं. 083066

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2015

(लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध समसंख्यक तारीख को हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में यथा वर्णित अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता खंड)

i. क) कंपनी ने सामान्य रुप से अपनी अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति और संख्यात्मक ब्योरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

ख) कंपनी के पास अपनी अचल संपत्तियों को तीन वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से भौतिक सत्यापन के लिए एक नियमित कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान निश्चित अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया और सत्यापन में कोई अनियमितता नहीं पायी गई । हमारे विचार में कंपनी के साइज और परिसंपत्तियों की प्रकृति के साथ यह आवधिक भौतिक सत्यापन उचित है।

ii. कंपनी को डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के अनुरक्षण और रनिंग के लिए निगमित किया गया है। चूंकि रेलवे फ्रेट कोरीडोर अभी निर्माणाधीन है, कंपनी के पास कोई इनवेन्ट्री नहीं है। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3(ii) लागू नहीं होता हैं।

iii. कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 189 के अंतर्गत रजिस्ट्रर के अभिलेख के अनुसार अन्य पक्षकारों अथवा कंपनी द्वारा प्रतिभूति या अप्रतिभूमि ऋण न दिए हैं और न लिए गए हैं। इसलिए खंड (iii) के उप खंड (क) और (ख) लागू नहीं होते हैं।

iv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और कंपनी के मानदंड के अनुसार और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना अचल संपत्ति की खरीद के लिए अग्रिम का भुगतान और जमा राशि के निवेश करने के अतिरिक्त अचल सपत्ति की खरीद के लिए अपने व्यापार की प्रकृति आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियायें सामान्य रूप से पर्याप्त एवं अनुरूप हैं। कंपनी की गतिविधियों में इन्वेन्ट्री की खरीद और माल की बिक्री शामिल नहीं है।

v. कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य संबंधित प्रावधानों और उसके नियमों के अंतर्गत अथवा सेक्शन 73 से 76 के अर्थ में कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा स्वीकार नही किया है।

vi. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कपंनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 148 (1) के प्रावधानों जिसे कंपनी (कॉस्ट रिकार्ड एवं आडिट नियम) 2014 पढ़ा जाता है, के अनुसार कॉस्ट रिकार्ड का अपेक्षित अनुरक्षण कपंनी पर लागू नहीं होते हैं।

vii. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों अविवादित सांविधिक बकायों जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकार, बिक्रीकर, संपत्ति कर, सेवा कर , उत्पाद शुल्क, वेल्यू सहित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकाया को सामान्यतया नियमित रूप से जमा कराती रही है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के ऊपर 31 मार्च 2015 को जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकार, बिक्रीकर, संपत्ति कर, सेवा कर , उत्पाद शुल्क, वेल्यू सहित कर, उपकर और अन्य बकाया भविष्य निधि के संबंधित रू 22012/–की राशि के अलावा कोई भी राशि छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है। जिसे दिनांक 20.05.2015 को जमा करा दिया गया है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2015 के अवधि के लिए आयकर की विवादित राशि को जमा नहीं कराया गया है।

मूल्यांकन वर्ष	देय की प्रकृति	राशि	संबंधित अवधि जिससे संबंधित है	फोरम जहां विवाद लबिंत है
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	0.14	2011–12	आयकर अपील प्राधिकरण

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के सेक्शन 205 सी के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निवेशक और प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में स्थानान्तरण के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं है और बनाए गए नियमों को आईईपीएफ (जागरूकता और निवेशक सुरक्षा) नियम 2001 के अंतर्गत इसे पढ़ा जाए।

viii. कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई संचित हानि नहीं हुई है और हमारे लेखा परीक्षण द्वारा कवर तत्काल प्रारंभिक वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

ix. हमारी जांच और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी पर किसी वित्तीय संस्थान के पुर्नभुगतान के लिए दोषी नहीं पाया गया है।

x. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की ओर से किसी वित्तीय संस्थान या बैंक को कोई ऋण देय नहीं है।

xi. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और कंपनी की संपूर्ण तुलनपत्र के परीक्षण के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए अवधि ऋण लिया गया था उसमें उपयोग किया गया है ।

xii. कंपनी के बुक्स और रिकार्ड के परीक्षण के दौरान ,भारत में सामान्यतया स्वीकार की जाने वाली लेखा पद्धति के अनुसार कार्य किया गया है, कपंनी द्वारा अथवा तत्काल किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हमारे ध्यान में नहीं आई है, हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा लेखा परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पाई गई ।

कृते बावेजा एंव कॉल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 005834एन

ह/–

सीए दलीप के कौल
पार्टनर
सदस्यता सं. 083066

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2015

31 मार्च, 2015 के समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सदस्य डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिडेड की हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के सेक्शन (अन्य कानूनी ओर रेगुलेटरी आवश्यकताऐं) के सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में वर्णित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–2

क्रसं.	निदेश	हमारी रिपोर्ट	की गई कार्रवाई	कंपनी के वित्तीय विवरणों और लेखें पर प्रभाव
1.	यदि कंपनी को विनिवेश के लिए चुना गया है, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट (इसमें भूमि और अमूर्त परिसंपत्तियों सहित) और दायित्व, (प्रतिबद्ध और सामान्य रिजर्व सहित) विनिवेश प्रकिया के वर्तमान स्तर ओर मोड सहित का परीक्षण किया जाए ।	वित्तीय वर्ष के दौरान विनिवेश के लिए कंपनी का चयन नहीं किया गया था ।	कार्रवाई अपेक्षित नहीं	लागू नही
2.	क्या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की माफी का कोई मामला है कृपया रिपोर्ट दें, यदि हां तो माफ की गई राशि का कारण ।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कर्ज़/ऋण/ब्याज आदि की माफी का कोई मामला नहीं है ।	कार्रवाई अपेक्षित नहीं	नहीं
3.	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से गिफ्ट के रूप में परिसंपत्ति ओर तीसरे पक्ष के साथ इन्वेन्ट्री का उचित रिकार्ड रखा गया है ।	कंपनी ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की इन्वेन्ट्री का रखरखाव और निर्देश लागू नहीं किया है ।	कार्रवाई अपेक्षित नहीं	नहीं
4.	(विदेशी और स्थानीय) सभी कानूनी मामलों पर होने वाले खर्च के लिए निगरानी तंत्र के अस्तित्व/प्रभावशीलता के कारणों सहित लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों की उम्रवार विश्लेषण पर एक रिपोर्ट दी जा सकती है ।	प्रबंधन से प्राप्त लंबित कानूनी /मध्यस्थता मामलों का उम्रवार वर्गीकरण का विश्लेषण निम्नानुसार है: तीन वर्ष से अधिक 2 दो और तीन वर्ष 1 एक से दो वर्ष 0 एक वर्ष से कम 3 कुल 6 ये मामलें संबंधित मंचों पर सुनवाई/ निस्तारण के लिए लंबित है । कानूनी मामलों पर प्रबंधन खर्चों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद किया जाता है। कानूनी मामलों पर (विदेशी और स्थानीय) खर्चों की निगरानी के लिए कंपनी के पास एक प्रणाली है जो कि क्रियाशील है ।	कंपनी के विचार में इन दावों के निस्तारण के लिए कोई व्यवस्थित संसाधन नहीं है, इस तरह वित्तीय विवरणों के पैरा (क) के नोट सं 20 में दर्शाई राशि को आकस्मिक दायित्व के अंतर्गत राशि शामिल किया गया है ।	नहीं

कृते बावेजा एंव कॉल,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
एफआरएन 005834एन

ह/–
सीए दलीप के कौल, पार्टनर
सदस्यता सं. 083066

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2015